NHSRCL
National High Speed Rail Corporation Ltd.

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

गर्डर ट्रांसपोर्टर पर लदी लॉन्चिंग गैन्ट्री नवसारी, गुजरात

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6वीं वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

यात्री टर्मिनल हब - साबरमती, गुजरात

विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया करना।

मिशन:

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

6वीं वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	**1 – 2**
अध्यक्ष का संबोधन	**3 – 4**
रिपोर्ट्स:	
निदेशकों की रिपोर्ट	**5 – 47**
2021-22 की सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट	**48 – 55**
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	**56 – 59**
वित्तीय विवरण:	
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	**60 – 77**
तुलन पत्र	**78 – 79**
लाभ एवं हानि का विवरण	**80 – 81**
नकदी प्रवाह का विवरण	**82 – 83**
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	**84 – 87**
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ -- टिप्पणी 1 से 43 तक	**88 – 162**
सीएजी की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन का जवाब	**163 – 164**

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल

(23.11.2022 को)

विनय कुमार त्रिपाठी
अंशकालिक अध्यक्ष

राजेंद्र प्रसाद
प्रबंध निदेशक एवं
निदेशक परियोजना

अरुण बिजलवान
निदेशक वित्त

विजय कुमार
निदेशक चल स्टॉक

संदीप कुमार
निदेशक (विद्युत एवं प्रणाली)

अन्विता सिन्हा
अंशकालिक निदेशक

हरेशकुमार चंदूलाल मोदी
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव

सुमीता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नं. 205,
सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
दूरभाष: 91-11-2807000/01; फैक्स: 91-11-28070520
ई-मेल: psmd@nhsrcl.in;
वेबसाइट: www.nhsrcl.in
सीआईएन: U60200DL2016GOI291002

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा-परीक्षक

मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी,
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का संबोधन

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय मित्रों,

मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस छठी वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी मुंबई से अहमदाबाद तक भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना (यानी एमएएचएसआर) के कार्यान्वयन की दिशा में अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही है।

अनुबंध पैकेज:

आज की तिथि तक, आपकी कंपनी ने गुजरात में लगभग 352 किमी की लंबाई वाले सिविल और ट्रैक कार्यों के लिए सभी जेआईसीए अनुबंध पैकेज प्रदान कर दिए हैं।

हाल ही में, आपकी कंपनी ने दो अनुबंधों को भी अंतिम रूप दिया है- यथा ट्रैक और रोलिंग स्टॉक (पीएमसी/टीआरएस) के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार, और रोलिंग स्टॉक के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण।

निर्माण-पूर्व की गतिविधियाँ:

आपकी कंपनी ने एमएएचएसआर संरेखन पर पड़ने वाले सभी 297 गाँवों में संयुक्त माप सर्वेक्षण (जेएमएस) को पूरा कर लिया है, कुल भूमि आवश्यकता का 89.45% अधिग्रहण कर लिया है, और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2021-22 के दौरान 77,775 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अलावा 7,896 वृक्षों के प्रत्यारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता जारी रही।

भौतिक प्रगति:

वर्ष 2021-22 में, आपकी कंपनी ने 330 किलोमीटर पर व्यापक भू-तकनीकी जांच (जीटीआई) कार्य 13,468 पाइल्स का निर्माण; पाइल कैप, खुली नींव, और उप-संरचना कार्य जैसे 37.2 किमी के पियर और 19.7 किमी पियर कैप को पूरा करना; फुल स्पैन लॉन्चिंग मशीन (एफएसएलएम) के द्वारा फुल स्पैन गर्डर्स की ढलाई और निर्माण; स्टील सुपरस्ट्रक्चर ट्रस आदि के निर्माण के साथ परियोजना पर भौतिक निर्माण की गति तेज कर दी है। कंपनी ने इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी और ओसीसी पैकेज (ई1) के निष्पादन के लिए एक जापानी कंपनी को भी काम पर लगाया है।

हाल ही में, आपकी कंपनी ने भारत में बने फुल स्पैन गर्डर लॉन्चर के द्वारा नवसारी से सूरत के बीच पहला एक किमी का लगातार वायाडक्ट पूरा किया है।

पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग, साबरमती के सभी सेवाओं, संरचनात्मक फिनिश आदि के साथ 2022-23 में तैयार होने की उम्मीद है।

संचालन एवं रखरखाव:

परियोजना की भौतिक प्रगति में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ने के अलावा, आपकी कंपनी ने ओएंडएम प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करके एमएएचएसआर के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए जमीनी कार्य भी शुरू किया है। 13 प्रमुख ओएंडएम नेताओं के पहले बैच ने 19 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक 8 सप्ताह की अवधि के लिए जापान में प्रशिक्षण लिया है।

सीएसआर:

आपकी कंपनी लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर पहल करती रही है।

निष्कर्ष:

मैं इस परियोजना में शामिल पूरी टीम से यह आग्रह करते हुए अपने संबोधन को समाप्त करना चाहता हूं कि आपसब एक एकजुट टीम के रूप में काम करके इस परियोजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करें। संक्षेप में, आप भारत को एक विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना प्राप्त करने के लिए सक्षम बना रहे हैं, और यह सपना कल की एक सुंदर वास्तविकता बनने के लिए तैयार है।

(वी. के. त्रिपाठी)
अध्यक्ष

तिथि : 22.12.2022
स्थान : नई दिल्ली

रिपोर्ट्स

निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानीय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के मामलों पर, अपनी 6वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाला एक संयुक्त उपक्रम है। कंपनी को डीएमआरसी के समान लाइन पर निगमित किया गया है।

आपकी कंपनी जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना यानी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एम.ए.एच.एस.आर.) परियोजना को लागू कर रही है जिसके लिए 12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट अपनी नवीनतम तकनीक के माध्यम से, यात्री परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बदल देगा और इससे यात्री परिवहन / रेल संचालन के एक नए युग का प्रारंभ होगा। इससे न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, अपितु यह देश के आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करेगा।

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना की वर्तमान स्थिति

क. परिदृश्य

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना, मुंबई में बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स से प्रारंभ होकर, अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के नजदीक समाप्त होती है। एम.ए.एच.एस.आर. कॉरिडोर का लगभग 508 किमी का संरेखण क्रमशः, गुजरात (8 जिलों में), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा महाराष्ट्र (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। उपरोक्त हाई स्पीड रेल कॉरीडोर में (i) 12 स्टेशन होंगे, जिनके नाम हैं, मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद/नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती। (ii) तीन रॉलिंग स्टॉक डिपो भी है जो क्रमशः ठाणे में एक डिपो, सुरत में एक लघु डिपो और साबरमती में एक डिपो-सह-वर्कशॉप; (iii) ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओ.एच.ई.) लाइनों, ट्रैक, आदि के रखरखाव हेतु आवश्यक सामग्री के निरीक्षण तथा रखरखाव कारों / उपकरणों और भंडारण / हैंडलिंग के लिए आठ रखरखाव डिपो; तथा (iv) वायडक्ट्स पर दो पुष्टिकरण कार डिपो है। व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत 1,08,000 करोड़ रुपये (लगभग) है।

ख. तकनीकी विशिष्टताएँ

i) महाराष्ट्र में एक सिविल पैकेज (यानी सी3) को छोड़कर, सभी सिविल पैकेज कार्यों के लिए तकनीकी विशिष्टताओं (टी.एस.) को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ii) जापानी सलाहकार द्वारा समग्र बुनियादी दस्तावेज के रूप में [आईटीसी ओबीडी (पी)] नामक एकीकृत परीक्षण एवं कमीशनिंग योजना तैयार की गई है। इसे कंपनी ने जून 2021 में अपनाया है।

ग. सलाहकारों की नियुक्ति

वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने नियुक्त किए है:

i) टीसीएपी, जोकि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड, आरवी एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और पाडेको कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यमों, को 13 सिविल वर्क पैकेजों (अर्थात सी1, सी2, सी3, सी4, सी5, सी6, सी7, सी8, पी4, पी1(बी), पी1(सी), डी1, और टीआई-1) के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) सेवाओं के लिए सलाहकार नियुक्त किया।

ii) सलाहकार (क) आईआईटी बॉम्बे - कंपनी को भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, एवं निर्माण पद्धति के क्षेत्र में सलाहकार सेवा हेतु; (ख) मैसर्स पैरागॉन कंसल्टेंट - सी4 सिविल पैकेज हेतु एफएसएलएम बॉक्स के लिए।

iii) डिज़ाइन सलाहकार (क) मैसर्स पैरागॉन कंसल्टेंट - लॉन्चिंग गर्डर (एलजी) कीनेमेटिक्स एवं अन्य उपकरणों से प्रदान की गई प्रतिक्रिया के लिए संरचना की उपयुक्तता की जांच करने के लिए; तथा (ख) आरवी एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड -- सी4 सिविल पैकेज के लिए सूरत स्टेशन की नींव एवं संरचनाओं के डिजाइन की जांच करने के लिए।

घ. डिज़ाइन

वर्तमान में, डिज़ाइन का कार्य पूरे जोरों पर है। वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रमुख डिज़ाइन कार्य निम्नानुसार हैं:

i) (क) ट्रैक डिज़ाइन - 'जे-स्लैब ट्रैक सिस्टम' (जापानी शिंकानसेन पर प्रयुक्त) हेतु जरुरी प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) आदि के लिए मानक डिज़ाइन ड्राइंग की अक्टूबर 2021 में जापानी समिति द्वारा सिफारिश की गई है और उनकी सिफारिश के आधार पर इसे कंपनी द्वारा 2021-22 के दौरान टी2 ट्रैक पैकेज हेतु अपनाया गया है।

कार्यों के निष्पादन हेतु, विस्तृत डिज़ाइन और ड्राइंग प्रत्येक संबंधित ट्रैक पैकेज ठेकेदार द्वारा तैयार किया जाना है। कंपनी ने टी3 ट्रैक पैकेज ठेकेदार की सहायता के लिए नामांकित उप-ठेकेदार (एनएससी) के रूप में परियोजना से जुड़ने के लिए, 11 नवंबर 2021 को जापान रेलवे तकनीकी सलाहकार (जेआरटीसी), जापान, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेआरटीसी को पहले टी2 ट्रैक पैकेज के लिए 12 मार्च 2021 के एमओयू के माध्यम से इसी तरह से जोड़ा गया था। उपरोक्त एमओयू के अनुसार, जेआरटीसी (शिंकानसेन ट्रैक को डिजाइन करने में विशेषज्ञ होने के नाते) प्रमुख एच.एस.आर. ट्रैक घटकों जैसे आरसी ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब व्यवस्था, सतत वेल्डेड रेल (सीडब्ल्यूआर) बलों आदि के विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग प्रदान करेगा।

(ख) ट्रैक चूंकि सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मदों में से एक है, आपकी कंपनी ने टी1, टी2 और टी3 ट्रैक पैकेज के अंतर्गत स्लैब ट्रैक सिस्टम निर्माण के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन और सलाहकार सेवाओं हेतु जापान रेलवे तकनीकी सेवा (जेएआरटीएस) जोकि विदेशी रेलवे प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु एक जापानी संगठन है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया है कि साइट पर केवल प्रशिक्षित जनशक्ति ही काम करे। इस व्यवस्था से जापानी ट्रैक प्रौद्योगिकी में जापानी विशेषज्ञों द्वारा 1000 से अधिक इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है।

ii) टनल डिज़ाइन - टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के ज़रिए टनलिंग के लिए विस्तृत डिज़ाइन दिसंबर 2021 में पूरा कर लिया गया है, जिसमें आरसी सेगमेंट, स्टील सेगमेंट, वेंटिलेशन शाफ्ट और इक्विपमेंट रूम के डिज़ाइन शामिल हैं। ये मुंबई के पास 21 किमी सुरंग हेतु आवश्यक होंगे, जिसमें से लगभग 16 किमी टीबीएम मशीन के ज़रिए किया जाएगा।

iii) तीन एच.एस.आर. स्टेशनों (अर्थात वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती) हेतु तकनीकी डिज़ाइन [यानी आर्किटेक्चरल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं प्लंबिंग (एमईपी) सेवाओं] का कार्य सी5 और सी7 सिविल पैकेज के तहत संबंधित ठेकेदारों के साथ मिलकर किया जा रहा है।

iv) पांच एच.एस.आर. स्टेशनों (अर्थात सी4 और सी6 सिविल पैकेज में सम्मिलित वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच और आनंद) के लिए तकनीकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को लेआउट, तकनीकी विशिष्टताओं और डिज़ाइन मैनुअल पर ध्यान देते हुए अंतिम रूप दिया गया है। अभिरूपी संबंधी रिपोर्ट (आंतरिक एवं बाहरी) को संबंधित ठेकेदारों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है और आगामी वर्षों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

v) बारह एच.एस.आर. स्टेशनों के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एम.एम.आई.) योजनाएं निम्नवत् हैं:

एच.एस.आर. स्टेशनों जिनके लिए एमएमआई तैयार किया गया है	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया
तीन - वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती	2018-19
पांच - आनंद / नडियाद, सूरत, बिलिमोरा, बोईसर और विरार	2019-20
चार - वापी, ठाणे, बीकेसी, और भरूच	2020-21
संशोधित एमएमआई: वडोदरा और ठाणे	2020-21

vi) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने पहले आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को स्टेशन क्षेत्र विकास (एसएडी) हेतु जापानी सहायता की आवश्यकता वाले चिन्हित एच.एस.आर. स्टेशनों पर तकनीकी सहयोग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डीईए ने अनुमोदन के पश्चात् इसे 2020-21 के दौरान जापान दूतावास को भेज दिया था।

2021-22 के दौरान, जापान दूतावास ने तकनीकी सहयोग के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, संबंधित हितधारकों यानी रेल मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आपकी कंपनी, जेआईसीए, और महाराष्ट्र तथा गुजरात की राज्य सरकारें, विभिन्न संगठनों की जिम्मेदारियों के साथ तकनीकी सहयोग के दायरे पर सहमत / अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

vii) स्टेशनों और स्टेशन मार्ग, डिपो/रखरखाव डिपो और नदी पुलों के लिए रास्ता सहित मुख्य लाइन वायडक्ट के लिए संचयी 41,000 विस्तृत डिज़ाइन ड्राइंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

viii) सभी 28 स्टील ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर हेतु विस्तृत डिज़ाइन तैयार किए जा चुके हैं।

ङ. निविदा:

एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण सहित संपूर्ण एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना को 27 जेआईसीए अनुबंध पैकेजों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। 22 पैकेज (27 में से) मुख्य परियोजना से संबंधित हैं और 5 पैकेज वडोदरा में प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने

i) निम्नलिखित अनुबंध पैकेजों को **आमंत्रित** किया गया है:

क) डी2 डिपो पैकेज [साबरमती डिपो और संबंधित कार्यों के लिए] (पुनः आमंत्रित)। पैकेज हेतु डिपो मशीनों को जापान से खरीदा जाना है;

ख) टी3 ट्रैक पैकेज [508 किमी के कुल संरेखण में से लगभग 116 किमी हेतु ट्रैक व ट्रैक संबंधित कार्यों के लिए]];

ग) टीआई4 प्रशिक्षण संस्थान पैकेज [प्रशिक्षण संस्थान के लिए सिम्युलेटर];

घ) आर 1-पीएस रोलिंग स्टॉक पैकेज [चल स्टॉक एवं सामान्य निरीक्षण ट्रेन के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए]; तथा

ङ) सी5 सिविल पैकेज [वडोदरा स्टेशन से जुड़े सिविल एवं भवन निर्माण कार्यों के लिए]

ii) निम्नलिखित अनुबंध पैकेज **प्रदान** किए गए:

क) सी5 सिविल पैकेज [चैनेज 393.7 किमी और 401.898 किमी के बीच वडोदरा एच.एस.आर. स्टेशन से जुड़े सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए];

ख) सी7 सिविल पैकेज [चैनेज 489.467 किमी और 507.599 किमी के बीच अहमदाबाद और साबरमती एच.एस.आर. स्टेशनों से जुड़े सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए];

ग) सी8 सिविल पैकेज [चैनेज 507.599 किमी और 509.726 किमी के बीच साबरमती में एच.एस.आर. डिपो के लिए सिविल एवं भवन निर्माण कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों के लिए];

घ) टी2 ट्रैक पैकेज [508 किमी के कुल संरेखण में से लगभग 237.1 किमी के लिए ट्रैक व ट्रैक संबंधित कार्यों के लिए)];

ङ) पी1(बी) और पी1(सी) विशेष पुल पैकेज [क्रमशः ग्यारह और पांच पुलों के निर्माण के लिए); तथा

च) 13 सिविल कार्य पैकेजों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं।

एलएंडटी लिमिटेड के साथ सी-5 अनुबंध पैकेज पर हस्ताक्षर

सौंपी गई निविदा, अभी मूल्यांकन की जा रही निविदा, जारी/जारी की जाने वाली निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), आदि की समग्र/ संचयी स्थिति 31 मार्च 2022 को नीचे दी गई है:

एच.एस.आर. अनुभाग	कुल (संख्या)	सौंपी गई निविदा (संख्या)	मूल्यांकन के अधीन (संख्या)	जारी एनआईटी (संख्या)	जारी की जाने वाली एनआईटी (संख्या)
साबरमती – वापी	10	8 (सी4, सी5, सी6, सी7, सी8, पी1B, पी1सी, और टी2)	1 (टी 3)	1 (डी 2)	0

एच.एस.आर. अनुभाग	कुल (संख्या)	सौंपी गई निविदा (संख्या)	मूल्यांकन के अधीन (संख्या)	जारी एनआईटी (संख्या)	जारी की जाने वाली एनआईटी (संख्या)
वापी – बीकेसी	5	0	0	0	5 (सी1, सी2, सी3, डी1, और टी1)
सामान्य पैकेज	7	2 (पी4 और पीएमसी-सिविल)	0	1 (R1-प्रारंभिक सर्वेक्षण)	4 (ई1, आर1-मेन, आईएम-1, और पीएमसी- टीआरएस)
प्रशिक्षण संस्थान	5	3* (टीआई-2, टीआई-3, और पीएमसी-टीआई)	2 (टीआई-1 और टीआई-4)	0	0
कुल	**27**	**13**	**3**	**2**	**9**

* *पहले ही पूर्ण हो चुका है*

^ *सी - का अर्थ सिविल पैकेज; टी - का अर्थ ट्रैक पैकेज; आर - का अर्थ रोलिंग स्टॉक पैकेज; ई - का अर्थ इलेक्ट्रिकल, एस एंड टी, एवं ओसीसी पैकेज; टीआई - का अर्थ ट्रेनिंग इस्टिट्यूट पैकेज; डी - का अर्थ डिपो पैकेज; आईएम - का अर्थ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस पैकेज; पी - का अर्थ पर्टिकुलर ब्रिज पैकेज; पीएमसी - का अर्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी; और टीआरएस - का अर्थ ट्रैक एंड रोलिंग स्टॉक है।*

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी ने निम्नवत कार्य किए हैं:

i) दो और अनुबंध पैकेज दिए गए [अर्थात टी3 (लगभग 116 किमी के लिए ट्रैक व ट्रैक संबंधित कार्यों के लिए और टीआई4 (सिम्युलेटर)]

उक्त पैकेज के साथ-साथ, गुजरात राज्य में सिविल और ट्रैक कार्यों के लिए 352 किलोमीटर (508 किलोमीटर में से) की लंबाई को कवर करने वाले सभी जेआईसीए अनुबंध पैकेज प्रदान कर दिए गए हैं।

ii) एक अनुबंध पैकेज आमंत्रित किया गया है [अर्थात सी1 (बीकेसी में मुंबई भूमिगत स्टेशन के डिज़ाइन एवं निर्माण के लिए)]

च. एम.ए.एच.एस.आर. की भौतिक प्रगति

<u>भू-तकनीकी जांच (जीटीआई)</u>

330 किलोमीटर (352 किलोमीटर में से) पर, व्यापक भू-तकनीकी जांच (जीटीआई) कार्य (100 मीटर अंतराल पर) किया गया है। उक्त विस्तृत जीटीआई के आधार पर 165 किमी की लंबाई हेतु गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स तैयार किए गए है।

पियर का काम प्रगति पर, बिलिमोरा, गुजरात

निर्माण - पाइल्स / पाइल कैप / ओपन फाउंडेशन / पियर / एफएसएलएम, आदि:

सी4 और सी6 सिविल पैकेज (2020-21 के दौरान प्रदान किए गए) पर कार्य जारी रखने के अलावा, भौतिक कार्य जैसे जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल फाउंडेशन, वायडक्ट एवं स्टेशनों के लिए ओपन फाउंडेशन कार्य, वायडक्ट व स्टेशनों के लिए पियर व पियर कैप का कार्य, और सुपरस्ट्रक्चर कार्यों के लिए सेगमेंटल बॉक्स गर्डर्स के लिए कास्टिंग यार्ड की स्थापना का कार्य 2021-22 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान किए गए सी5, सी7, पी1 (बी), पी1 (सी), और सी8 सिविल पैकेज पर शुरू हो गया है।

पियर एंड पियर कैप काम को पूरा करना, गुजरात

31 मार्च 2022 तक 107.7 किमी की लंबाई में 13,468 पाइल्स का निर्माण किया जा चुका है। 47.8 किमी की लंबाई में पाइल कैप और ओपन फाउंडेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 37.2 किमी के लिए पियर और 19.7 किमी के लिए पियर कैप जैसे सबस्ट्रक्चर का काम पूरा किया गया है।

इसके अलावा, संरेखण के साथ स्थापित किए गए कई अत्याधुनिक कास्टिंग यार्डों में फुल स्पैन गर्डर्स और सेगमेंटल बॉक्स गर्डर्स डाले जा रहे हैं।

फुल स्पैन सेगमेंट की ढलाई का काम प्रगति पर, आनंद, गुजरात

40 मीटर लंबाई एवं 970 टन वजन वाले पहले फुल स्पैन बॉक्स गर्डर को अक्टूबर 2021 में कास्ट किया गया है। महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता अर्जित करते हुए, उक्त परिष्कृत फुल स्पैन लॉन्चिंग मशीन (एफएसएलएम) को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। 31 मार्च 2022 तक, कुल चार फुल स्पैन गर्डर बनाए गए हैं।

फुल स्पैन गर्डर ढलाई का काम प्रगति पर, आनंद, गुजरात

पुल:

विशेष ब्रिज पैकेजों, अर्थात पी1(बी) और पी1(सी), पर नींव एवं उप-संरचना के निर्माण का कार्य नवंबर 2021 में शुरू हो गए हैं।

ठेकेदार द्वारा चार कार्यशालाओं के आयोजन के ज़रिए स्टील सुपरस्ट्रक्चर ट्रस (राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, सिंचाई नहरों और रेलवे, और लंबी अवधि के स्टील संरचनाओं पर) का निर्माण शुरू हो गया है।

तापी नदी, सूरत, गुजरात में कूप नींव का कार्य प्रगति पर

साबरमती नदी पर बने पुल पर जीटीआई का काम चल रहा है। अन्य तीन प्रमुख नदियों (नर्मदा, ताप्ती और माही) पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 31 मार्च 2022 तक, नर्मदा पुल पर 11 कूप नींव (22 में से), माही पुल पर सभी 12 कूप नींव और ताप्ती पुल पर 6 कूप नींव पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एच.एस.आर. स्टेशन:

गुजरात राज्य में (वापी और साबरमती के बीच पड़ने वाले) आठ स्थानों पर यानी वापी, बिलिमोरा , सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिक हाई-स्पीड रेल स्टेशनों की योजना बनाई गई है।

पांच एच.एस.आर. स्टेशनों पर निर्माण [अर्थात वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, एवं आनंद] (8 में से) वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू हो गए हैं।

साबरमती में यात्री टर्मिनल हब बिल्डिंग:

साबरमती में स्थित पैसेंजर टर्मिनल हब बिल्डिंग, साबरमती एच.एस.आर. स्टेशन को पश्चिमी रेलवे साबरमती स्टेशन, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एईसी स्टेशन और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बस स्टॉप से जोड़ेगी।

उक्त पैसेंजर हब का निर्माण वास्तुकला परिष्करण; मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नलसाजी (एमईपी); और सिविल कार्य के अंतिम चरण में है। 31 मार्च 2022 तक उक्त पैसेंजर हब के निर्माण की भौतिक प्रगति 69% रही है।

पाइल हेड का काम प्रस्तावित, एचएसआर सूरत स्टेशन, गुजरात

विद्युतीय कार्य:

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी और ओसीसी पैकेज (ई1) के निष्पादन हेतु एनएचएसआरसीएल की ओर से काम करने के लिए जनवरी 2022 के महीने में एक जापानी संस्था (जेई) (यानी जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड) को कार्य सौंपा गया है। उक्त जापानी कंपनी ई1 हेतु विस्तृत डिज़ाइन को अंतिम रूप देने, बोली दस्तावेज तैयार करने और विभिन्न चिन्हित पैकेजों की लागत की अनुमान रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करेगी।

छ. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम):

एम.ए.एच.एस.आर. के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए ग्राउंड/स्पैड कार्य शुरू कर दिया गया है। ओ एंड एम प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। इसमें मोटे तौर पर रखरखाव के बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव वाहनों एवं मशीनों की खरीद, हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

जापानी एच.एस.आर. प्रणाली के महत्वपूर्ण ओ एंड एम तरीकों को समझने के लिए, जेआईसीए के नामित विशेषज्ञों के साथ कई तकनीकी चर्चाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जिससे ओ एंड एम के लिए बुनियादी ढांचे सहित मूल ज्ञान को समझने तथा उचित रणनीति एवं योजना विकसित करने में मदद मिली। इसके अलावा, जापानी विशेषज्ञों से आदान प्राप्त करके और जापान

से प्राप्त दस्तावेजों को संदर्भित करके ओ एंड एम मैनुअल और अन्य प्रमुख दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जेआईसीए अनुदान के तहत निष्पादित दो महीने के प्रशिक्षण हेतु अप्रैल 2022 के महीने में ओ एंड एम डिवीजन के 13 कर्मचारियों (प्रमुख ओ एंड एम लीडर्स के रूप में नामित) को जापान भेजा गया। यह एच.एस.आर. (शिंकानसेन) संचालन एवं रखरखाव प्रणाली के विभिन्न प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जापान में प्रशिक्षण पाने हेतु नियोजित 360 कर्मचारियों (कोर स्टाफ के रूप में नामित) में से पहला बैच था।

ज. मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण:

एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण के साथ उल्लंघन करने वाली मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाएं एवं अवसंरचना अर्थात् अहमदाबाद, वडोदरा, और साबरमती क्षेत्रों में रेलवे लाइनों सहित रेलवे प्लेटफॉर्मों अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन तथा रखरखाव सुविधाओं और कार्यालयों/स्टाफ क्वार्टरों को पश्चिम रेलवे के साथ समन्वय में स्थानांतरित किया जा रहा है।

एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण का उल्लंघन करने वाली कई ओएचई लाइनों और अन्य उपयोगिताओं को भी स्थानांतरित किया जाना है या उपयोगिता के मालिकों के समन्वय में ऐसी संरचनाओं की ऊंचाई बढ़ाई जानी है।

इसके अतिरिक्त, एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, इसलिए कई भूमिगत व नागरिक उपयोगिताओं जैसे गैस लाइन, पानी व जल निकासी पाइप, लाइट्स, बिजली और दूरसंचार केबल और अन्य अवसंरचना को भी मुंबई, ठाणे, वडोदरा और अहमदाबाद के चुने गए स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है यह सुनिश्चित करते हुए कि, आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, एच.एस.आर. निर्माण के दौरान इन उपयोगिताओं के संचालन में बहुत कम बाधा आए।

2021-22 के दौरान मौजूदा रेलवे सुविधाओं और उपयोगिताओं के स्थानांतरण की प्रगति/ स्थिति इस प्रकार है:

<u>स्थानांतरण / परिवर्तन, आदि</u>

i) 205 ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनें (31 मार्च 2021 तक स्थानांतरित 1279 लाइनों के अलावा) को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक स्थानांतरित की गई ओएचई लाइनों की संख्या 1484 हो गई है। शेष 167 ओएचई उपयोगिताओं / लाइनों (मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में) को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है।

ii) बीकेसी मुंबई (सी1 सिविल पैकेज) में एच.एस.आर. स्टेशन हेतु सिविल कार्य की निर्बाध शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने हेतु मुंबई बीकेसी क्षेत्र में अर्थात अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के पावर केबल्स और ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) (एमटीएनएल) में मौजूदा भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न कार्य अक्टूबर 2021 में पूरे किए गए थे।

iii) इंजीनियरिंग कार्यशाला में सभी प्रमुख सिविल एवं विद्युत कार्यों का स्थानांतरण/परिवर्तन जनवरी 2022 में पूरा कर लिया गया है और संपत्ति पश्चिम रेलवे को सौंप दी गई है। इसके अलावा, फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में भी, सभी प्रमुख कार्य पूर्ण हो चुके हैं और मशीनों को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।

iv) गेरातपुर से साबरमती (लगभग 15 किलोमीटर का खंड) के बीच दूरसंचार अवसंरचना, सिग्नलिंग केबल तथा गियर्स को स्थानांतरित करने और परिवर्तित करने का कार्य जनवरी 2022 में पूरा हो गया है। इस कार्य में क्वाड केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी), और मल्टी पेयर केबल, और लोकेशन बॉक्स सहित लगभग 1200 किलोमीटर सिग्नलिंग केबल बिछाना और उन्हें भारतीय रेलवे के ट्रेन संचालन को बाधित किए बिना परियोजना के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से बाहर स्थानांतरित करना शामिल हैं।

<u>निर्माण</u>

v) मणिनगर में स्थित सभी 90 नए क्वार्टरों (टाइप II - 84 और टाइप III - 06) का निर्माण; और वटवा में रनिंग रूम व ट्रैक मेंटेनेंस सेंटर; नवंबर 2021 में पूरा किया गया है और पश्चिम रेलवे को सौंप दिया गया है।

vi) प्रताप नगर और डी-केबिन, वडोदरा में स्थित एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण के कारण प्रभावित संरचनाओं के बदले 60 टाइप II रेलवे क्वार्टर क्रमशः जुलाई 2021 और जनवरी 2022 में पश्चिम रेलवे / एनएआईआर को सौंपे गए थे।

vii) अहमदाबाद में आरयूबी-2 (डीईएमयू शेड के पास) के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

viii) सी5 और सी6 सिविल पैकेजों के एच.एस.आर. संरेखण में वायडक्ट निर्माण के कार्यों को सुविधाजनक बनाने हेतु 18 मीटर लंबाई और 6.0 मीटर x 4.5 मीटर आकार के रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) को दिसंबर 2021 में सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक (अहमदाबाद-वडोदरा लाइन और गोधरा-वडोदरा लाइन के बीच कॉर्ड लाइन को जोड़ने) पर 6 प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्स लॉन्च करके सफलतापूर्वक चालू किया गया था।

झ. एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान (एच.एस.आर.टी.आई.) बनाया जा रहा है। इस संस्थान में जापान के शिन शिराकावा में स्थिति ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर-ईस्ट) के हाई

स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे ड्राइवर सिमुलेटर, ट्रैक सर्किट, ओएचई में सम्मिलित विद्युत् आपूर्ति, सैंपल ट्रैक आदि। उक्त एच.एस.आर.टीआई वडोदरा में एच.एस.आर. से संबंधित ज्ञान का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है तथा भारत में भविष्य में बनाए जाने वाले अन्य हाई स्पीड कॉरिडोरों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह भी काम करेगा।

वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी के बीच, संस्थान ने एच.एस.आर. के विभिन्न विषयों / पहलुओं पर कुल 2,584 श्रम घंटों के लिए 258 कर्मचारियों को ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया था यथा सामान्य प्रबंधन से लेकर तकनीकी विषयों तक। इसके अलावा, नए कर्मचारियों को कंपनी की संस्कृति, लोकाचार, कार्यों, नियमों और नीतियों को समझने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरण प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण ज्यादातर कंपनी के भीतर डोमेन विशेषज्ञों से लिए गए इन-हाउस संकायों द्वारा प्रदान किया गया था। चूंकि एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवन को अब कोविड-19 महामारी के लिए क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए कंपनी ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) को पट्टे के आधार पर छात्रावास भवन का एक हिस्सा प्रदान किया है, जो पीएम गतिशक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परिवहन और रसद पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है।

ञ. विद्युत आपूर्ति स्रोत के क्रियाकलाप

आपकी कंपनी को, एक "मानद लाइसेंसधारी" के रूप में, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से एम.ए.एच.एस.आर. [ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस): 14 नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन (डीएसएस): 15 नंबर] में विभिन्न सबस्टेशनों के लिए कनेक्टिविटी / कनेक्शन प्रदान कर दिया है।

वर्ष के दौरान, पारेषण लाइन कार्यों में प्रमुख भौतिक प्रगति हासिल की गई है [अर्थात महमदाबाद टीएसएस (लगभग 55 किमी) और वडोदरा टीएसएस (लगभग 15 किमी) के लिए 90% पूर्णता, और खाड़ी वृद्धि कार्य [अर्थात गुजरात में 1 टीएसएस और महाराष्ट्र में 2 डीएसएस] उक्त बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

ट. भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

i) संयुक्त मापन सर्वेक्षण (जेएमएस) रिपोर्ट के आधार पर, 2021-22 के दौरान और 31 मार्च 2022 तक अधिग्रहित भूमि की स्थिति के साथ एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की आवश्यकता इस प्रकार है:

राज्य	प्रभावित गांवों की संख्या	पूर्ण जेएमएस*	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में) / भूखंड (संख्या में)					अधिग्रहीत		टिप्पणियां
			सरकारी	निजी	भारतीय रेल	वन	कुल	2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 तक संचयी	
गुजरात	198	198	84.46 हेक्टेयर/ 998	741.12 हेक्टेयर/ 6324	125.87 हेक्टेयर/ 41	2.83 हेक्टेयर/ 10	**954.28 हेक्टेयर/ 7373**	27.68 हेक्टेयर	**942.50 हेक्टेयर**	सहमति एवं नियमित अवार्ड के माध्यम से 732.32 हेक्टेयर की निजी भूमि शामिल है
महाराष्ट्र	97	96	61.93 हेक्टेयर/ 310	274.41 हेक्टेयर/ 2410	1.63 हेक्टेयर/ 12	95.85 हेक्टेयर/ 200	**432.82 हेक्टेयर/ 2936**	193.48 हेक्टेयर	**298.34 हेक्टेयर** **	प्रत्यक्ष खरीद विधि और नियमित पुरस्कार के माध्यम से 239.74 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (डीडी और डीएनएच)	2	2	0.38 हेक्टेयर/ 9	7.52 हेक्टेयर/ 134	0	0	**7.90 हेक्टेयर/ 143**	0.25 हेक्टेयर	**7.90 हेक्टेयर**	नियमित पुरस्कार के माध्यम से
कुल	**297**	**296***	**146.77 हेक्टेयर/ 1317**	**1023 हेक्टेयर/ 8868**	**127.50 हेक्टेयर/ 53**	**98.68 हेक्टेयर/ 210**	**1396 हेक्टेयर/ 10452**	221.41 हेक्टेयर	**1248.74 हेक्टेयर**	

* वर्ष खत्म होने के बाद, महाराष्ट्र के शेष एक गांव में भी जेएमएस का कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण में आने वाले सभी 297 गांवों में जेएमएस का कार्य पूरा कर लिया गया है।

** 110 हेक्टेयर के लिए कब्जा ले लिया गया है।

ii) 31 मार्च 2022 तक निजी भूमि के लिए 8197.74 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा [गुजरात में और डीडी व डीएनएच में: 5913.47 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में: 2284.27 करोड़ रुपये] वितरित किया गया है।

पेसा ग्राम सभा बैठक, पालघर, महाराष्ट्र

ठ. पर्यावरणीय आंकलन, वैधानिक अनुमतियाँ और वृक्ष प्रत्यारोपण:

आपकी कंपनी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में [अर्थात वन अनुमोदन (चरण I) और तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी, दोनों 2019-20 में] और गुजरात राज्य में [अर्थात 2018-19 में तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी और 2019-20 में वन मंजूरी (चरण II)] मंजूरी प्राप्त करने के अलावा, 2021-22 के दौरान पर्यावरण और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में निम्नानुसार प्रगति की है:

i) वन मंजूरी - चरण II की मंजूरी हेतु अनुपालन रिपोर्ट 2020-21 के दौरान प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव की वन विभाग, महाराष्ट्र के पास जांच चल रही है।

वृक्षारोपण कार्य, गुजरात

ii) आपकी कंपनी पर्यावरण के संरक्षण हेतु विभिन्न कदम उठा रही है जैसे आरओडब्ल्यू (गैर-वन क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वनरोपण, जिसमें उनकी देखभाल एवं निगरानी भी शामिल है। यह वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेड़ों के लिए वन विभाग (अर्थात वन वृक्ष) के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भुगतान एवं विभिन्न पर्यावरण निकायों को वन्यजीव, सीआरजेड और मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किए गए भुगतान के अतिरिक्त है।

31 मार्च 2022 तक, कंपनी ने 7,896 पेड़ लगाए हैं, और विभिन्न स्थानों पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण के संदर्भ में अतिरिक्त 77,775 पेड़ लगाए गए हैं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, अप्रैल 2022 में, आपकी कंपनी को दो संरक्षित स्मारकों (अर्थात सिदी बसीर की मीनार और मकबरे (शेकिंग) और कालूपुर, अहमदाबाद में ईंट मीनार) के विनियमित क्षेत्र के भीतर एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के निर्माण के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए)/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त हुई है।

ड. पुनर्वास कार्य योजना

सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) / पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट, जेआईसीए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है, जिसे अगस्त 2018 में जेआईसीए को प्रस्तुत किया गया था। परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी) के साथ एक आरएपी बनाई गई है, ताकि परियोजना के प्रभावों का आंकलन किया जा सके और प्रभाव को कम करने के उपायों को विकसित कर योजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) को मुआवजा प्राप्त करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) सहायता के साथ दूसरे उपायों जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक मानक और जीविकोपार्जन क्षमता को सुधारने के उपाय हैं, में सहायता दी जा रही है।

परियोजना के लिए प्रस्तावित आमदनी नवीकरण योजना (आईआरपी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएच) की आमदनी को परियोजना पूर्व स्तरों या उससे अच्छी स्थिति तक विकसित करना है और यह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में पी.ए.एच. के पुनर्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएएच के पास उनकी वर्तमान गतिविधियों एवं कौशलों का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनने का अवसर होगा। सभी पीएएच को उपलब्ध विकल्पों के बारे में उचित जानकारी हो और उन्हें भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है।

आपकी कंपनी ने 2021-22 में कौशल संवर्धन प्रशिक्षण हेतु पीएएच के लिए आय बहाली योजना (आईआरपी) को जारी रखा है।

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के लिए गुजरात में लगभग सात संस्थानों और महाराष्ट्र में चार संस्थानों को चुना गया है। 31 मार्च 2022 तक, लगभग 703 पीएपी को {2153 पीएपी में से जिन्होंने आईआरपी के तहत प्रशिक्षण के लिए इच्छा दर्शाई है} विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत किया गया था।

गुजरात में आईआरपी के तहत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए

31 मार्च 2022 तक, संचयी 483 पीएपी [351 पीएपी गुजरात - अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा और भरूच जिलों में और महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में 132 पीएपी] ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। शेष पीएपी भी उत्तरोत्तर प्रशिक्षण से गुजरेंगे।

आर एंड आर पुरस्कार [स्थानांतरण के लिए परिवहन भत्ता शामिल; निर्वाह अनुदान; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी के खिलाफ एकमुश्त सहायता; घर, छोटी दुकानों, पशुशाला आदि के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता; नई संपत्ति की खरीद पर पीएपी को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि], व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर, पात्रता मैट्रिक्स, सामाजिक और पर्यावरण विचार 2010 की जेआईसीए नीति, और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के प्रत्येक पीएएच के लिए शुरू किया गया है।

2021-22 के दौरान, 1028 भूखंडों के लिए आर एंड आर पुरस्कार [अर्थात गुजरात राज्य में 894 भूखंडों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश डीडी एवं डीएनएच में 134 भूखंडों के लिए] घोषित किए गए हैं। इसके साथ, 31 मार्च 2022 तक घोषित संचयी आर एंड आर पुरस्कार 6143 भूखंडों [अर्थात

गुजरात राज्य में 6009 भूखंड और केंद्र शासित प्रदेश डीडी और डीएनएच में 134 भूखंड] के लिए घोषित किए गए हैं।

ढ. सामाजिक विकास कार्य

आपकी कंपनी विकास जरुरतों के लिए विभिन्न हितधारकों के अनुरोध की पूर्ति हेतु अपने परियोजना क्षेत्र से संबद्ध कई सामाजिक विकास कार्य (एसडीडब्ल्यू) कर रही है। एसडीडब्ल्यू के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। ये एसडीडब्ल्यू पुनर्वास और पुनर्स्थापन, मुआवजा और सीएसआर पहल के अतिरिक्त हैं।

31 मार्च, 2021 तक 35.31 लाख रुपये की राशि का उपयोग विभिन्न गतिविधियों जैसे व्हीलचेयर दान, जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता, चिकित्सा केंद्र खोलने आदि के लिए किया गया था; और महाराष्ट्र के पालघर जिले के 23 गांवों में ग्राम विकास योजना (वीडीपी) कार्यों के लिए 2019-20 में 15.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

31 मार्च 2022 तक उक्त वीडीपी पहलों की स्थिति निम्नानुसार है:

i) 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पालघर जिले के 23 गांवों में निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन, पालघर को लगभग 3.40 करोड़ रुपये (15.60 करोड़ रुपये में से) जारी किए हैं:

वसई तालुका - स्कूल में पेयजल सुविधा, सोलर हाईमास्ट इरेक्शन, रुफ शीट और चारदीवारी;

पालघर तालुका - आंगनवाड़ी, आदि में मरम्मत कार्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में कक्षा/ सामुदायिक हॉल / कंक्रीट रोड / शेड का निर्माण;

नवनिर्मित कनेक्टिंग रोड, विराथन खुर्द, महाराष्ट्र

दहानु तालुका - सड़क / सामुदायिक हॉल / पुलिया / बहुउद्देशीय केंद्र का निर्माण , ग्राम पंचायत परिसर का विकास, आदि;

तालासारी तालुका - सामुदायिक हॉल / कंक्रीट रोड / कक्षा / आंगनवाड़ी हॉल और चारदीवारी आदि का निर्माण।

ii) एक गांव अर्थात विराथन खुर्द में वीडीपी में जोड़ने वाली सड़क का सुधार एवं डामरीकरण (ब्लैक टॉप रोड) का कार्य 2021-22 में पूरा कर लिया गया है। 22 गांवों में उक्त अन्य कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

ण. सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने एक सुदृढ़ सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जिसका पालन इसके सभी ठेकेदार, सलाहकार तथा स्वयं एम.एच.एस.आर.सी.एल. द्वारा भी किया जाता है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं:

i) सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन नियमावली (एसएचई मैनुअल) प्रत्येक निविदा दस्तावेज का हिस्सा है जिसके तहत सभी सलाहकारों और ठेकेदारों के लिए एसएचई अनुपालन अनिवार्य है।

उक्त एसएचई मैनुअल में सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना (एसएचई योजना), निर्माण पर्यावरण प्रबंधन योजना (सीईएमपी), सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), अस्थायी यातायात नियंत्रण योजना (टीसीपी), और एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना जैसे विभिन्न एसएचई प्रबंधन अनिवार्यताएं और सबमिशन शामिल हैं।

प्रदान किए गए कार्य पैकेजों के लिए एसएचई मैनुअल में अनिवार्यताओं के अनुसार संबंधित ठेकेदारों द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं। सलाहकार और एनएचएसआरसीएल द्वारा इसकी समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद, इन्हें दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

ii) सभी कार्य स्थलों पर नियमित निरीक्षण, लेखापरीक्षा (आंतरिक / बाहरी), प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, जांच और आवधिक निगरानी के ज़रिए एसएचई प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

iii) एसएचई समितियों की मासिक बैठकें; एसएचई टीम एवं शीर्ष प्रबंधन (जिसमें इंजीनियर, ठेकेदार और एनएचएसआरसीएल के अधिकारी शामिल हैं) द्वारा कार्यकारी सुरक्षा वॉक डाउन; और ठेकेदार द्वारा दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रिपोर्टिंग के ज़रिए एक प्रभावी संचार और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करके प्रधान कार्यालय, साइट कार्यालयों, ठेकेदारों और सलाहकारों के बीच उचित संचार बनाए रखना।

iv) मानव संसाधन के क्षमता निर्माण एवं उनके निरंतर विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरण / ओरिएंटेशन से शुरू होने वाले विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन होगा।

त. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

i) गुणवत्ता आश्वासन:

गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य से नामित ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेज (जैसे कार्य गुणवत्ता प्रबंधन योजना, कार्य स्थल गुणवत्ता प्रबंधन योजना, डिज़ाइन गुणवत्ता प्रबंधन योजना, खरीद गुणवत्ता प्रबंधन योजना, और विनिर्माण गुणवत्ता प्रबंधन योजना, आदि) तैयार किए जा रहे हैं और संबंधित निविदा के नियमों और शर्तों / एफआईडीआईसी शर्तों के अनुसार यह कंपनी या इंजीनियर [अर्थात टीसीएपी] द्वारा प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए अलग-अलग अनुमोदित किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक अनुबंध पैकेज हेतु वर्ष के दौरान ठेकेदारों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न अन्य दस्तावेज, अर्थात ऑन-साइट प्रयोगशाला प्रबंधन योजना, ऑफ-साइट प्रयोगशाला प्रबंधन योजना, और अपतटीय प्रयोगशाला प्रबंधन योजना, अनुमोदन के अधीन हैं।

ii) आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा:

पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार त्रैमासिक आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा की प्रणाली भी है। गुणवत्ता इंजीनियरों के साथ ठेकेदार की अलग टीम द्वारा लेखापरीक्षा आयोजित की जाती हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को इंजीनियर और एनएचएसआरसीएल के साथ साझा किया जाता है, और ठेकेदार की प्रबंधन टीम की त्रैमासिक बैठकों में भी चर्चा की जाती है।

अन्य हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) कॉरिडोर परियोजनाएं

आपकी कंपनी रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित सात एच.एस.आर. कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम जारी रखे हुए है:

i) दिल्ली-वाराणसी एच.एस.आर. (942 किमी) (लखनऊ से अयोध्या तक 124 किमी के स्पर सहित);
ii) दिल्ली-अहमदाबाद एच.एस.आर. (873 किमी);
iii) मुंबई - नागपुर एच.एस.आर. (766 किमी);
iv) मुंबई - हैदराबाद एच.एस.आर. (671 किमी);
v) चेन्नई - मैसूर एच.एस.आर. (469 किमी);
vi) दिल्ली - अमृतसर एच.एस.आर. (539 किमी) तथा

vii) वाराणसी - हावड़ा एच.एस.आर. (792 किमी)

आपकी कंपनी द्वारा कुछ हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजीज (ट्रैक, सिग्नलिंग , दूरसंचार, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी), रोलिंग स्टॉक और डिपो सिस्टम सहित) का अध्ययन करने हेतु सलाहकार नियुक्त किए हैं। सलाहकार (अर्थात मैसर्स डीबी इंजीनियरिंग) ने जुलाई 2021 में अपनी रिपोर्ट का अंतिम संस्करण प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में निहित जानकारी ने एनएचएसआरसीएल द्वारा तैयार किए जा रहे भारत में विभिन्न एच.एस.आर. कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने में मदद की।

इन कॉरिडोरों के संबंध में डीपीआर कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

क. दिल्ली- वाराणसी एच.एस.आर. कॉरिडोर:

पहला संस्करण: 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 200 किमी प्रति घंटे और 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिज़ाइन के साथ दो डीपीआर प्रस्तुत किए थे। उक्त रिपोर्ट को आंतरिक रूप से तैयार किया गया था और संरेखण उपग्रह डेटा पर आधारित था।

अंतिम संस्करण: 2021-22 के दौरान, कंपनी ने समीक्षा हेतु रेलवे बोर्ड को 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिज़ाइन के साथ डीपीआर प्रस्तुत किया है। 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए उक्त अंतिम रिपोर्ट भी आंतरिक रूप से तैयार की गई थी जिसमें सामाजिक प्रभाव आकंलन एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन के साथ-साथ लीडार डेटा के आधार पर अंतिम संरेखण विवरण था।

ख. मुंबई-नागपुर एच.एस.आर. और दिल्ली-अहमदाबाद एच.एस.आर. कॉरिडोर:

कंपनी ने इन दो एच.एस.आर. कॉरिडोरों के लिए 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति हेतु संरेखण डिज़ाइन के साथ डीपीआर का मसौदा तैयार किया है। इन रिपोर्टों को सामाजिक प्रभाव आकंलन, पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन के अध्ययन के साथ-साथ लीडार डेटा के आधार पर अंतिम संरेखण विवरण के साथ इन-हाउस तैयार किया गया है।

मुंबई-नागपुर एच.एस.आर. कॉरिडोर: मसौदा डीपीआर रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंप दिया गया है। उक्त मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और अंतिम प्रस्तुति हेतु आदान और मंजूरी प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है।

<u>दिल्ली-अहमदाबाद एच.एस.आर. कॉरिडोर</u>: मसौदा डीपीआर का काम पूरा हो गया है। उक्त मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए आदान और मंजूरी प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. अन्य चार एच.एस.आर. कॉरिडोर

अन्य चार एच.एस.आर. कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य विभिन्न चरणों में है:

i) **<u>मुंबई - हैदराबाद एच.एस.आर.:</u>**

क) प्रारंभिक मार्ग विकास आदि हेतु अंतिम संरेखण डिज़ाइन और डेस्कटॉप अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

ख) जीएडी, यातायात सर्वेक्षण, संचालन योजना, स्टेशन आर्किटेक्चर कार्य आदि प्रगति पर हैं।

ग) आर्किटेक्चरल संकल्पना की रुपरेखा तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

घ) रिपोर्ट पूर्ण होने के उन्नत चरण में है।

<u>भू-तकनीकी कार्य, पालघर, महाराष्ट्र</u>

ii) **<u>चेन्नई - मैसूर एच.एस.आर.:</u>**

क) प्रारंभिक मार्ग विकास के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है।

ख) हितधारक चर्चा; अन्य गतिविधियां (यानी ईआईए रिपोर्ट, आदि) से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

ग) लीडार फ्लाइंग के अंतर्गत संरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तथा शेष गतिविधियां संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद शुरू होंगी।

iii) **<u>वाराणसी - हावड़ा एच.एस.आर. :</u>**

क) प्रारंभिक मार्ग विकास हेतु डेस्कटॉप अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है।

ख) हावड़ा में संरेखण की समाप्ति का कार्य महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, विभिन्न हितधारकों के साथ संरेखण के विकल्प एवं चर्चा; अन्य गतिविधियां (यानी ईआईए रिपोर्ट, आदि) प्रगति पर हैं।

ग) लीडार फ्लाइंग के अंतर्गत संरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तथा शेष गतिविधियां संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद शुरू होंगी।

iv) <u>दिल्ली - अमृतसर एच.एस.आर.:</u>

क) प्रारंभिक मार्ग विकास के लिए डेस्कटॉप अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है।

ख) हितधारकों के साथ चर्चा; अन्य गतिविधियां (यानी ईआईए रिपोर्ट, आदि) प्रगति पर हैं।

ग) टोही सर्वेक्षण जारी है।

घ) संरेखण को अंतिम रुप दिया जा रहा है, और शेष गतिविधियां संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद शुरू होंगी।

ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जुलाई 2022 में एसआईए हेतु निविदा भी सौंपी गई है।

उपरोक्त चार एच.एस.आर. कॉरिडोरों के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य विभिन्न चरणों में है। उपरोक्त चार कॉरिडोरों के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सभी ठेके दिए गए हैं, स्टेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को छोड़कर, जो बाद में एच.एस.आर. स्टेशन स्थान की उपलब्धता और लीडार सर्वेक्षण और डेटा प्रोसेसिंग के बाद अंतिम संरेखण डिज़ाइन के आधार पर संचालन योजना के विवरण के अनुसार जारी किया जाएगा।

वित्तीय रुपरेखा

क. वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताओं के साथ निष्पादन

आपकी कंपनी ने अभी तक अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है। इस वर्ष के दौरान, कोई परिचालन आय नहीं हुई है, हालांकि, कंपनी ने 121.38 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया है।

<u>वित्तीय प्रदर्शन संकेतक:</u>

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1.	परिचालन आय	**शून्य**	शून्य
2.	अन्य आय	**123.18**	36.93
3.	कर-पूर्व लाभ	**105.14**	25.40
4.	करोपरांत लाभ	**83.93**	22.43
5.	निवल मूल्य	**13,351.85**	10,721.35
6.	प्रतिधारित आय के लिए स्थानांतरण	**80.51**	20.60

ख. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपकी कंपनी ने 2021-22 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय रु. 72,238.78 लाख है।

ग. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जीओआई), गुजरात सरकार (जीओजी) और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में योगदान करेगी। कंपनी को एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे समय-समय पर जे.वी. भागीदारों / प्रमोटरों से इक्विटी अंशदान प्राप्त होता है, और तदनुसार उन्हें समान रक़म के शेयर आवंटित किए जाते हैं।

31 मार्च 2022 तक, आपकी कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी 12,930 करोड़ रुपये है जिसे भारत सरकार (यानी 10,000 करोड़ रुपये - भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामितों के नाम पर संघटित) और गुजरात सरकार (यानी 2,930 करोड़ रुपये - गुजरात के राज्यपाल के नाम पर संघटित) द्वारा योगदान दिया गया है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी ने गुजरात सरकार को 1,000 रुपये के 20,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

अनुपालन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

i) **जमा**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

ii) **अंतर-कॉर्पोरेट ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण**

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 186 अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कोई भी अंतर-कॉरपोरेट ऋण प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं प्रदान की है या कोई निवेश (सुरक्षित या असुरक्षित) नहीं किया है।

iii) **संबंधित पक्ष के लेन-देनों का प्रकटीकरण**

संबंधित पक्ष के लेन-देनों का विस्तृत प्रकटीकरण, वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में नोट सं. 32 के तहत दिया गया है।

iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई **क्रेडिट रेटिंग** प्राप्त नहीं की है।

v) चूंकि आपकी कंपनी अभी निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अतः 2021-22 के दौरान शेयरधारकों के लिए किसी प्रकार के **लाभांश** की अनुशंसा नहीं की गई है।

vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, **कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।**

vii) ये वित्तीय विवरण जिस अवधि से संबंधित हैं, उस वित्तीय वर्ष के समापन तथा रिपोर्ट करने की तारीख के बीच, ऐसे कोई **वस्तुगत बदलाव और वादे नहीं** हुए हैं, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले हों।

viii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **लागत रिकार्डों का अनुरक्षण** लागू नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और तदनुसार कोई भी परिचालन टर्नओवर नहीं है।

ix) **सचिवीय मानक अनुपालन**

आपकी कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

x) **जोखिम प्रबंधन**

आपकी कंपनी एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। कंपनी अभी गुजरात राज्य में सिविल निर्माण पैकेज के साथ निर्माण चरण में है, तथा संबद्ध ठेकेदारों द्वारा निर्माण गतिविधियों को पूरे जोरों पर शुरू किया जा रहा है। कंपनी नियमित आधार पर परियोजना से जुड़े जोखिम की पहचान, जोखिम आंकलन, जोखिम प्रबंधन और शमन हेतु पर्याप्त कदम उठा रही है। आपकी कंपनी जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

जहां तक संपत्ति और कुछ देनदारियों से जुड़े जोखिमों का संबंध है, संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समय पर और अनुशंसित उपाय करने के अलावा, इस तरह के जोखिमों को बीमा कंपनियों से उचित मूल्य के बीमा कवर प्राप्त कर संपत्तियों के जोखिम को कम किया गया है।

वित्तीय जोखिमों के संबंध में, कंपनी द्वारा समय-समय पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित लेखा परीक्षा के अलावा चार्टर्ड

एकाउंटेंट्स की बाहरी फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में शामिल करके पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाये गए हैं। आंतरिक नियंत्रणों एवं उपायों में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सीएंडएजी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सिफ़ारिशें समय-समय पर लागू की जाती हैं।

xi) समीक्षा अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों ने ऐसा कोई भी **महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश नहीं पारित** किया है जो जारी व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित करे।

xii) **ऊर्जा संरक्षण और ग्रीन हाई स्पीड रेल**

2021-22 के दौरान, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) एच.एस.आर. ग्रीन रेटिंग का पायलट वर्जन लॉन्च किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण को अपनाने वाले प्रावधानों को, सी5 सिविल पैकेज [अर्थात वडोदरा स्टेशन से जुड़े सिविल एवं भवन निर्माण कार्यों के लिए]; डी2 डिपो पैकेज [अर्थात साबरमती डिपो के लिए]; सी7 सिविल पैकेज [अर्थात अहमदाबाद तथा साबरमती स्टेशन से जुड़े सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए]; और सी8 सिविल पैकेज [यानी डिपो के लिए सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए] डिजाइन आवश्यकता मानदंड (डीआरसी) और तकनीकी विनिर्देश (टीएस) में शामिल किया गया है।

एच.एस.आर. में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु साबरमती यात्री हब टर्मिनल भवन की छत पर सौर पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए ओपीपीएल डीईएल एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड के साथ 700किलोवाट पावर (रेस्को मॉडल) विकसित करने हेतु बिजली क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

xiii) **प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास**

आपकी कंपनी ने एक ट्रस्ट यानि हाई स्पीड रेलवे इनोवेशन सेंटर (एचएसआरआईसी) का गठन किया है जिससे भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर हाई-स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हो, ताकि स्वदेशी क्षमताओं और लागत प्रभावी समाधानों के विकास के माध्यम से रेल परिवहन, एक खुशहाल समाज, और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए योगदान दे सके। एच.एस.आर.आई.सी. ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया था जिसमें भारत और विदेश दोनों से अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख व्यक्तियों

को शामिल किया गया था उदाहरण के लिए, आईआईटी, आरटीआरआई एवं टोक्यो विश्वविद्यालय।

सलाहकार परिषद ने एच.एस.आर. के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए निम्नलिखित छः प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है:

क्र. सं.	परियोजना	कार्यान्वयन संस्थान	प्रगति
(i)	ट्रैक्शन विद्युत आपूर्ति के स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास	क) आईआईटी दिल्ली ख) आईआईटी रुड़की, ग) आईआईटी मुंबई और आईआईएससी बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से	समय-समय पर आवश्यक बैठकें एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।
(ii)	ओएचई पेंटोग्राफ इंटरेक्शन के डिजाइन सत्यापन के लिए स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास	क) आईआईटी मद्रास का उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एएमटीडीसी) ख) आईआईटी दिल्ली ग) आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से	इन परियोजनाओं का पहला चरण 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है। अगले चरण में उक्त प्रत्येक परियोजना हेतु सिमुलेशन मॉडल, आवश्यक परियोजना विशिष्ट परीक्षण और सत्यापन की योजना बनाई गई है।
(iii)	एचएसआर और रेलवे अनुप्रयोगों के लिए प्रबलित पृथ्वी का डिजाइन (आरई) दीवार को बनाये रखना और आरई की सीमा डिजाइन	आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी तिरुपति द्वारा संयुक्त रूप से	
(iv)	हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) पर विस्तृत अध्ययन	क) आईआईटी खड़गपुर ख) आईआईटी मद्रास	
(v)	एचएसआर अनुप्रयोगों के लिए अग्नि सुरक्षा और अग्निरोधी सामग्रियों का अध्ययन करना	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए)	प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और कार्यान्वयन संस्थान से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

क्र. सं.	परियोजना	कार्यान्वयन संस्थान	प्रगति
			उक्त रिपोर्ट पर कंपनी विचार कर रही है।
(vi)	एच.एस.आर. वायडक्ट डिज़ाइन का अनुकूलन	--	परियोजना मूल्यांकन के अधीन है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदान किए जाने की उम्मीद है।
(vii)	भारत में नए एच.एस.आर./सेमी एच.एस.आर. कॉरिडोर के चयन हेतु वैज्ञानिक मॉडल का विकास	--	परियोजना प्री-आरएफपी चरण में है। परियोजना के दायरे को अंतिम रूप देने के लिए विषय विशेषज्ञों, प्रोफेसरों और एनएचएसआरसीएल अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। कार्यशाला के परिणाम के आधार पर, परियोजना की आवश्यकताओं को अनुसंधान संस्थानों को समझाया जाएगा, और इच्छुक अनुसंधान संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

31 मार्च 2022 तक, उपरोक्त आर एंड डी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी द्वारा ट्रस्ट को लगभग 5.05 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की राशि वितरित की गई है।

ख. 2021-22 के दौरान कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 151 के तहत आपकी कंपनी को कोई **अध्यक्षीय निर्देश** प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम, सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

आमतौर पर आरटीआई के प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, नियुक्ति तथा बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में सामान्य सूचनाएँ, इत्यादि से संबंधित होते हैं और उनका जवाब सामान्यतः नियत समय में दे दिया जाता है। वर्ष के दौरान, प्राप्त सभी 124 आवेदनों (11 प्रथम अपील आवेदनों सहित) का निस्तारण कर दिया गया है।

कास्टिंग यार्ड का विकास कार्य प्रगति पर, वडोदरा, गुजरात

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया है, इनमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं ग़लतियों की रोकथाम एवं पहचान करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी के संचालन आकार, पैमाने और जटिलताओं के अनुरूप है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग

क. पीएमआईएस के क्षेत्र में

वास्तविक समय में निर्बाध अनुबंध एवं लागत नियंत्रण, प्रगति की निगरानी, संबंधित हितधारकों को प्रामाणिक जानकारी के एकल स्रोत को बनाए रखना बड़ी परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना एक मेगा लीनियर रेल परिवहन परियोजना है जिसमें सिविल एवं अन्य इंजीनियरिंग जटिलताएं सम्मिलित हैं, अन्य बड़ी गतिविधियों में अंतर्निहित आपसी निर्भरता हैं। यह परियोजना विभिन्न प्रकार के भूभागों, भौगोलिक एवं मानव निर्मित क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इस परियोजना से डिज़ाइन, ड्राइंग, निरीक्षण हेतु अनुरोध (आरएफआई), पत्र आदि सहित बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ एवं डेटा उत्पन्न होने की अपेक्षा है। इस तरह के डेटा को व्यवस्थित करने हेतु लचीला मॉड्यूलर एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम आवश्यक है। कार्य निष्पादन की आवश्यकता के अनुसार आसान

पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने और जटिल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु सिस्टम की आवश्यकता है।

इसलिए, एम.ए.एच.एस.आर. की प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण हेतु आंतरिक वित्तीय तथा मानव संसाधन मॉड्यूल के साथ एकीकृत डिजिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली या परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को दस्तावेजों/डेटा के केंद्रीकृत संचालन के साथ क्रियान्वित किया गया है। सभी हितधारक / उपयोगकर्ता यानी ठेकेदार, पीएमसी एजेंसियां, नियोक्ता, सलाहकार पीएमआईएस के साझा प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं और साइट व अन्य कार्यालयों से सिस्टम/प्रक्रियाओं को रीयल-टाइम आधार पर अपडेट करते हैं। साइट से या पारगमन के दौरान अधिगम और कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया गया है।

संपूर्ण एकीकृत पीएमआईएस प्रणाली में प्रिमावेरा यूनिफायर, पी6, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए एनालिटिक्स और ईबीएस संबंधित मॉड्यूल शामिल हैं। प्रिमावेरा के भाग में मुख्यतः यूनिफायर शामिल हैं; जहां पी6 मुख्य रूप से परियोजना के निष्पादन संबंधी प्रक्रियाओं को कवर करता है, जबकि ईबीएस मॉड्यूल मानव संसाधन, वित्त एवं माल/सेवाओं/कार्यों की खरीद से संबंधित आंतरिक विभागीय कार्य को कवर करता है। ईबीएस पेरोल, आई-एक्सपेंस (कर्मचारी क्लेम एवं प्रतिपूर्ति का प्रबंधन) और जटिल क्रय मॉड्यूल के साथ यूनिफायर यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ सिस्टम को संवर्धित किया जा सकता है। इन अतिरिक्त मॉड्यूल का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जून 2022 में शुरू हो गया है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एनएचएसआरसीएल ने पीएमआईएस तथा ईबीएस मॉड्यूल की ऑन-प्रिमाइसेस स्थापना के लिए रेल-टेल डेटा सेंटर से होस्टिंग सेवाएं प्राप्त की हैं। उपरोक्त मॉड्यूल अब कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी सीपीएम कार्यालयों सहित सभी इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तैनात किए गए प्रिमावेरा यूनिफायर मॉड्यूल को आवश्यकता के अनुसार ईबीएस फाइनेंशियल और प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के साथ भी एकीकृत किया गया है। सतत प्रशिक्षण, सुधार और विकास कार्य प्रासंगिक उद्योग व्यवस्था और अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रणाली को और अधिक अनुकूलित किया गया है।

ख. प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के क्षेत्र में

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात:

1. मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एनएचएसआरसीएल में आईटी बुनियादी ढांचे की भेद्यता आंकलन एवं प्रक्रिया लेखापरीक्षा जुलाई 2022 में पूरी कर ली गई है। लेखापरीक्षा में कंपनी के सर्वर,

फायरवॉल, स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) कंट्रोलर एवं अन्य नेटवर्क उपकरण शामिल हैं। अंतिम रिपोर्ट 2022-23 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

2. कंपनी हेतु साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सीईआरटी-इन को सौंपा गया है। सीसीएमपी में महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना का विवरण, साइबर सुरक्षा के लिए समर्पित आईटी सेल का प्रस्तावित ढांचा, संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) का विवरण, साइबर से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए तत्परता और दिशानिर्देशों आदि का विवरण शामिल है। उक्त सीसीएमपी को सीईआरटी-इन द्वारा अप्रैल 2022 में अनुमोदित किया गया है।
3. आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, निर्माण एवं संचालन में डिजिटल परिवर्तन से पूरे जीवन चक्र में संपत्ति के निर्माण के लिए जानकारी को बनाए रखने और प्रबंधित करने हेतु हाई-एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) सर्वर और संबंधित सॉफ्टवेयर क्रय किये गए हैं।

मानव संसाधन (एचआर)

आपकी कंपनी मानव संसाधनों को बहुत महत्व देती है। कंपनी की एचआर नीतियाँ, उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अपने साथ जोड़ने का उद्देश्य रखती हैं। कर्मचारियों को पीएसयू, मैट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से नियुक्त किया जाता है या सामान्य तौर पर केंद्र / राज्य सरकारों के विभागों और केंद्रीय / राज्य पी.एस.यू. आदि से प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

आपकी कंपनी की जनशक्ति 31 मार्च 2021 को 313 (67 प्रतिनियुक्तियों सहित) से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 399 (75 प्रतिनियुक्तियों सहित) हो गई है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवार हेतु विभिन्न स्वास्थ्य जांच शिविरों और टीकाकरण अभियान का आयोजन किया, इसके अलावा कर्मचारियों के लिए विभिन्न कर्मचारी कल्याण के उपायों, जैसे कर्मचारियों के लिए एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन और कुर्सियाँ, कार्यस्थल पर कम आवाज वाला धूल-रहित वातावरण; कर्मचारियों के लिए पूल यातायात; एक विशेष उम्र के उपरांत कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा; आदि मुहैया कराई।

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा (जेएलपीटी) देना भी जारी रखा है।

आपकी कंपनी, महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और शोषण के मामलों की जांच करने के

लिए, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। समिति ने निश्चित अंतराल पर बैठकें कीं। 2021-22 के दौरान, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न के बारे में अधिकारियों को जागरूक करने के लिए, कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जिसमें महिलाओं से संबंधित प्रेरक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को साझा किया गया।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को पोषित करती है और उनका सम्मान करती है एवं रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कर्मियों के पेशेवर विकास के लिए नियमित राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी देती है। 2021-22 के दौरान, दो (2) कर्मचारियों ने 'मानव संसाधन विश्लेषण पर प्रतिनिधिमंडल और कोचिंग कार्यशाला के माध्यम से प्रभावी नेतृत्व' विषय पर घरेलू प्रशिक्षण में भाग लिया; और पांच (5) महिला कर्मचारियों ने एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के अलावा महिला अधिकारियों के व्यवहारिक विकास के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी 'अपनी खुद की क्षमता का दोहन - भीतर समृद्ध और सशक्त बनाना'; में भाग लिया।

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा टेनिस और बैडमिंटन टूर्नामेंट जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

सतर्कता

श्री शैलेश कुमार मिश्रा, 1 सितंबर 2021 से कंपनी के पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किए गए हैं।

त्वरित प्रसंस्करण हेतु, विभिन्न प्रकार की सतर्कता मंजूरी को वस्तुगत से ई-ऑफिस में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी वास्तविक समय में सतर्कता शिकायत ट्रैकिंग और सूचना प्रणाली के लिए एक समर्पित पोर्टल की अवधारणा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी द्वारा दिल्ली एवं परियोजना कार्यालयों में विभिन्न पहल/जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिरों की सुरक्षा) प्रस्ताव के अंतर्गत कंपनी के सभी कार्यालयों में व्हिसल ब्लोअर की शिकायत दर्ज करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु विशेष अभियान; कर्मचारियों में ई-अखंडता प्रतिज्ञा की अवधारणा को बढ़ावा देना; खेलों का आयोजन (यानी साइक्लोथॉन और वॉकथॉन); और अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों के प्रसार हेतु सांस्कृतिक गतिविधियाँ (नाटक) और सतर्क भारत की दृष्टि पर जोर देना, आदि।

इस संदर्भ में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने हेतु कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान "निवारक सतर्कता" और "नैतिक कार्य संस्कृति" पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, आईटी को निवारक सतर्कता के साधन के रूप में बढ़ावा देने हेतु निविदाओं (जेआईसीए / गैर जेआईसीए कार्य) को वस्तुगत से एनआईसी के ई-निविदा पोर्टल में बदल दिया गया है। आंतरिक आवश्यकता के लिए अधिकांश माल की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

लोगो, पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी को 2021-22 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

1. व्यवसाय उत्कृष्टता, परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता, विकास, उत्पादन, निवेश एवं रोजगार सृजन, सीएसआर, आत्म निर्भर भारत, अनुसंधान व नवाचार, आदि में समग्र योगदान हेतु संगठन के प्रयासों और उपलब्धियों के लिए गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित 'राष्ट्र निर्माण' की श्रेणी में 8वां पीएसयू पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 29 जुलाई 2021 को आयोजित एक आभासी पुरस्कार समारोह में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी द्वारा प्रदान किया गया था।

8वां पीएसयू अवार्ड 2021

2. विश्व संचार परिषद (डब्ल्यूसीसी) के तत्वावधान में भारतीय जनसंपर्क परिषद (पीआरसीआई) द्वारा आयोजित सोशल मीडिया का सर्वोत्तम प्रयोग - सोशल मीडिया के ज़रिए सूचना के प्रसार में योगदान हेतु आदर्श। यह पुरस्कार 18 सितंबर 2021 को गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोविंद गौडे, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री, गोवा, द्वारा प्रदान किया गया।

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न इनडोर तथा आउटडोर खेलों के आयोजन के साथ सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और कम मेहमानों की उपस्थिति में 12 फरवरी 2022 को अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया।

आपकी कंपनी ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत अपने पहले से पंजीकृत प्रतीक चिन्ह के साथ-साथ संक्षिप्त नाम 'एनएचएसआर' के विभिन्न अन्य प्रारूपों को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।

विज़न और मिशन

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपने विज़न और मिशन के रूप में अपनाया है:

I. विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया करना।

II. मिशन:

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

बोर्ड समितियां

क. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

आपकी कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिचालन लाभ अर्जित नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्यों को करने के उद्देश्य से एक बोर्ड स्तर की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया है, जिसे 'सीएसआर समिति' के रूप में जाना जाता है। उक्त समिति की सहायता नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा की जा रही है।

सीएसआर समिति, इसकी संरचना, उपस्थिति, सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि के बारे में विवरण 'सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट' में दर्ज हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट - I** के रूप में संलग्न हैं।

ख. अन्य समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ सहपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार आपकी कंपनी को संयुक्त उपक्रम की असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात में 40 मीटर फुल स्पैन गर्डर की लॉन्चिंग

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के साथ सहपठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति व लेखा परीक्षा समिति का गठन भी नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत) का गठन लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास 1000 से कम सदस्य/शेयरधारक हैं।

तदनुसार, कंपनी के पास ये तीन समितियां नहीं हैं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की वास्तविक भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, संचालन संबंधी नैतिक प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर फोकस के साथ सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को लागू करती है।

निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना

31 मार्च 2022 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में नौ (9) निदेशक हैं, यानी पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (यानि प्रबंध निदेशक (एमडी), निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक और निदेशक

विद्युत् एवं प्रणाली) तथा रेल मंत्रालय के द्वारा तीन (3) मनोनीत निदेशक (अंशकालिक अध्यक्ष समेत) तथा गुजरात सरकार के द्वारा एक (1) मनोनीत निदेशक है।

ख. वर्ष के दौरान निदेशक पद में परिवर्तन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(3) के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का निदेशक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे निदेशक पहचान संख्या आवंटित नहीं किया गया हो। तदनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने के बाद ही की जाती है।

कंपनी के ऑर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार बोर्ड में निदेशकों को केंद्र सरकार / राज्य सरकार (रों) द्वारा नामित किया जाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क) 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए श्री अचल खरे की जगह पर श्री सतीश चंद्र अग्निहोत्री, प्रबंध निदेशक के रूप में 1 जुलाई 2021 से बोर्ड में शामिल हुए।

ख) गुजरात सरकार ने श्री एच.सी. मोदी को श्री पी. आर. पटेलिया के स्थान पर अंशकालिक निदेशक नामित किया है। श्री मोदी 12 नवंबर 2021 को बोर्ड में शामिल हुए।

ग) रेल मंत्रालय (एमओआर), भारत सरकार, ने 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए श्री सुनीत शर्मा की जगह श्री वी. के. त्रिपाठी, सीआरबी एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड, को कंपनी का अंशकालिक अध्यक्ष नामित किया है। श्री त्रिपाठी 20 जनवरी 2022 को बोर्ड में शामिल हुए।

घ) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, लेकिन तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि जो भी बाद में हो, से अधिक बाद नहीं।

सुश्री अंजू रंजन 23 अक्टूबर 2021 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद पर नहीं रहीं। रेल मंत्रालय ने सुश्री पेटल ढिल्लन को दिनांक 23 दिसंबर 2021 के पत्र के ज़रिए अंशकालिक निदेशक नामित किया है।

उक्त नियम 3 को धारा 152 के साथ सुसंगत रूप से क्रियान्वित करने पर, सुश्री पेटल ढिल्लन 27 जनवरी 2022 को कंपनी के बोर्ड में उस तिथि को डीआईएन प्राप्त करने के पश्चात शामिल हुई।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद:

क) एमओआर पत्र दिनांक 7 जुलाई 2022 के संदर्भ में, श्री सतीश चंद्र अग्निहोत्री ने एमडी के पद का प्रभार त्याग दिया है, और श्री राजेंद्र प्रसाद, निदेशक परियोजना, ने अपने स्वयं के पद के अलावा, एमडी के पद का प्रभार 7 जुलाई 2022 को ग्रहण किया है।

ख) रेल मंत्रालय ने सुश्री पेटल ढिल्लन के स्थान पर जो दिनांक 18 जून 2022 से निदेशक पद पर नहीं रहीं, सुश्री अन्विता सिन्हा को अंशकालिक निदेशक नामित किया है। सुश्री सिन्हा 12 जुलाई 2022 को बोर्ड में शामिल हुई हैं।

ग. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण, आपकी कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशक, सरकार की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, व्यावसायिक महंगाई भत्ता (आईडीए)/ केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार द्वारा तथा शामिल होने वाले राज्य सरकारों (कंपनी के पेड-अप शेयर पूँजी में शेयर होने पर) के द्वारा नामित, मनोनीत निदेशकों को कंपनी में निदेशक की भूमिका निभाने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों की तरह संबंधित सरकार (रों) से केंद्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) वेतनमान के तहत पारिश्रमिक दिया जाता है।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी

कंपनी के बोर्ड के द्वारा प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त (और सीएफओ), निदेशक चल स्टॉक और निदेशक विद्युत् एवं प्रणाली तथा कंपनी सचिव को, कंपनी अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी घोषित किया गया है।

ङ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-22 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकें यानि 4 जून 2021, 31 अगस्त 2021, 23 सितंबर 2021, 24 दिसंबर 2021 और 25 मार्च 2022 को हुई हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (16.11.2021 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री विनय कुमार त्रिपाठी (डीआईएन - 09463988) अध्यक्ष और सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (20 जनवरी 2022 से प्रभावी)	1	1	प्रयोज्य नहीं
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद* (डीआईएन - 08006234)	प्रबंध निदेशक एवं निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)	5	5	हाँ
3.	श्री अरुण बिजलवान (डीआईएन - 08012372)	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक)	5	5	हाँ
4.	श्री विजय कुमार (डीआईएन - 08205585)	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)	5	5	हाँ
5.	श्री संदीप कुमार (डीआईएन - 08206781)	निदेशक विद्युत एवं प्रणाली (पूर्णकालिक निदेशक)	5	5	हाँ
6.	श्री रविंद्र नाथ सिंह (डीआईएन - 08488013), प्रधान कार्यकारी निदेशक/इन्फ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत)	5	5	हाँ
7.	श्री हरेशकुमार चंदूलाल मोदी (डीआईएन - 08626316), मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं अपर सचिव, सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत) (12 नवंबर 2021 से प्रभावी)	2	2	हाँ

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (16.11.2021 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
8.	सुश्री अन्विता सिन्हा (डीआईएन - 09670512), कार्यकारी निदेशक पश्चिम (गज संवर्ग), रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (12 जुलाई 2022 से प्रभावी)	प्रयोज्य नहीं		
9.	श्री अचल खरे** (डीआईएन - 07576351)	प्रबंध संचालक (पूर्णकालिक निदेशक) (15 सितंबर 2016 से 30 जून 2021 तक पद पर रहे)	1	1	प्रयोज्य नहीं
10.	सुश्री अंजू रंजन (डीआईएन - 06681154), कार्यकारी निदेशक (वित्त) / एक्स-I, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (14 अक्टूबर 2019 से 22 अक्टूबर 2021 तक पद पर रहीं)	3	3	प्रयोज्य नहीं
11.	श्री प्रभातकुमार रमणलाल पटेलिया (डीआईएन - 06480313) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं अपर. सचिव, सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत) (15 जून 2018 से 11 नवंबर 2021 तक पद पर रहे)	3	3	प्रयोज्य नहीं
12.	श्री सुनीत शर्मा (डीआईएन - 08596091) अध्यक्ष और सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (19 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पद पर रहे)	4	4	हाँ

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (16.11.2021 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
13.	सुश्री पेटल ढिल्लन (डीआईएन - 09481402), कार्यकारी निदेशक/ व्यापार विकास, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (27 जनवरी 2022 से 17 जून 2022 तक पद पर रहीं)	1	1	प्रयोज्य नहीं
14.	श्री सतीश चंद्र अग्निहोत्री (डीआईएन - 01637856)	प्रबंध संचालक (पूर्णकालिक निदेशक) (1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2022 तक पद पर रहे)	4	4	हाँ

* श्री राजेंद्र प्रसाद, निदेशक परियोजना, ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 7 जुलाई 2022 के पत्र के अनुसार, अपने स्वयं के पद के अलावा, प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

** श्री अचल खरे ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 20 अप्रैल 2017 के पत्र के अनुसार प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले वे 15 सितंबर 2016 से 20 अप्रैल 2017 तक कंपनी के समन्वय निदेशक (अर्थात नामित निदेशक) थे।

सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव, ने 2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी की सभी बोर्ड बैठकों और एजीएम में भाग लिया।

आचार संहिता और नैतिकता

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए, आचार संहिता एवं आचार नीति बनाई है, जो 1 जून 2018 से प्रभावी है तथा जो काम से जुड़े मुद्दों से निपटने और कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन देती है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल ने, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की अपनी पुष्टि प्रदान की है।

सामान्य बैठकें

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 16 नवंबर 2021 को दोपहर 1630 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था।

ख. 2021-22 के लिए, कंपनी की प्रस्तावित 6वीं एजीएम का आयोजन निम्न विवरण के साथ नियत किया गया है:

दिन - गुरुवार
तारीख - 22 दिसंबर 2022
समय - 1700 बजे
स्थान - रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nhsrcl.in है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना की स्थिति सहित परियोजना के तकनीकी विवरण, एस.आई.ए. / आर.ए.पी. तथा आई.पी.पी. रिपोर्ट, निविदाएं, विभिन्न रिक्तियां एवं उनके लिए की गई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दादर और नगर हवेली के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा आदि समेत कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियाँ आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में (अंग्रेजी भाषा के अलावा) हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी भाषा में उपलब्ध हैं।

कंपनी की वार्षिक विवरणी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - https://nhsrcl.in/hi/about-us/annual-report

लेखा परीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने 2021-22 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा 2021-22 के लिए मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों, को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2021-22 हेतु कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मैसर्स अशोक श्याम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, मेटीरियल डिपार्चर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और लगातार उनका प्रयोग किया जाता है और उचित एवं दूरदर्शी फैसले किए गए और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि पर उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

iii) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनकी पहचान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) जारी व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखांकन किया गया है। और

v) लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने लिए उचित प्रणाली बनाई गई थी और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है।

अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के साथ पठित, प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट / दस्तावेज इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा हैं, और इन्हें यहां परिशिष्टों के रूप में क्रमांकित किया गया है :

1. 2021-22 हेतु सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट **परिशिष्ट 1**
2. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट 2**

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि 23 अक्टूबर 2021 से महिला निदेशक के निदेशक पद की रिक्ति के बाद, अगला पदाधिकारी 27 जनवरी 2022 को बोर्ड में शामिल हुआ।

इस मामले को 'वर्ष के दौरान निदेशक पद में परिवर्तन' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या (बी) (डी) में स्पष्ट/समझाया गया है।

आभार

हम कंपनी का लगातार समर्थन करने के लिए भारत सरकार, जापान सरकार, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों; महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, भारत एवं जापान के राजदूतों एवं दूतावासों; पासपोर्ट प्राधिकरण; नीति आयोग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), जेईटीआरओ के अधिकारियों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स (जेआईसी), जेआर ईस्ट के अधिकारियों; और विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के कर्मचारियों की कंपनी के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी की भावना के साथ काम करने की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)	**(अरुण बिजलवान)**
प्रबंध निदेशक और	**निदेशक वित्त**
निदेशक परियोजना	**[डीआईएन: 08012372]**
[डीआईएन: 08006234]	

दिनांक : 23.11.2022*
स्थान : नई दिल्ली

* *26.08.2022 को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित निदेशकों की रिपोर्ट, और एजीएम के दिन, तिथि और समय में संशोधन 'बुधवार, 28.09.2022 को 1130 बजे' **से** 'गुरुवार, 22.12.2022 को 1700 बजे' बीओडी द्वारा 23.11.2022 **को** अनुमोदित।*

परिशिष्ट -- 1

2021-22 की सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के संदर्भ में प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने कर्मचारियों/ भागीदारों की भागीदारी के ज़रिए नैतिकता, समावेशिता, पारदर्शिता और शासन हेतु उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन हेतु एक प्रणाली तय की है, जिससे क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत के पश्चात, स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (एक नामित निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया है। उक्त समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर एजेंडा की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की संरचना में श्री एच.सी. मोदी, अंशकालिक निदेशक, अध्यक्ष के साथ श्री राजेंद्र प्रसाद, निदेशक परियोजना (वर्तमान में प्रबंध निदेशक एवं परियोजना निदेशक), और श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त, सदस्य; और समिति सचिव के रुप में सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव शामिल रहीं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यानी 18 अगस्त 2021 को और 22 मार्च 2022 को सीएसआर समिति की दो (2) बार बैठक हुई। 2021-22 के दौरान उपस्थिति विवरण के साथ हुई बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान आयोजित	भागीदार
1	श्री एच.सी. मोदी (प्रभावी 12.11.2021)	अंशकालिक निदेशक (और अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	1	1

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान आयोजित	भागीदार
2	सुश्री अंजू रंजन (22.10.2021 तक)	अंशकालिक निदेशक (और अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	1	1
3	श्री राजेंद्र प्रसाद	निदेशक परियोजना (वर्तमान में प्रबंध निदेशक एवं परियोजना निदेशक) (और सदस्य, सीएसआर समिति)	2	2
4	श्री अरुण बिजलवान	निदेशक वित्त (और सदस्य, सीएसआर समिति)	2	2

श्री अंजुम परवेज (पीईडी/ योजना एवं विकास) और नोडल अधिकारी, सीएसआर, अनुमोदित सीएसआर प्रस्तावों के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी में सीएसआर समिति का स्टीयर/ संवीक्षा के साथ-साथ सहायता करते हैं।

2021-22 के दौरान आयोजित कंपनी की समिति की उक्त बैठकों में नोडल अधिकारी और कंपनी सचिव दोनों ने हिस्सा लिया।

3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर दी जाती है:

वेब-लिंक इस प्रकार हैं:

क) सीएसआर समिति की संरचना - https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives

ख) सीएसआर नीति (समय-समय पर संशोधित) - https://nhsrcl.in/sites/default/files/2021-10/CSR%20Policy_August%202021.pdf

ग) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं - https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आंकलन का विवरण: प्रयोज्य नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7(3) के अनुसरण में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए आवश्यक राशि का विवरण:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
वि. व. - 1	2020-21	-- प्रयोज्य नहीं --		
वि. व. - 2	2019-20			
वि. व. - 3	2018-19			
कुल				

6. क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में **शुद्ध लाभ एवं अन्य विवरण:**

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष-1 2018-19**	**वित्त वर्ष-2 2019-20**	**वित्तीय वर्ष-3 2020-21**
1	कर पूर्व लाभ	62,95,16,488.66	70,88,15,442.43	25,39,49,050.09
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत परिगणित शुद्ध लाभ	62,95,16,488.66	70,88,15,442.43	25,39,49,050.09
3	सीएसआर नीति नियम, 2014 के नियम 2(1)(एच) के तहत परिगणित शुद्ध लाभ	-	-	-
4	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 हेतु कुल शुद्ध लाभ (अर्थात 2 - 3)	62,95,16,488.66	70,88,15,442.43	25,39,49,050.09

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों [अर्थात 2018-19, 2019-20, और 2020-21] के दौरान कंपनी का **औसत शुद्ध लाभ**: 53,07,60,327.06/- रुपये।

7. क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी का **सीएसआर बजट** 1,06,15,207/- रुपये है [अर्थात 53,07,60,327.06 रुपये के औसत शुद्ध लाभ का 2%]

ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से कोई अधिशेष नहीं है।

ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु किसी राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

घ) इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021-22 (7क+ 7क - 7ग) के लिए **कुल सीएसआर दायित्व** 1,06,15,207/- रुपये है।

8. क) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु **खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि :**

खर्च की गई राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि							
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि अर्थात जारी परियोजनाओं के लिए सुपुर्द राशि				धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत तहत निर्दिष्ट किसी भी राशि का हस्तांतरण				
	राशि (रुपये में)			स्थानांतरण की तिथि	राशि (रुपये में)			निधि का नाम	स्थानांतरण की तिथि
	हस्तांतरण किया जाना है	हस्तांतरित	अपूर्णता		हस्तांतरण किया जाना है	हस्तांतरित	अपूर्णता		
27,707	1,05,87,500	1,05,87,500	0	31 मार्च 2022	-- शून्य --				

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु **जारी परियोजनाओं पर खर्च** की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में खर्च की गई राशि (रुपये में)	परियोजना हेतु धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (हाँ / नही)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
											नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सीएसआर - 1/2021-22 तथा सीएसआर - 1/2022-23	मोतियाबिंद सर्जरी [अनुमानित रोगियों की सं. 350]	क्र. सं. VII (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	हाँ	ठाणे, महाराष्ट्र	दो वित्तीय वर्षों में	14,87,500	0	14,87,500	नहीं	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	सीएसआर 00001017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में खर्च की गई राशि (रुपये में)	परियोजना हेतु धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार-प्रत्यक्ष (हाँ / नही)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
											नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
2.	सीएसआर - 2/2021-22 तथा सीएसआर - 2/2022-23	मोतियाबिंद सर्जरी [अनुमानित रोगियों की सं. 1000]	क्र. सं. VII (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	हाँ	पालघर, महाराष्ट्र	दो वित्तीय वर्षों में	42,50,000	0	42,50,000	नहीं	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	सीएसआर 00001017
3.	सीएसआर - 3/2021-22 तथा सीएसआर - 3/2022-23 तथा सीएसआर- 3/2023-24	6 क्लास रूम और आईआईटी रुड़की परिसर में बधिरों के लिए अकादमी की पहली मंजिल पर स्थित कॉरिडोर को जोड़ने हेतु 1 फुटब्रिज का निर्माण।	क्र. सं. VII (ii) - विशेषतः विकलांगजनों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल का संवर्धन।	नहीं	रुड़की, उत्तराखण्ड	तीन वित्तीय वर्षों में	48,50,000	0	48,50,000	नहीं	आईआईटी रुड़की	सीएसआर00 003687
		कुल						**0**				

ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु **जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च** की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	**परियोजना आईडी**	**परियोजना का नाम**	**अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद**	**स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)**	**परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)**	**परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)**	**कार्यान्वयन का प्रकार- प्रत्यक्ष (हाँ/ नही)**	**कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (नाम और सीएसआर पंजीकरण संख्या)**
1.	सीएसआर - 4/2021-22	पीएम केयर्स फंड में योगदान	निधि में योगदान [क्र. सं. viii]	हाँ	राष्ट्रीय स्तर (अखिल भारतीय)	27,707	प्रत्यक्ष	प्रयोज्य नहीं
					कुल	**27,707**		

घ) **प्रशासनिक उपरिव्यय** पर खर्च की गई राशि : शून्य

ङ) **प्रभाव के आंकलन** पर खर्च की गई राशि : प्रयोज्य नहीं

च) - वित्तीय वर्ष 20221-22(8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए **खर्च की गई कुल राशि** : रु. 27,707/-

- वित्तीय वर्ष 20221-22 हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित **कुल प्रतिबद्ध राशि** : रु. 1,05,87,500/-

छ) समायोजन हेतु शेष राशि : शून्य

क्र.सं.	विशिष्ट	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1,06,15,207
(ii)	वित्तीय वर्ष हेतु कुल राशि: - व्यय = रु. 27,707 - अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि = रु. 1,05,87,500	1,06,15,207
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से सृजित अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0

ज) वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूची VII में निर्दिष्ट **निधि में अंतरित** की जाने वाली राशि (यदि वित्तीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित चालू परियोजना के लिए अव्ययित से अधिक है): शून्य

9. क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु अव्ययित सीएसआर राशि: शून्य

ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि: प्रयोज्य नहीं

10. पिछले तीन **वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि** से वित्तीय वर्ष में **शुरू की गई नई सीएसआर परियोजना** का विवरण -

क)	नई जारी परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि	: प्रयोज्य नहीं
ख)	जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य नई परियोजनाओं के संदर्भ में खर्च की गई राशि	: प्रयोज्य नहीं

11. **पूंजीगत संपत्ति का सृजन या अधिग्रहण** - वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के ज़रिए इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण)

क)	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	: अभी तक सृजन / निर्माण किया जाना है [अर्थात सीएसआर-3/2021-22; सीएसआर-3/2022-23; और सीएसआर-3/2023-24]
ख)	पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	: कंपनी द्वारा 2021-22 के दौरान 48,50,000/- रुपये की राशि की **प्रतिबद्धता** की गई है।
ग)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है - नाम, पंजीकृत पता, और सीएसआर पंजीकरण संख्या, आदि।	: क) प्रस्तावित पूंजीगत संपत्ति आईआईटी रुड़की के नाम पर निहित होगी। पता: आईआईटी रुड़की कैंपस, रुड़की - 247667, उत्तराखंड ख) आईआईटी रुड़की का सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR00003687 है।
घ)	सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण (संपत्ति का पूरा पता, पूंजीगत संपत्ति का स्थान) और पिन कोड सहित)	: 6 (छह) क्लास रूम और आईआईटी रुड़की परिसर में बधिरों के लिए अकादमी की पहली मंजिल पर स्थित कॉरिडोर को जोड़ने के लिए 1 (एक) फुटब्रिज का निर्माण आईआईटी रुड़की

परिसर, रुड़की, उत्तराखंड - 247667 में **प्रस्तावित** है।

12. **कारण,** यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का **दो प्रतिशत खर्च करने में विफल** रही है - प्रयोज्य नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)	(एच. सी. मोदी)	(अरुण बिजलवान)	(विजय कुमार)
प्रबंध संचालक एवं परियोजना निदेशक	**अंशकालिक निदेशक और अध्यक्ष, सीएसआर समिति**	**निदेशक वित्त एवं सदस्य, सीएसआर समिति**	**निदेशक चल स्टॉक और सदस्य, सीएसआर समिति**
[डीआईएन: 08006234]	**[डीआईएन: 08626316]**	**[डीआईएन: 08012372]**	**[डीआईएन: 08205585]**

दिनांक : 26.08.2022
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट -- 2

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054
फोन: 9810690633, 8527087435
ईमेल: rohatgi_co_secy@gmail.com
csdelhi84@gmail.com

प्रपत्र सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली-110077

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे मुझे कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने का एक उचित आधार मिल सके।

कंपनी के बहीखाता, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्रों तथा कंपनी द्वारा बनाए रखे गए रिटर्न तथा अन्य रिकार्ड के सत्यापन, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी पुष्टि करता हूं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र मौजूद है जो कुछ सीमा तक, तथा एतद्पश्चात रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा दर्ज किए गए बहीखाता, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा दाखिल किए गए रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम *लागू नहीं होते हैं।*

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम *लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।*

(iv) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं उपनियम *लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर उक्त अधिनियम के तहत उल्लिखित किसी भी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।*

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश *लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।*

(vi) अन्य लागू कानून, नियम एवं दिशानिर्देश जो कि यहां नीचे उल्लिखित है:

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, चेकलिस्ट एवं अन्य दस्तावेज
ख. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006
ग. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013
घ. लागू होने वाले पर्यावरण कानून
ङ. लागू होने वाले श्रम कानून

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का पालन किया है:

वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक 23/10/2021 को सुश्री अंजू रंजन की निदेशक पद की सेवा अवधि समाप्त हो गई थी, तथा सुश्री पेटल ढिल्लन को दिनांक 27/01/2022 को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया था। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, लेकिन तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के पश्चात नहीं, जो भी बाद में हो।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के लागू खंड के अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों की उचित संख्या रखते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के संदर्भ में पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडे पर विस्तृत नोट्स बैठकों से न्यूनतम सात दिन पूर्व भेजे गए थे तथा बैठक से पूर्व तथा बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु बैठक के एजेंडे पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बैठक से पहले एजेंडा पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु बैठकों में बहुमत से निर्णय लिया गया है। प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया कि चर्चा के लिए बोर्ड के समक्ष रखी गई किसी भी कार्यसूची मद पर किसी भी सदस्य ने असहमति नहीं जताई थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार तथा संचालन के संदर्भ में पर्याप्त प्रणाली तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 1,05,00,000 इक्विटी शेयर निर्गत किए गए और 2,30,00,000 इक्विटी शेयर गुजरात के राज्यपाल को निर्गत किए गए।

दिनांक : 26.08.2022
स्थान : नई दिल्ली

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए
पंजीकरण सं. P1995DE072900

दीपक कुमार
साझेदार
एम नं.: F10189
सीपी नं.:11372
यूडीआईएन: F010189D000854494

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054
फोन: 9810690633, 8527087435
ईमेल: rohatgi_co_secy@gmail.com
csdelhi84@gmail.com

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर-9, द्वारका, दिल्ली-110077

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय दस्तावेज पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय दस्तावेज की शुद्धता को लेकर आश्वासत होने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि सचिवीय दस्तावेज में दर्ज तथ्य सत्य हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते है कि हमने जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय दस्तावेज तथा लेखाबही की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा कार्यक्रमों आदि के बारे में प्रबंधन के अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।
5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देती है और न ही उस इसकी प्रभावशीलता का जिसके तहत प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

दिनांक : 26.08.2022
स्थान : नई दिल्ली

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए
पंजीकरण सं. P1995DE072900

दीपक कुमार
साझेदार
एम नं.: F10189
सीपी नं.:11372
यूडीआईएन: F010189D000854494

वित्तीय विवरण

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी सदस्यगण

राय

हमने **मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के संलग्नित इंड-एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें **31 मार्च, 2022** तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं। (इसके पश्चात् "इंड-एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित है)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी और भारत में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत स्वीकार्य भारतीय लेखा मानकों, संशोधित, ("इंड एएस") के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है

और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट से अलग सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में समावेशित जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट व शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त जानकारी के साथ असंगत हैं या फिर यह कोई गलत बयानी है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचनाओं के संदर्भ में गलत बयानी हुई है, तो हमें अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को दर्ज करना होता है। इस संदर्भ में रिपोर्ट करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उक्त सूचना लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जानी है।

इंड-एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत इंड-एएस अधिनियम और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, जैसा कि संशोधित है, सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप कंपनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं।

इस दायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन व उनको लागू करना; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि वितीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेवर निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आंकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हो या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी है कि क्या कंपनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।

- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आंकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कंपनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वितीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित समग्र वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन, और इस बात का भी आंकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों को दर्शाता हैं या नहीं।

हम अन्य मामलों के अलावा, हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तया सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक अनिवार्यताओं पर रिपोर्ट

1. हमने धारा 143 की उप धारा (5) के निर्देशानुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपेक्षित,अनुपालन को **"अनुलग्नक-क"** में दिया है।

2. केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कंपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, **"अनुलग्नक-ख"** में विवरणी दी है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तके कंपनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह में परिवर्तन संबंधी मामले विवरणी लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए, का अनुपालन करते हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, 'क्या कोई निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य है; के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

च) कंपनी की वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में “अनुलग्नक-ग” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

छ) अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लागू नहीं हैं;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों की नोट सं. 33 देखें।

ii. कंपनी के पास डरेव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी वस्तुगत हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. (क) अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, जो कि लेखांकन नोटों में खुलासा किया गया है, ऋण ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी भी प्रकार के फंड को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं में, अग्रवर्त या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस संदर्भ

के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या इसी तरह के अंतिम लाभार्थियों की ओर से (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 41 (vi) देखें);

(ख) अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, जो कि लेखांकन नोटों में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी, जो कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं (वित्तीय विवरण के लिए नोट 41 (vii) देखें); तथा

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) तथा (ख) के तहत प्रदत्त है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 515385
यूडीआईएन सं. : 22515385AQKJKH5694
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक - क"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक।

क्रमांक सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वितीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिससे यह माना जाए कि आईटी प्रणाली के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने हेतु कंपनी के पास प्रणाली मौजूद नहीं है। हमारे ऑडिट और प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमारी राय में सभी लेखांकन लेनदेन का लेखा आईटी प्रणाली के ज़रिए किया जाता है और खातों की अखंडता पर इसके वित्तीय प्रभाव हमारे द्वारा नहीं पाया गया।
(ii)	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/माफी/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित विवरण दिया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और इसलिए, पुनर्गठन, माफी या छूट या कर्ज या ऋण या ब्याज, आदि का कोई मामला नहीं है।

क्रमांक सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(iii)	क्या केंद्र / राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ मिलने वाली निधियों (अनुदान / सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/ उपयोग किया गया था? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए , संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त निधियों के लेखांकन/ उपयोग के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 515385
यूडीआईएन सं. : 22515385AQKJKH5694
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक - ख"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में अनुलग्नक:

(i) (क) क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है।

ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा इस तरह के सत्यापन के दौरान कोई वस्तुगत विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में खुलासा सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक / पट्टा विलेख (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है तथा पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) कंपनी के नाम पर किया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है, तुलन पत्र की तारीख को छोड़कर:

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	निम्न के नाम पर स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या उनका रिश्तेदार या कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
भूमि-फ्रीहोल्ड	3,83,239.64	- परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
भूमि-फ्रीहोल्ड	9,240.91	- गुजरात सरकार	हाँ	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
भूमि-लीजहोल्ड	11,486.75	- महाराष्ट्र सरकार	हाँ	वित्तीय वर्ष 2018-19	पट्टा समझौते का निष्पादन प्रक्रियाधीन है

* फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और सरकारी विभागों से अधिग्रहित भूमि शामिल है जिसे अलग-अलग तिथियों को अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण के लिए तिथिवार प्रकटीकरण इंगित नहीं किया गया है।

टिप्पणी: संपत्ति की मदों को छोड़कर जहां विलेख को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की जाती है।

(घ) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i) (ङ) के तहत इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(ii) (क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है। तदनुसार, क्रम के खंड (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है; इसलिए के खंड (ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण

के अनुसार, कंपनी ने अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार प्रदान किया है:

विवरण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम - कर्मचारी अग्रिम (रु. लाख में)
वर्ष के दौरान कुल राशि - अन्य पक्ष	14.22
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बकाया राशि - अन्य पक्ष	13.31

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान करने के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन की चुकौती और ब्याज का भुगतान किया गया है और चुकौती या प्राप्तियां नियमित हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में नब्बे दिनों से अधिक की कोई अतिदेय राशि नहीं है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान देय ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है, जिसे नवीनीकृत या विस्तारित किया गया हो या मौजूदा ऋणों के अतिदेय या ऐसे पक्षों को दिए गए ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों के निपटान के लिए नए ऋण दिए गए हों।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना।

(iv) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है, जिससे कंपनी पर अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू होता हो। तदनुसार आदेश के खंड (IV) के तहत प्रकटीकरण कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(v) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है; तदनुसार, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) हमारी जानकारी के अनुसार और जैसा कि स्पष्ट किया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(vii) (क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय सहित अविवादित वैधानिक देय राशि-वर्ष के दौरान सभी मामलों में कर, सीमा शुल्क, उपकर और कंपनी पर लागू अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशि को नियमित रूप से कंपनी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, माल व सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं है, जो 6 महीने से अधिक की अवधि से देय हो।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आयकर, सेवा कर, माल व सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है।

(viii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या अन्य ऋण या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (ix) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए खंड (x)(ए) आदेश लागू नहीं है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही तथा उचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी से कोई भी धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) कंपनी की खाताबही तथा अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड (xvi) के तहत रिपोर्टिंग (क), और (ख) आदेश लागू नहीं है।

(ख) कंपनी कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश का खंड (xvi)(ग) लागू नहीं होता है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और तदनुसार खंड (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं है।

(xvii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है। इसलिए, आदेश के खंड (xvii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xviii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के खंड (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xix) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और वित्तीय अनुपात, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली एवं वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के

साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हमारी राय है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि इस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां, कंपनी द्वारा देय होने पर और जब वे देय होंगी, उनका भुगतान कर दिया जायेगा।

(xx) (क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के तहत कोई राशि शेष नहीं है, जो चल रही परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य के संदर्भ में हो। इसलिए, आदेश के खंड (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के तहत अव्ययित 105.87/- लाख रुपये की राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाता स्थानांतरित कर दिया गया है।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 515385
यूडीआईएन सं. : 22515385AQKJKH5694
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक - ग"

(नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 (एफ़) के संदर्भ में अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतगर्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वितीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सके। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पतियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और जुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई) द्वारा 'वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी ("गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम उद्देश्यपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वितीय

रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वितीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वितीय रिपोटिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आंकलन करना, और आंकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आंकलन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वितीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हो, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उसकी स्थिति को सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों;

(2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार, इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वितीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ओवरराइड या अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करने की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री में किसी भी त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी विषयगत पहलुओं के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर निर्देशित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचाराधीन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी ढंग से परिचालन में थे।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अमन अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 515385
यूडीआईएन सं. : 22515385AQKJKH5694
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	8,20,695.15	5,55,879.31
	(ख) जारी पूँजीगत कार्य	4	10,19,727.97	2,72,586.26
	(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	5.1	7,008.10	1,742.27
	(घ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	5.2	-	1,558.66
	(ड) राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट	5.3	1,894.92	2,311.99
	(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
	(i) ऋण	6.1	27.66	16.41
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.2	534.44	231.57
	(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	338.72	383.41
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	6,48,048.47	3,57,302.04
			24,98,275.43	11,92,011.92
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
	(i) व्यापार प्राप्तियां	9.1	-	-
	(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	9.2	2,97,110.76	1,18,179.38
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	9.3	20,308.17	-
	(iv) ऋण	9.4	3.85	2.55
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9.5	1,016.77	810.77
	(ख) चालू-कर परिसंपत्तियां (निवल)	19	492.94	125.22
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	8,057.62	2,185.19
			3,26,990.11	1,21,303.11
	कुल परिसंपत्तियां		**28,25,265.54**	**13,13,315.03**
II.	**इक्विटी तथा देयता**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	12,93,000.00	9,58,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	42,185.29	1,14,134.55
			13,35,185.29	10,72,134.55
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर-चालू दायित्व**			
	(क) वित्तीय	13		
	(i) ऋण		-	-
	(ia) लीज देनदारियां	13.1	1,414.81	1,652.60
	(ii) व्यापार देय			
	(A) सूक्ष्म उद्यमों एवं छोटे उद्यमों की		-	-

राशि (रु. लाख में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	कुल बकाया राशि; तथा		-	-
	(B) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि।		-	-
	(iii) अन्य	13.2	13,20,523.08	2,04,463.49
	(ख) प्रावधान-गैर चालू	14	751.44	480.63
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	15	8.75	611.21
			13,22,698.08	2,07,207.93
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(क) वित्तीय	16		
	(i) ऋण		-	-
	(ia) लीज देनदारियां	16.1	682.03	808.20
	(ii) व्यापार देय	16.2		
	(A) सूक्ष्म उद्यमों एवं छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		-	-
	(B) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि।		-	-
	(iii) अन्य	16.3	1,43,207.75	19,748.62
	(ख) अन्य चालू दायित्व	17	23,213.76	13,240.77
	(ग) प्रावधान - चालू	18	278.63	125.72
	(घ) चालू कर दायित्व (निवल)	19	-	49.24
			1,67,382.17	33,972.55
	कुल इकिटी तथा दायित्व		**28,25,265.54**	**13,13,315.03**

सामान्य जानकारी	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2
वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट	1 से 43 तक

यह हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित तुलन पत्र है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

के लिए और निदेशक मंडल की ओर से

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I	प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	20	12,318.08	3,693.07
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**12,318.08**	**3,693.07**
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	194.29	155.17
	वित्तीय लागत	22	7.08	1.44
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	23	169.52	209.98
	अन्य व्यय	24	1,433.27	786.97
IV	**कुल व्यय (IV)**		**1,804.16**	**1,153.56**
V	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ /(हानि) (III-IV)**		**10,513.92**	**2,539.51**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**10,513.92**	**2,539.51**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	2,073.47	463.28
	(2) आस्थगित कर	25	47.20	(166.43)
IX	**चालू प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ (हानि) (VII-VIII)**		**8,393.25**	**2,242.66**
X	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि)		-	-
XI	असतत प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**8,393.25**	**2,242.66**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26	(10.03)	23.69
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26	2.52	(5.96)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि हेतु लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय)**		**8,385.74**	**2,260.39**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(सतत प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	7.01	2.67

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	7.01	2.66
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:** (असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:** (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	7.01	2.67
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	7.01	2.66

वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट 1 से 43 तक

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित लाभ तथा हानि विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

के लिए और निदेशक मंडल की ओर से

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		10,513.92	2,539.51
***समायोजन* :-**			
मूल्य ह्रास		169.52	209.98
आयकर पर ब्याज		4.32	-
ब्याज से आय		(12,114.46)	(3,410.03)
अन्य व्यापक मदें		(10.03)	23.69
लीज देयता पर ब्याज		2.23	278.38
वित्तीय आस्तियों पर ब्याज से आय		(19.64)	(18.47)
वित्तीय देनदारियों का परिशोधन		(65.43)	(58.09)
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		(243.12)	(48.13)
सुरक्षा जमा पर ब्याज की समाप्ति		-	123.81
उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा		0.25	0.05
प्रचालनात्मक पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**(1)**	**(1,762.44)**	**(359.30)**
समायोजन:			
वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)-अन्य		(509.90)	561.24
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)-अन्य		(5,890.42)	(2,556.43)
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)		12.17	18.45
वित्तीय परिसम्पत्तियों के ऋण में कमी / (वृद्धि)		(12.55)	(194.20)
वित्तीय दायितव में (कमी)/ वृद्धि-अन्य		1,19,360.09	23,772.71
प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		423.72	110.13
अन्य चालू दायित्व में (कमी)/ वृद्धि		9,972.99	12,636.57
अन्य गैर चालू दायित्व में (कमी) / वृद्धि		(602.46)	596.65
कुल समायोजन	**(2)**	**1,22,753.64**	**34,945.12**
प्रचालनों से सृजित नगदी	**(1+2)**	**1,20,991.20**	**34,585.82**
प्रदत्त आय कर		(2,494.75)	(196.23)
प्रचालनात्मक गतिविधियों से सृजित कुल नकदी	**(क)**	**1,18,496.45**	**34,389.59**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों तथा सीडब्लयूआईपी की खरीद		(10,14,856.07)	(3,48,382.75)
परियोजना कार्य एवं पूंजीगत वस्तुएँ हेतु पूँजी अग्रिम		(2,90,248.90)	(1,28,683.34)
नकद तथा नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(20,308.17)	53,000.00
ब्याज आय		12,135.13	4,158.61
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(ख)**	**(13,13,278.01)**	**(4,19,907.48)**

राशि (रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूँजी के निर्गमन से कार्यवाहियाँ		2,35,000.00	2,00,000.00
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन		20,000.00	1,00,000.00
शेयर निर्गमन व्यय		(377.50)	(240.00)
रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी के लिए अग्रिम		11,20,000.00	1,90,000.00
लीज देयता पर ब्याज		(154.07)	(278.38)
लीज देयता पर भुगतान		(755.49)	(987.91)
वित्तीय गतिविधियों से सजित निवल नकदी	**(ग)**	**13,73,712.94**	**4,88,493.71**
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		**1,78,931.38**	**1,02,975.82**
प्रारम्भिक नकदी तथा नकदी समतुल्य		1,18,179.38	15,203.56
अन्तिम नकदी तथा नकदी समतुल्य		**2,97,110.76**	**1,18,179.38**
निम्नलिखित से निर्मित नकदी तथा नकदी समतुल्य:			
उपलब्ध मुद्रा		-	-
बैंक में शेष:		-	-
- चालू खाता		24,679.60	8,381.70
- फ्लेक्सी खाते में		32,316.20	9,782.98
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित सावधि जमा		2,40,102.81	1,00,000.00
- अग्रदाय लेखा में		12.15	14.70
तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य		**2,97,110.76**	**1,18,179.38**

टिप्पणियाँ:-

नकदी प्रवाह विवरण कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस-7 में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान नोट 28 (ii) में प्रस्तुत किया गया है।

यह हमारे अद्यतन संलग्न में सन्दर्भित नकदी प्रवाह का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स **के लिए और निदेशक मंडल की ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	वर्तमान अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान अवधि के अंत में शेष राशि
शेयरों की संख्या (संख्या)	7,58,00,000	-	7,58,00,000	2,00,00,000	9,58,00,000.00
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	7,58,000	-	7,58,000	2,00,000	9,58,000.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	12,074.16	-	12,074.16
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	-	**12,074.16**	-	**12,074.16**
वर्ष हेतु लाभ	-	2,242.66	-	2,242.66
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निवल आय कर)	-	17.73	-	17.73
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	**2,260.39**	-	**2,260.39**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	3,00,000.00	3,00,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(2,00,000.00)	(2,00,000.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(200.00)	-	(200.00)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**14,134.55**	**1,00,000.00**	**1,14,134.55**

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स **के लिए और निदेशक मंडल की ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	वर्तमान अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान अवधि के अंत में शेष राशि
शेयरों की संख्या (संख्या)	9,58,00,000.00	-	9,58,00,000	3,35,00,000	12,93,00,000.00
शेयर पूंजी की राशि (राशि लाख रुपये में)	9,58,000.00	-	9,58,000	3,35,000	12,93,000.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	14,134.55	1,00,000.00	1,14,134.55
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	-	**14,134.55**	**1,00,000.00**	**1,14,134.55**
वर्ष हेतु लाभ	-	8,393.25	-	8,393.25
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निवल आय कर)	-	(7.51)	-	(7.51)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	**8,385.74**	-	**8,385.74**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	2,55,000.00	2,55,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(3,35,000.00)	(3,35,000.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(335.00)	-	(335.00)
वर्ष के अन्त में शेष	-	**22,185.29**	**20,000.00**	**42,185.29**

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स **के लिए और निदेशक मंडल की ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ (1 - 43)

1. सामान्य जानकारी

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड सं. 205, सेक्टर 9, द्वारका (दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली) नई दिल्ली-110077 है। यह कंपनी 12 फरवरी, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित हुई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं की योजना, रूपरेखा, विकास, निर्माण, प्रवर्तन, रखरखाव, प्रचालन तथा वित्त पोषण तथा / अथवा अपने किसी अन्य क्षेत्र में, स्वयमेव अथवा अधिग्रहण द्वारा अथवा रेल मंत्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार समस्त सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी माध्यम या माध्यमों के संयोजन के नये ट्रांजिट रूट का निर्माण है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 क) अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण यथासमय संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर तैयार किया गया है जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक द्वारा वांछित उचित मूल्य पर मापित किया गया है।

i. कुछ निश्चित वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापित किया गया है (नोट सं. 2.21 पर वित्तीय विलेख से सम्बद्ध लेखांकन नीति का संदर्भ लें)

ii. परिभाषित लाभ योजना तथा योजना परिसम्पत्तियाँ।

ग) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो: -

- सामान्य परिचालन चक्र में साधित होनी, या बेचने या उपभोग करने की अभिप्रेत;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर साधित होने की अपेक्षित है; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग की तारीख के कम से कम 12 महीनों बाद किसी दायित्व का आदान-प्रदान या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर- चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो: -

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने के अपेक्षित;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर निपटारा होने के कारण; या
- रिपोर्टिंग दिनांक के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर-चालू संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र प्रसंस्करण हेतु संपत्ति के अधिग्रहण और नकद व नकद समतुल्य में उनकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को बारह महीने तय किया है।

घ) आंकलन तथा निर्णय का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबन्धन के लिए निर्णय, आंकलन तथा अभिधारणाएँ निर्मित करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटन और आय तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे आंकलन में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भावी दायित्व और सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधानों आदि का आंकलन सम्मिलित है। वास्तविक परिणाम इन आंकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलन तथा निहित अभिधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन आंकलन में परिवर्तनों के कारण भावी परिणामों में भिन्नता हो सकती है और वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के मध्य के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणामों को ज्ञात / प्रकटित किया गया है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि के क्रम में, आंकलन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में सूचना, वित्तीय विवरणों में चिन्हित राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों के प्रयोग में अनिश्चितता तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

- **सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:** उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा मूल्य ह्रास के साथ की जाती है। जीवनकाल भावी घटनाओं के पूर्वानुमान तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है।
- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि पर दायित्वों के समायोजन हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।
- **आकस्मिक दायित्व / परिसम्पत्तियाँ:** प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियों के प्रकटन की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबन्धकीय अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।
- **गैर वित्तीय परिसम्पतियों का क्षति परीक्षण:** सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणा के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसम्पतियों का अभिज्ञान:** आस्थगित कर सम्पत्तियों का अभिज्ञान भावी कर योग्य आय की सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सके।
- **रोजगार पश्चात लाभ:** रोजगार लाभ दायित्वों का मापन जीवनांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्युता तथा आहरण दर और छूट की दर पर भावी विकास से सम्बद्ध पूर्वानुमान, वेतन वृद्धि की दरें तथा मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी विचार करती है कि दायित्वों के मापन में प्रयुक्त पूर्वानुमान उचित तथा प्रलेखित हैं। किन्तु इन पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन होने से परिणामी गणनाओं पर तात्विक प्रभाव पड़ता है।

ड़) सभी वित्तीय सूचनाएँ भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य रूप से कथित को छोड़कर समस्त मूल्य निकटतम लाख में प्रदर्शित किये जाते हैं।

राशियों को लाख रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। यदि योग करने में कोई अनियमितता राउंड ऑफ (निकटतमीकरण) के कारण है तो इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की गणना अप्रत्यक्ष विधि से की जाती है जिसके द्वारा गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित अदायगी या संग्रहण हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्य के अन्तर्गत उपलब्ध नकदी, वित्तीय संस्थानों में आदेश पर धारित जमा, अन्य अल्पकालीन, तीन माह की मूल परिपक्वता वाले उच्च तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरन्त परिवर्तनीय हों और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान दायित्वों में उधारियों के भीतर प्रदर्शित किया गया है।

2.3 प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरणों भारतीय रुपया (आईएनआर) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि कंपनी की प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देनों को लेन-देन के समय विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन की तिथि के समय लागू दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन के कारण होने वाले विनिमय के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों की माप न्यून संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबी क्षति की लागत पर, यदि कोई हो, की जाती है।

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष आरोप्य लागत

ii. यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो मदों के विनष्टीकरण और हटाने तथा उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य जिस पर वह स्थित है।

(ख) यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निस्तारण के समय अथवा परिसम्पत्ति के सतत प्रयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद का निस्तारण अथवा सेवामुक्ति से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को विक्रय कार्यवाहियों तथा परिसम्पत्ति की वाहक राशि के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

मूल्य ह्रास तथा ऋण परिशोधन

(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से प्रावधानित किया गया है।

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग को अलग-अलग मूल्यहासित किया जाता है, यदि उस मद की कुल लागत के सम्बन्ध में पुर्जे की लागत सार्थक है तथा उस पुर्जे का उपयोगी जीवन शेष परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ग) कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति

i. **कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति:** मोबाइल फोन को छोड़कर, कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

ii. **कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाइल फोन:** कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 2 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

iii. वापस न लेने के आधार पर कर्मचारियों को प्रदत्त ब्रीफ केस और लैंडलाइन उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति को भुगतान वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

(घ) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के सार्थक मदों की चालू तथा तुलनात्मक अवधि हेतु परिसम्पतियों का आन्कलित उपयोगी जीवन (कर्मचारियों को दी गई परिसम्पतियों के अलावा) निम्नलिखित है:

फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष
ईडीपी संपत्ति	3 वर्ष
कार्यालयी उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
बिल्डिंग	60 वर्ष
संकरी पत्थर की पटिया	15 वर्ष

(ङ) लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट्स (पट्टे की सम्पत्ति का निर्माण) उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं जिसमें इस तरह के सुधार को पूँजीकरण किया जाता है।

(च) मूल्यह्रास की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

2.5 अमूर्त परिसम्पतियाँ

क) प्रारंभिक मान्यता तथा माप

एक अमूर्त परिसम्पत्ति को तभी और केवल तभी मान्यता दी जाती है जहाँ यह सम्भावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो संपत्ति के लिए माना सकता है कंपनी की ओर प्रवाहित होगा और परिसम्पत्ति की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

कंपनी द्वारा खरीदी गई अमूर्त परिसम्पत्ति की कीमत प्रारंभिक मान्यता से गणना की जाती है। बाद में माप कम लागत पर संचित परिशोधन और संचित ह्रास घाटे से किये जाते हैं। मूल्य में अपने इच्छित उद्देश्य के लिए परिसम्पत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रत्यक्ष योगदान की लागत शामिल हैं।

विकास कार्यों पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होगा जब लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है, उत्पादन या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के वित्तीय लाभ संभव हैं और कंपनी का इरादा है और विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए व्यय को विकास की अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उद्देश्य के लिए तैयार न हों।

ख) परिशोधन

अमूर्त संपत्ति का परिशोधन निम्नानुसार किया जाता है:

1. सॉफ्टवेयर - ईआरपी के अलावा अन्य 3 वर्ष
2. सॉफ्टवेयर - ईआरपी 5 वर्ष
3. उपयोग के अधिकार की अवधि के दौरान भूमि के उपयोग के अधिकार का परिशोधन किया जाता है। वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है।

ग) तदंतर लागत

तदंतर व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि होने वाले लागत भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

घ) मान्यता वापस लेना

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब वापस ली जाती है जब उनके उपयोग या निपटान के माध्यम से कोई भविष्य के वित्तीय लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति के एक आइटम के निपटान में लाभ और नुकसान, लाभ-हानि विवरण में पहचाने गए अमूर्त परिसंपत्ति की मात्रा की तुलना करके निर्धारित किया जाता है।

2.6 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को बकाया संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के अधिग्रहण की गई राशि तथा उस तारीख से पहले अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार नहीं संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की लागत का खुलासा प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत् किया जाता है।

व्यय जिनकी पहचान प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के साथ की जा सकती है, को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "प्रगति पर पूंजीगत कार्य" में डेबिट कर दिया जाता है। कर्मचारी लाभ की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से संबद्ध अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना से प्रभारित किया गया है।

निर्माण की अवधि से जुड़े आय तथा अन्य आकस्मिक आय, जैसे कि ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त निधियों के तात्कालिक उपयोग से होने वाले को छोड़कर), निविदा प्रपत्रों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान होने वाले व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

2.7 भूमि

1. भूमि को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने हेतु फ्रेमवर्क द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जा किए गए भूमि पार्सल को कंपनी के नाम पर हक़ विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर जो भी पहले हो, पूंजीकृत किया गया है।
3. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, जब देय राशि देय हो तब बुक की जाएगी क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि से संबंधित अन्य खर्चों की लागत को भूमि की कीमत में जोड़ा जाता है।
5. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान / भूमि पर लीज-होल्ड भूमि सहित लागत, स्ट्रक्चर के अधिग्रहण की लागत कम हुई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय या मुआवजे के लिए प्रदान की गई बाध्यता के संगत प्रभाव को भूमि या लीज-होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
6. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान / अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रति प्रदान किए गए दायित्व का संगत प्रभाव भूमि के कब्जे की अवधि में परिशोधित होता है।
7. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) को भुगतान की गई राशि को शुरूआत में एडवांस फॉर लैंड (सीएएलए) माना जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए सीधे भूस्वामियों को सीएएलए खातों के माध्यम से

संवितरण भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि सीएएलए के साथ अग्रिम के रूप में दर्शाई जाती है।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) उन देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जिनका मापन केवल प्राक्कलनों का काफी हद तक उपयोग करके किया जा सकता है, जब:

i. पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान समय में दायित्व हो।

ii. आर्थिक लाभ को शामिल कर संसाधनों का संभावित प्रसार, उन दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित हो, तथा

iii. दायित्व की राशि का प्राक्कलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को प्रावधानों का पुनरावलोकन किया जा सकता है।

छूट का प्रावधान

जब राशि के समय-मूल्य का प्रभाव मेटेरियल हो, तो किसी प्रावधान की राशि उस दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है:

i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभावना नहीं हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का प्रसार अपेक्षित होगा, या

ii. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सकता है, या

iii. एक संभाव्य दायित्व, जबतक संसाधन के प्रसार की संभाव्यता क्षीण हो।

आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक देनदारी तथा प्रावधानों का पुनरावलोकन प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को किया जाता है।

ग) जब आर्थिक लाभ का प्रसार संभाव्य हो, तो आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाता है।

2.9 राजस्व की पहचान

क) <u>ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व</u>

i. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

ii. प्राप्त प्रतिफल या प्राप्त प्राप्य के उचित मूल्य पर ही राजस्व का मापन किया जाता है।

ख) <u>अन्य राजस्व की पहचान</u>

i. ब्याज आय की पहचान, प्रभावी ब्याज दर तरीके का उपयोग करके बकाया राशि तथा लागू योग्य ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर किया जाता है।

2.10 पट्टा

i. **पट्टाग्राही के रूप में**

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को शुरू में उस लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि में, कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत जिस पर वह स्थित है, के योग में से पट्टा प्रोत्साहन के रुप में प्राप्त हुई राशि को घटाना शामिल है।

इसके पश्चात, राइट-ऑफ-यूज़ एसेट को स्ट्रेट-लाइन विधि का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से लेकर राइट-ऑफ़-एसेट-एसेट के उपयोग की अवधि के अंत तक या लीज़ अवधि के अंत तक को घटाया जाता है। उपयुक्त-उपयोगी संपत्ति अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति, पौधों और उपकरणों के अनुमानित आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट कभी-कभी ह्रास के नुकसान, यदि कोई हो, से कम हो जाती है, और पट्टे की देयता की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाती है।

पट्टा देयता की गणना शुरू में लीज भुगतान की प्रारंभ तिथि पर की जाती है, जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो, और पट्टे में निहित ब्याज

दर का उपयोग करके छूट देकर, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर से की जाती है।

लीज देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है; जब किसी इंडेक्स या रेट में बदलाव से भविष्य के पट्टों के भुगतान में कोई बदलाव होता है, तो इसे पुनः मापा जाता है। जब इस तरह से पट्टा दायित्व को फिर से मापा जाता है, तो एक संगत समायोजन 'राइट ऑफ़ यूज़ ऑफ़ एसेटस की वहन राशि के लिए किया जाता है, या अगर सही उपयोग की परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो तो लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट प्रस्तुत करती है जो "अन्य उपयोगिताओं के अधिकार" और बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय दायित्वों के अधिकार" के तहत निवेश परिसंपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है।

<u>अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टा</u>

कंपनी ने अल्प अवधि पट्टों के लिए संपत्ति का उपयोग का अधिकार और लीज दायित्व को मान्यता नहीं देने का चयन किया है, जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और जो कम मूल्य की आस्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मानती है।

ii. <u>पट्टादाता के रूप में</u>

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में होती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व हेतु प्रासंगिक सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है या नहीं। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के रूप में है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर-पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल को आवंटित करने के लिए इंड एएस-115 "ग्राहकों से संविदा से राजस्व"

लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को पहचानती है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस -36 के अनुसार, वहाँ हानि का कोई संकेत है या नहीं, इसके विनिश्चय के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्च के रूप में लगाया जाता है। ह्रासित हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी उत्पादन इकाई की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। पूर्व के लेखांकन अवधियों में पहचाने गए ख़राबी संबंधी हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में कोई बदलाव आया है और ऐसी हानियाँ अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। लाभ तथा हानि के विवरण में ख़राबी संबंधी हानि को मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 उधारीकृत लागत

किसी परियोजना के लिए विशेषतः ऋण ली गई निधियों पर होने वाले ऋणकृत लागत और इनमें चिन्हित किए गए लागत को परियोजना के प्रारंभ होने के समय तक पूंजीकृत कर दिया जाता है या इसके किसी हिस्से को पूंजीकृत कर दिया जाता है और उसके उपरांत उसे उस विस्तार तक राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है, जिस विस्तार तक परिसंपत्तियाँ वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं।

2.13 कर्मचारी लाभ

क) <u>कम अवधि के कर्मचारी लाभ</u>

सेवा ग्रहण करने की तारीख से बारह महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को कम अवधि के कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे कि वेतन, मजदूरी, तथा कम अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों, एल.टी.सी. इत्यादि को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख) <u>दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ</u>

i. लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ, जैसे लंबी अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए दायित्वओं को उसी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जैसे कि परिभाषित लाभ योजनाओं के मामलों में किया जाता है, जैसे नीचे (ग) (ii) में उल्लिखित है।

ग) <u>सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ</u>

i. परिभाषित योगदानकारी योजनाएँ: कंपनी भविष्य निधि योजना, सी.जी.आई.एस. तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित योगदान करती है। इन योजनाओं के तहत् भुगतान किए गए/भुगतान योग्य योगदान की मान्यता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ: उपादान एक सेवानिवृत्ति उपरांत पारिभाषित लाभ योजना है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी, बैलेंस शीट की तारीख को पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर निकाला जाता है। पारिभाषित लाभ दायित्व की गणना एक स्वतंत्र गणक से की जाती है और प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पी.यू.सी.) तरीके का उपयोग किया जाता है।

घ) <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

"प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारी" के सेवानिवृति लाभों का लेखांकन रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

ङ) <u>पुन: मापन</u>

अनुभव लाभ के समायोजन से उत्पन्न लाभ और हानि, परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन जैसे कि उपादान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। उन्हें इक्विटी में बदलाव और बैलेंस शीट में प्रतिधारित लाभ में शामिल किया गया है।

2.14 चालू आयकर

i. किसी वर्ष के लिए कर पर होने वाले व्यय में चालू आयकर तथा विलंबित कर शामिल रहता है।

ii. चालू कर का मापन उस राशि पर किया जाता है, जिस राशि का भुगतान लागू कर की दरों का उपयोग करके कर प्राधिकारियों को किया जाना है।

iii. राशि की गणना करने के लिए कर की दर या कर संबंधी कानून वही होते हैं, जो

रिपोर्टिंग की तारीख को उन देशों में लागू रहते हैं या लागू होने वाले होते हैं, जहाँ कंपनी अपना परिचालन कर रही होती है और कर योग्य आय उत्पन्न कर रही होती है।

iv. ओ.सी.आई. मदों से संबंधित चालू कर को अन्य विस्तृत आय(ओ.सी.आई.) में मान्यता प्रदान की जाती।

2.15 आस्थगित कर

भारतीय लेखांकन मानक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस 12) "आयकर" के अनुसार।

i. विलंबित आयकर परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियों की मान्यता उन तात्कालिक अंतरों के लिए दी जाती है, जिनकी गणना रिपोर्टिंग की तारीख को लागू या निश्चित रूप से लागू होने वाले कर की दरों या कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. विलंबित कर की पहचान उस विस्तार तक की जाती है, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि वैसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध घटाये जाने योग्य तात्कालिक अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के पिछले बकायों तथा अप्रयुक्त कर हानियों को उपयोग में लाया जा सकता है।

iii. प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को विलंबित आयकर परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है और उसे इस विस्तार तक कम किया जाता है कि अब यह संभाव्य नहीं हो कि उपयोग की जाने वाली विलंबित आय कर परिसंपत्ति के सभी या किसी हिस्से की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी।

iv. ओ.सी.आई. मद से संबंधित विलंबित कर की मान्यता अन्य विस्तृत आय (ओ.सी.आई.) में दी जाती है।

2.16 प्रति शेयर आय

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना, किसी अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या द्वारा, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन बोनस के मुद्दे तथा शेयर में गिरावट की घटनाओं के लिए किया जाता है।

2. प्रति शेयर तरलीकृत आय की गणना के उद्देश्य से, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया

इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन, सभी तरलीकृत क्षमतावान इक्विटी शेयरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

2.17 प्राथमिक व्यय

सभी प्राथमिक व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब ये व्यय होते हैं।

2.18 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/ भुगतान योग्य लाभांश को मान्यता उस वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जिस वर्ष में संबंधित लाभांश को शेयरधारकों द्वारा या निदेशक मंडल द्वारा समुचित अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2.19 तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत घटित घटनाएँ

बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत घटित घटनाओं को, इंड एएस 10 (बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत आकस्मिकताएँ तथा घटित घटनाएँ) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को उचित मूल्य पर कुछ विशेष वित्तीय उपकरणों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जिसे मापन की तारीख को क्रमबद्ध लेनदेन के रूप में किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त किया जाता है या देनदारी के हस्तांतरण में चुकाया जाता है। उचित मूल्य मापन उन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, जो निम्न में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देनदारियों के हस्तांतरण करने से होने वाले किसी भी लेनदेन से होता है:

- मूल बाजार में परिसंपत्ति या देनदारी के लिए,
- या मूल बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के सबसे लाभप्रद बाजार में

मूल या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के पहुँच के भीतर होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या किसी देनदारी के उचित मूल्य का मापन उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार में प्रतिस्पर्धी किसी परिसंपत्ति या देनदारी के मूल्यन में करते हैं और यह मान लिया जाता है कि बाजार के प्रतिस्पर्धी अपने सबसे अच्छे आर्थिक हित की दिशा में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यन की तकनीक का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों

में समुचित हों और जिसके लिए उचित मूल्य के मापन के लिए समुचित आँकड़े उपलब्ध होते हैं और संबंधित पर्यवेक्षी आदानों का उपयोग सबसे अधिकतम कर दिया जाता है तथा अपर्यवेक्षी आदानों का उपयोग निम्नतम कर दिया जाता है।

2.21 वित्तीय प्रपत्र

क) <u>प्रारंभिक मान्यता:</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को मान्यता तब मिलती है, जब कंपनी लिखत के अनुबंधित प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने में प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी विनिमय लागत (वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों को छोड़ कर लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर) को वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के प्रारंभिक मान्यता के समय मापन किए गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है या उससे घटा दिया जाता है।

ख) <u>परिणामी मापन</u>

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित कोटियों में किया जाता है।

i. **मूर्तकरण लागत पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधित मापन मूर्तकरण लागत पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को धारित करना है ताकि संविदागत नकद का संग्रहण किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

ii. **अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य तब पूरा होता है जब संविदागत नकद का संग्रहण किया जाए तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचा जाए और वित्तीय परिसंपत्ति का संविदागत अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा

सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

iii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है, जब प्रारंभिक मान्यता पर इसका मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से मूर्तकरण लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी लेनदेन की लागत को अविलंब लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

i. **अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियाँ**

व्यापार तथा अन्य देयताओं, सुरक्षा जमा तथा धारिता राशि इत्यादि द्वारा दर्शाए गए अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उसके उपरांत प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके इसे अमूर्तकरण लागत पर ले जाया जाता है।

ii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ (एफवीटीपीएल)**

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किन्हीं वित्तीय देनदारियों को चिह्नित नहीं किया है।

ग) **<u>मान्यता रद्द करना:</u>**

i. **वित्तीय परिसंपत्ति**

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह) की मान्यता तब खत्म की जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकद प्रवाह से जुड़ा संविदागत अधिकार समाप्त होता है या यह वित्तीय परिसंपत्तियों तथा इससे जुड़े सारवान् जोखिमों और लाभों को संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है।

ii. **वित्तीय देयता**

एक वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब देनदारी के अधीन किसी दायित्व का निबटान कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देनदारी का

स्थान, उसी ऋण प्रदाता के प्रति अन्य देनदारी परिणामी रूप से किसी अन्य शर्तों पर ले लेती है या किसी वर्तमान देनदारी की शर्तों को आंशिक रूप से बदला जाता है तो ऐसे बदलाव या सुधार को वास्तविक देनदारी की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और नई देनदारी की मान्यता तथा क्रमशः वहन की जाने वाली राशियों में अंतर को लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:</u>

ख़राबी संबंधी हानि की मापन तथा उनकी पहचान के लिए, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ई.सी.एल.) मॉडल को अपनाती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर ख़राबी संबंधी हानि भत्ते की पहचान के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लागू होने में यह अपेक्षित नहीं होता कि कंपनी क्रेडिट जोखिम में बदलाव का पता लगाए। इसके अलावा यह अपने प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को लाइफटाइम ई.सी.एल. पर आधारित ख़राबी संबंधी हानि की पहचान करता है।

कंपनी अन्य विस्तृत आय ऋण साधन के माध्यम से अमूर्तकरण लागत पर तथा उचित मूल्य पर वहन किए जा रहे, अपनी परिसंपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट हानि का आंकलन दूरगामी सोच के आधार पर करती है। ख़राबी संबंधी यह तरीका इस बात पर लागू होता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

किसी अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ई.सी.एल. ख़राबी संबंधी हानि भत्ता (या विपरीत) की पहचान लाभ तथा हानि के विवरण में आय/ व्यय के रूप में की जाती है।

2.22 विक्रय के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह)

जब गैर-चालू परिसम्पत्तियों (अथवा निस्तारण समूह) की वाहित राशि विक्रय लेन-देन के माध्यम से मूलधन के रूप में वसूल की जानी हो और विक्रय को अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है तो गैर-चालू परिसम्पत्तियों को विक्रय हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विक्रय को केवल उस समय अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है जब परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तुरन्त विक्रय के लिए उपलब्ध है, यह असम्भाव्य है कि विक्रय वापस कर लिया जायेगा और विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकृत निपटान समूहों को

बिक्री की लागत घटाकर वहन राशि और उचित मूल्य में से जो कम है, बताया गया है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

यदि एंड एएस 105 "विक्रय हेतु धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थगित प्रचालनों" द्वारा बताए गए मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाना रोक दिया जाता है। गैर-चालू परिसंपत्ति जो बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं होती है, उस परिसंपत्ति को इन दो के न्यूनतर पर मापित किया जाता है (i) बिक्री हेतु धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पूर्व इसकी अग्रणीत राशि, जिसमें उस मूल्यह्रास को समायोजित किया जाता है, जो यदि उस संपत्ति को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता तो उसे मान्यता दी जाती, और (ii) विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होने की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि।

2.23 पूर्व अवधि समायोजन

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को बहाल करके पूर्व अवधि में हुई त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नए लेखांकन से संभावित रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि से व्यावहारिक है"।

पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000 रुपये तक के पूर्वदत्त व्यय को वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है और खातों के प्राकृतिक मद के तहत लिया जाता है।

2.24 वे मानक/ संशोधन जो जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

एमसीए ने भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम से जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 में, निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

1. भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना (इंड एएस-101)
2. व्यापार संयोजन (इंड एएस-103)
3. वित्तीय लिखते (इंड एएस-109)
4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस-16)
5. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस-37)
6. कृषि (इंड एएस-41)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2022 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव तय नहीं किया है।

नोट :-- 3

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृति भूमि	निर्माण	ट्रैक स्लैब	पट्टाधृत सुधार	फर्नीचर एवं फिक्सचर	मोटर वाहन	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालयी उपकरण	कुल
सकल वहन राशि	_	_	_	_						
1 अप्रैल 2020 को	3,33,852.12	18,138.20	_	_	641.59	505.14	75.02	895.69	569.21	3,54,676.97
संवर्धन	1,97,157.24	188.80	3,772.71	1,339.76	1.65	223.93	_	256.63	153.32	2,03,094.04
निस्तारण/ समायोजन	-	_	_	_	_	(13.30)	_	(7.10)	(14.95)	(35.35)
31 मार्च 2021 को	**5,31,009.36**	**18,327.00**	**3,772.71**	**1,339.76**	**643.24**	**715.77**	**75.02**	**1,145.22**	**707.58**	**5,57,735.66**
संवर्धन	2,63,671.40	1,086.73	_	_	3.74	99.63	_	375.46	131.95	2,65,368.91
निस्तारण/समायोजन	_	_	_	_	_	(1.92)	_	(7.19)	(19.54)	(28.65)
31 मार्च 2022 को	**7,94,680.76**	**19,413.73**	**3,772.71**	**1,339.76**	**646.98**	**813.48**	**75.02**	**1,513.49**	**819.99**	**8,23,075.92**
संचित मूल्यह्रास और हानि										
1 अप्रैल 2020 को	_	_	_	_	**151.37**	**76.99**	**19.46**	**321.09**	**151.73**	**720.64**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	_	_	2.76	182.79	394.44	94.86	8.91	304.43	156.56	1,144.75
निस्तारण/ समायोजन	_	_	_	_	_	(1.56)	_	(2.45)	(5.03)	(9.04)
31 मार्च 2021	_	_	**2.76**	**182.79**	**545.81**	**170.29**	**28.37**	**623.07**	**303.26**	**1,856.35**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास			59.76	75.94	(97.51)	120.41	8.92	226.08	138.26	531.86

राशि (₹ लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृति भूमि	निर्माण	ट्रैक स्लैब	पट्टाधृत सुधार	फर्नीचर एवं फिक्सचर	मोटर वाहन	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालयी उपकरण	कुल
निस्तारण/ समायोजन			-	-	-	(1.17)	0.00	(2.68)	(3.59)	(7.44)
31 मार्च 2022 को	**-**	**-**	**62.52**	**258.73**	**448.30**	**289.53**	**37.29**	**846.47**	**437.93**	**2,380.77**
निवल वाहन मूल्य										
31 मार्च 2022 को	**7,94,680.76**	**19,413.73**	**3,710.19**	**1,081.03**	**198.68**	**523.95**	**37.73**	**667.02**	**382.06**	**8,20,695.15**
31 मार्च 2021 को	**5,31,009.36**	**18,327.00**	**3,769.95**	**1,156.97**	**97.43**	**545.48**	**46.65**	**52.15**	**404.32**	**5,55,879.31**
31 मार्च 2020 को	**3,33,852.12**	**18,138.20**	**-**	**-**	**490.22**	**428.15**	**55.56**	**574.60**	**417.48**	**3,53,956.33**

नोट 3.1 -- पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि / पट्टाधृति भूमि के अलावा, भूमि अधिग्रहण लागत और भूमि अधिग्रहण से संबंधित व्यय एवं सुविधाएं शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और अभी कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई। भूमि के मूल्य में भारत सरकार/रेल मंत्रालय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों आदि से ₹19,413.73 लाख (पीवाई ₹18,327.00 लाख) की अधिग्रहीत पट्टे की भूमि शामिल है। हालांकि, कुछ मामलों में, पट्टे की शर्तें पूरी होनी शेष हैं। कुछ मामलों में फ्रीहोल्ड भूमि अधिग्रहित स्वामित्व/ दाखिलखारिज का हस्तांतरण लंबित है।

नोट 3.2 -- वर्ष के दौरान भूमि से संबंधित मद को किए गए संवर्धन के अनुपात में भूमि से संबंधित व्यय को फ्री होल्ड भूमि, लीज होल्ड भूमि और भूमि का उपयोग करने के अधिकार में आवंटित नोट किया गया है।

नोट 3.3 -- कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख के संबंध में जानकारी के लिए नोट 41 देखें।

नोट :-- 4
जारी पूंजीगत कार्य

राशि (₹ लाख में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल 2020 को	**1,23,325.25**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	1,54,615.31
समायोजन	(5,354.30)
31 मार्च 2021 को	**2,72,586.26**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	7,47,141.71
समायोजन	-
31 मार्च 2022 को	**10,19,727.97**

नोट 4.1 -- जारी पूंजीगत कार्य का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	01.04.2020 तक शेष राशि	वित्त वर्ष 2020-21			वित्त वर्ष 2021-22		
		संवर्धन	समायोजन	31.03.2021 तक	संवर्धन	समायोजन	31.03.2022 तक
निर्माण / खरीद लागत	18,658.33	86,562.44	(5,112.47)	1,00,108.30	6,81,614.44	-	7,81,722.74
उपयोगिता स्थानांतरण	65,537.57	48,829.98	-	1,14,367.55	33,370.55	-	1,47,738.10
परामर्श सेवा लागत	12,454.64	4,235.63	-	16,690.27	12,426.81	-	29,117.07
प्रारंभिक परियोजना लागत	4,001.83	1,119.74	-	5,121.57	1,233.67	-	6,355.24
आकस्मिक परियोजना लागत	22,934.75	14,501.26	(241.83)	37,194.18	20,491.38	-	57,685.56
घटाया : निविदा का विक्रय एवं अन्य आय	(261.87)	(633.74)	-	(895.61)	(1,995.13)	-	(2,890.73)
कुल	**1,23,325.25**	**1,54,615.31**	**(5,354.30)**	**2,72,586.26**	**7,47,141.71**	**-**	**10,19,727.97**

नोट 4.2 -- जारी पूंजीगत कार्य की परिपक्वन अनुसूची

31 मार्च 2022 तक

राशि (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं (एमएएचएसआर*)	7,47,141.71	1,52,763.13	82,718.21	37,104.92	**10,19,727.97**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**

31 मार्च 2021 तक

राशि (₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं (एमएएचएसआर*)	1,52,763.13	82,718.21	14,976.76	22,128.16	**2,72,586.26**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**

चूंकि कोई अतिदेय तथा अतिरिक्त लागत नहीं है, इसलिए दोनों श्रेणियों (अति लागत या अतिदेय) के लिए संयुक्त आधार पर प्रकटीकरण की सूचना नहीं दी जाती है।

* मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना।

नोट 5.1 -- अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

राशि (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ़्टवेयर	भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल वाहक राशि			
1 अप्रैल 2020 को	208.73	9,518.97	9,727.70
संवर्धन	179.44	394.08	573.51
निस्तारण/समायोजन*	-	(8231.36)	(8231.36)
31 मार्च 2021 को	**388.17**	**1,681.69**	**2,069.85**
संवर्धन	5,451.82	822.82	6,274.64
निस्तारण/समायोजन*	-	(13.58)	(13.58)
31 मार्च 2022 को	**5,839.99**	**2,490.93**	**8,330.91**

विवरण	सॉफ़्टवेयर	भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
परिशोधन व्यय तथा खराबियाँ			
1 अप्रैल 2020 को	117.96	249.17	367.14
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	82.28	119.99	202.27
निस्तारण/समायोजन *	-	(241.83)	(241.83)
31 मार्च 2021 को	**200.24**	**127.33**	**327.58**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	862.18	133.05	995.23
निस्तारण/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को	**1,062.42**	**260.38**	**1,322.81**
कुल वाहक राशि			
31 मार्च 2022 को	**4,777.55**	**2,230.54**	**7,008.10**
31 मार्च 2021 को	**187.92**	**1,554.35**	**1,742.27**

* पश्चिम रेलवे के दिनांक 22.02.2019 के पत्र सं. डब्ल्यू 340/23 के संदर्भ में, कंपनी ने विगत वर्षों में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) हेतु कुछ भूखंड के अधिग्रहण / हस्तांतरण के लिए 8,000.00 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया था। इस संदर्भ में मूल संचार प्राप्त हुआ और परिसंपत्तियों का जीवन काल 35 वर्ष माना गया तथा तदनुसार किए गए भुगतान को परिशोधित किया गया एवं प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में दर्शाया गया। विगत वर्ष के दौरान, कंपनी को पश्चिम रेलवे से दिनांक 8.01.2021 को भूखंड के लिए अतिरिक्त अंतिम भुगतान और अतिरिक्त जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखांकन प्रशोधन (इन परिसंपत्तियों के जीवन काल सहित) के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी हेतु एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि उक्त भूमि के अधिग्रहण की नियम एवं शर्तें अभी भी तैयार नहीं हुई हैं, जिसमें पश्चिमी रेलवे के साथ अंतिम मूल्यांकन और कंपनी द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन शामिल है, इसलिए इसे लेखांकन प्राक्कलन में बदलाव के रूप में माना गया है। तदनुसार, 7,758.17 लाख रुपये की राशि को विगत वर्ष में पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है और 241.83 लाख रुपये की परिशोधन लागत "प्रगतिरत पूंजीगत कार्य" के तहत दर्ज की गई है, को भी पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्समूहित किया गया है। नियमों और शर्तों के तैयार होने और अंतिम विचार हेतु लंबित होने तक, भविष्य के लाभ और हानि के विवरण पर अनुमान में उपरोक्त परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव 31 मार्च, 2022 तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

नोट 5.2 -- विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	1,558.66
कुल	**-**	**1,558.66**

नोट 5.2.1 -- विकासाधीन अमूर्त आस्तियों की परिपक्वता अनुसूची

31 मार्च 2022 तक

राशि (₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	अवधि हेतु विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिधीन परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

31 मार्च 2021 को

राशि (₹ लाख में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	अवधि हेतु विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिधीन परियोजनाएं	337.81	1,220.86	-	-	1,558.66
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

चूंकि लागत पूरी होने से अधिक नहीं हुई है, इसकी मूल योजना के अनुसार अतिदेय नहीं है, इसलिए दोनों श्रेणियों (अति लागत या अतिदेय) के लिए संयुक्त आधार पर प्रकटीकरण की सूचना नहीं दी जाती है।

नोट 5.3 -- संपत्ति के उपयोग का अधिकार

राशि (₹ लाख में)

विवरण	इमारत	वाहन	कुल
कुल वाहक राशि			
31 मार्च 2020 को	**1,060.93**	**239.54**	**1,300.47**
वर्ष के दौरान संवर्धन	2,652.76	34.16	2,686.93
निस्तारण/समायोजन	(789.07)	-	(789.07)
31 मार्च 2021 को	**2,924.62**	**273.69**	**3,198.33**
वर्ष के दौरान संवर्धन	245.91	145.61	391.52
निस्तारण/समायोजन	(271.86)	-	(271.86)
31 मार्च 2022 को	**2,898.67**	**419.30**	**3,317.99**
संचित मूल्यह्रास और हानि			
31 मार्च 2020 को	**508.93**	**61.89**	**570.82**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	1,027.74	76.85	1,104.59
निस्तारण/समायोजन	(789.07)	-	(789.07)
31 मार्च 2021 को	**747.60**	**138.74**	**886.34**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	722.63	85.95	808.58
निस्तारण/समायोजन	(271.86)	-	(271.86)

विवरण	इमारत	वाहन	कुल
31 मार्च 2022 को	**1,198.37**	**224.69**	**1,423.06**
कुल वाहक राशि			
31 मार्च 2022 को	**1,700.31**	**194.61**	**1,894.92**
31 मार्च 2021 को	**2,177.02**	**134.96**	**2,311.99**

नोट :-- 6
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - गैर चालू

नोट 6.1 -- ऋण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
असुरक्षित, अप्रतिभूत, परिशोधन लागत पर		
कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	27.66	16.41
कुल	**27.66**	**16.41**

नोट 6.2 -- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
असुरक्षित, अप्रतिभूत, परिशोधन लागत पर		
सुरक्षा जमा राशि	517.34	214.47
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा ग्रहणाधिकार के रूप में रखा गया (नोट 6.2.1 देखें)	17.10	17.10
कुल	**534.44**	**231.57**

कंपनी ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदर्शन गारंटी के रूप में ₹17.10 लाख की लंबी अवधि की जमा राशि का एक हिस्सा गिरवी रखा है।

नोट 6.2.1 -- ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमाओं का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम)	17.10	17.10
कुल	**17.10**	**17.10**

नोट :-- 7

आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क. आस्थगित कर देयताएं		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	107.85	-
कुल आस्थगित कर दायित्व	**107.85**	**-**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियाँ		
प्राथमिक व्यय	163.15	131.57
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	-	99.28
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	232.60	152.56
लीज देनदारियां और आरओयू (उपयोग का अधिकार)	50.82	-
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**446.57**	**383.41**
निवल आस्थगित कर (दायित्व/ परिसम्पतियाँ)	**338.72**	**383.41**

आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता) में प्रचालन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	प्राथमिक व्यय	लीज देनदारियां और आरओयू (उपयोग का अधिकार)	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	कर्मचारी लाभ व्यय	कुल
01 अप्रैल 2020 तक प्रारंभिक शेष	**118.11**	**-**	**(8.54)**	**113.36**	**222.93**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)					
लाभ और हानि को	13.46	-	107.82	45.16	166.44
अन्य व्यापक आय को	-	-	-	(5.96)	(5.96)
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	**131.57**	**-**	**99.28**	**152.56**	**383.41**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)					
लाभ और हानि को	31.59	50.82	(207.13)	77.52	(47.20)
अन्य व्यापक आय को				2.52	2.52
31 मार्च 2022 तक अंतिम शेष	**163.15**	**50.82**	**(107.85)**	**232.60**	**338.72**

नोट :-- 8
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क) पूंजी अग्रिम		
अचल परिसम्पत्तियों के लिए अग्रिम (नोट 8.1 देखें)	-	6.95
भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम	1,11,550.67	74,398.70
अन्य के लिए अग्रिम (नोट 8.2 देखें)	5,36,472.89	2,82,859.31
ख) अन्य		
उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा (नोट 8.3 देखें)	15.60	29.51
उचित मूल्य समायोजन (नोट 8.4 देखें)	9.31	7.57
कुल	**6,48,048.47**	**3,57,302.04**

नोट 8.1 -- इसमें संबंधित पक्षों को दिया गया अग्रिम रुपये शून्य (पीवाई शून्य) शामिल है।

नोट 8.2 -- इसमें कंपनी की ओर से ठेकेदार द्वारा संचालित किए जा रहे बैंक खाते में पड़ी शेष राशि शामिल है जिसमें ठेकेदार को कंपनी के उपयोगिता स्थानांतरण कार्यों के संबंध में निर्दिष्ट लेनदेन करने की अनुमति है। इसलिए, उक्त शेष राशि को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

नोट 8.3 -- यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

नोट 8.4 -- यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

नोट :-- 9
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - चालू

नोट 9.1 -- व्यापार प्राप्य

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
व्यापार प्राप्य		
विचाराधीन संपत्ति - सुरक्षित;	-	-
विचाराधीन संपत्ति - असुरक्षित;	-	-
व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य - जमा क्षीण	-	-
	-	**-**

नोट 9.1.1 -- कोई व्यापार प्राप्य नहीं है, इसलिए उसकी काल प्रभावन को तैयार और प्रकट नहीं किया जाता है।

नोट 9.2 -- नकदी तथा नकदी समतुल्य

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
हस्त में मुद्रा		
बैंकों में शेष राशि:		
- चालू खाते में	24,679.60	8,381.70
- फ्लेक्सी खाते में	32,316.20	9,782.98
अग्रदाय खाते में	12.15	14.70
सावधि जमा (3 महीने या 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ)	2,40,102.81	1,00,000.00
कुल	**2,97,110.76**	**1,18,179.38**

कंपनी की तत्काल नकदी आवश्यकताओं, और संबंधित अल्पकालिक जमा दरों पर अर्जित ब्याज के आधार पर अल्पकालिक जमा एक दिन और तीन महीने के बीच की अलग-अलग अवधि हेतु किए जाते हैं।

नोट 9.3 -- नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंकों शेष:		
सावधि जमा (3 माह से अधिक और 12 माह तक मूल परिपक्वता सहित)	20,202.29	-
सावधि जमा (12 माह से अधिक मूल परिपक्वता सहित)	-	-
बैंकों में निर्धारित शेष (नोट 9.3.1 देखें)	105.88	-
कुल	**20,308.17**	**-**

नोट 9.3.1 -- बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि सीएसआर खर्चों के लिए अव्ययित शेष राशि को दर्शाती है।

नोट 9.4 -- ऋण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
असुरक्षित, उचित समझा गया, परिशोधन लागत पर		
कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण प्रतिभूति	3.85	2.55
कुल	**3.85**	**2.55**

नोट 9.5 -- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अर्जित ब्याज	559.98	20.67
अन्य प्राप्य	2.89	1.64
ब्याज प्राप्तियाँ	144.66	307.53
सुरक्षा जमा राशि	309.24	480.93
कुल	**1,016.77**	**810.77**

नोट :-- 10

अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम		
व्यय हेतु अग्रिम	2.64	66.37
अन्य		
पूर्वदत्त व्यय	1,230.85	247.16
उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा*	17.69	20.63
उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	0.89	0.76
अग्रिम-एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट	3.52	3.52
नई एचएसआर परियोजनाओं पर खर्च (संदर्भ नोट 17.1)	6,802.03	1,846.75
कुल	**8,057.62**	**2,185.19**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

नोट :-- 11

इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,000	20,00,000
(31 मार्च 2021 को, 1000 रुपये के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर)	20,00,000	20,00,000
निर्गत/ अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक रु. 1000 के 12,93,00,000 इक्विटी शेयर	12,93,000	9,58,000
(31 मार्च 2021 को, 1000 रुपये के 9,58,00,000 इक्विटी शेयर)		
	12,93,000	9,58,000

नोट 11.1 -- इक्विटी शेयरों तथा शेयर पूंजी की संख्या का समाधान विवरण

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
प्रारम्भ में निर्गत/ अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूँजी	9,58,00,000	9,58,000	7,58,00,000	7,58,000
जोड़ा: वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	3,35,00,000	3,35,000	2,00,00,000	2,00,000
वर्ष के अंत में निर्गत/ अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	**12,93,00,000**	**12,93,000**	**9,58,00,000**	**9,58,000**

नोट 11.2 -- शेयर से सम्बद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबन्ध

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों के रूप में सन्दर्भित किया गया है जिसका सममूल्य रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक समस्त अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की किसी भी शेष परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने का हकदार हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरण हेतु घोषित लाभांश शून्य (पिछला वर्ष: शून्य) था।

नोट 11.3 -- कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
सामान्य शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा इसके नामिती	10,00,00,000	77.34%	8,95,00,000	93.42%
गुजरात सरकार	2,93,00,000	22.66%	63,00,000	6.58%
कुल	**12,93,00,000**		**9,58,00,000**	

नोट 11.4 -- प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

31 मार्च 2022 तक

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयर की संख्या (सं.)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयर की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
रु. 1000 प्रत्येक का इक्विटी शेयर						
1	भारत सरकार (जीओआई)	8,95,00,000	1,05,00,000	10,00,00,000	77.34%	-16.08%
2	गुजरात सरकार (जीओजी)	63,00,000	2,30,00,000	2,93,00,000	22.66%	16.08%
3	महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)	-	-	-	-	-
	कुल	**9,58,00,000**	**3,35,00,000**	**12,93,00,000**	**100.00%**	

31 मार्च 2021 तक

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयर की संख्या (सं.)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयर की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
रु. 1000 प्रत्येक का इक्विटी शेयर						
1	भारत सरकार (जीओआई)	7,45,00,000	1,50,00,000	8,95,00,000	93.42%	-4.86%
2	गुजरात सरकार (जीओजी)	13,00,000	50,00,000	63,00,000	6.58%	4.86%
3	महाराष्ट्र सरकार (जीओएम)	-	-	-	0.00%	-
	कुल	**7,58,00,000**	**2,00,00,000**	**9,58,00,000**	**100.00%**	

नोट 11.5 -- रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले के पांच वर्षों की अवधि के दौरान कोई इक्विटी शेयर बोनस के रूप में या नकद के अलावा प्रतिफल के रूप में जारी नहीं किए गए थे और कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया था।

नोट :-- 12

अन्य इक्विटी

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिधारित आय (नोट 12.1 देखें)	22,185.29	14,134.55
शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन (नोट 12.2 देखें)	20,000.00	1,00,000.00
कुल	**42,185.29**	**1,14,134.55**

नोट 12.1 -- प्रतिधारित आय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्रारंभिक शेष	**14,134.55**	**12,074.16**
जोड़ा: वर्ष के दौरान लाभ	8,393.25	2,242.66
घटाया: शेयर निर्गमन व्यय	(335.00)	(200.00)
जोड़ा: पूर्व-अवधि समायोजन	-	-
जोड़ा: निबल आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	(7.51)	17.73
अंतिम शेष	**22,185.29**	**14,134.55**

आरक्षियों की प्रकृति तथा उद्देश्य:

(क) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अविभाजित मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 12.2 -- शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्रारंभिक जमा	1,00,000.00	-
जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	2,55,000.00	3,00,000.00
घटाया : वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	(3,35,000.00)	(2,00,000.00)
अंतिम शेष	**20,000.00**	**1,00,000.00**

नोट 12.2.1 -- 31 मार्च 2022 तक शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन के संबंध में शेयर 23 मई 2022 को आवंटित किए गए हैं।

नोट :-- 13

वित्तीय देयताएं- गैर चालू

नोट 13.1 -- पट्टा देयताएं

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
लीज देयताएं	1,414.81	1,652.60
कुल	**1,414.81**	**1,652.60**

नोट 13.2 -- अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधन लागत पर)

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रेल मंत्रालय से अग्रिम (नोट 13.2.1 का सन्दर्भ लें)	13,20,000.00	2,00,000.00
प्रतिभूति जमा	523.08	4,463.49
कुल	**13,20,523.08**	**2,04,463.49**

नोट 13.2.1 -- वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना हेतु ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ("जेआईसीए") के साथ कुछ समझौते (31-मार्च-2022 तक) निष्पादित किए हैं। चुकौती अवधि 50 वर्ष (15 वर्ष की छूट अवधि सहित) है। ब्याज दर 0.1% प्रतिवर्ष है।

प्रयोजन	परियोजना के लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण
स्वीकृत ऋण राशि (मिलियन जेपीवाई में)	10,453	89,547	1,50,000
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	15-09-2017	28-09-2018	29-10-2018

नतीजतन, रेल मंत्रालय ("एमओआर") ने 31 मार्च 2022 तक जेआईसीए ऋण के संदर्भ में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना ("ईएपी") के रूप में कंपनी को 13,20,000/- लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,00,000/- लाख रुपये) की आंशिक राशि जारी की है।

कंपनी तथा एमओआर के बीच उपरोक्त ईएपी के संदर्भ में नियम तथा शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप देने तक, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को "वित्तीय देनदारियों- गैर-चालू" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया है और इन वित्तीय विवरणों में कोई परिणामी खर्च दर्ज नहीं किया गया है।

नोट :-- 14

प्रावधान-गैर चालू

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	603.26	393.62
सामान / समायोजन भत्ते हेतु प्रावधान	27.83	18.81
एलटीसी हेतु प्रावधान (अवकाश यात्रा रियायत)	115.50	68.20
सीएसआर हेतु प्रावधान	4.85	-
कुल	**751.44**	**480.63**

नोट :-- 15

अन्य गैर चालू देयताएं

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन	-	611.21
अग्रिम में प्राप्त किराया आय	8.75	-
कुल	**8.75**	**611.21**

नोट :-- 16

वित्तीय देयताएं- वर्तमान

नोट 16.1 -- पट्टा देयताएं

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
लीज देयताएं	682.03	808.20
कुल	**682.03**	**808.20**

नोट 16.2 -- व्यापार देय राशि

31 मार्च 2021 तक

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
व्यापार देनदारियां*		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा	-	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि।	-	-
कुल	**-**	**-**

* कोई व्यापार देय नहीं है, इसलिए संबंधित पक्षों को देय राशि की परिपक्वता और प्रकटीकरण तैयार नहीं है।

नोट 16.3 -- अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधन लागत पर)

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अन्य देय (नोट 16.3.1 देखें)	1,41,384.05	18,163.58
कर्मचारी लाभ देय	27.79	27.90
प्रतिभूति जमा	1,795.91	1,557.14
कुल	**1,43,207.75**	**19,748.62**

नोट 16.3.1 -- अन्य देय राशि ब्याज रहित लिखत हैं।

नोट :-- 17

अन्य चालू देनदारियां

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अनुबंध दायित्व		
ग्राहक से अग्रिम (नोट 17.1 देखें)	10,207.00	10,207.00
अन्य		
अग्रिम में प्राप्त किराया आय	23.31	-
सांविधिक बकाया	12,983.45	2,804.70
प्रतिभूति जमा में उचित मूल्य समायोजन	-	229.07
कुल	**23,213.76**	**13,240.77**

नोट 17.1 -- रेल मंत्रालय (एमओआर) ने भारत के कुछ निर्दिष्ट स्थानों में सात हाई स्पीड रेल ("एचएसआर") कॉरिडोर हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ("डीपीआर रिपोर्ट") तैयार करने का काम सौंपा है। तदनुसार, कंपनी को उक्त कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021: 10,207/- लाख रुपये) को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये का अग्रिम प्राप्त हुआ है।

उक्त डीपीआर परियोजनाओं पर लागू नियम और शर्तें अभी भी विचाराधीन हैं और 31 मार्च, 2022 तक सभी कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है। नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए, इन डीपीआर पर 31 मार्च, 2022 तक किए गए व्यय को "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के तहत माना जाता है और एमओआर से प्राप्त अग्रिमों को "ग्राहक से अग्रिम" के रूप में प्रकट किया गया है।

नोट :-- 18

प्रावधान-चालू

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	101.03	-
उपदान के लिए प्रावधान	126.85	83.66
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	24.98	28.89
सामान/निस्तारण भत्ते का प्रावधान	0.34	0.20
एलटीसी के लिए प्रावधान (अवकाश यात्रा रियायत)	2.75	10.55
सेवानिवृत्ति पश्चात के चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	22.68	2.42
कुल	**278.63**	**125.72**

नोट :-- 19

चालू कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)/वर्तमान कर देयता (निवल)

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्तमान कर संपत्ति		
वर्तमान कर का प्रावधान	(2,074.74)	-
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	2,567.68	-
कटौती आयकर पिछले वर्ष वापसी योग्य	-	125.22
कुल	**492.94**	**125.22**
वर्तमान कर देयता		
वर्तमान कर का प्रावधान	-	463.87
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर	-	(414.63)
कुल	**-**	**49.24**

नोट :-- 20

अन्य आय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज से आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	6,236.95	749.55
ब्याज आय - फ्लेक्सी खाता	5,376.90	1,492.17
ब्याज आय - अन्य	500.61	1,168.31
कर्मचारी को एचबीए ऋण की ब्याज आय	3.59	6.42
वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय	19.64	18.47
अन्य गैर-परिचालन आय		
अन्य प्राप्तियां	114.96	200.06
वित्तीय देनदारियों का परिशोधन	65.43	58.09
कुल	**12,318.08**	**3,693.07**

नोट :-- 21

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	9,044.10	6,806.96
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	699.50	514.06
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,108.56	773.16
कुल	**10,852.16**	**8,094.18**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(10,657.87)	(7,939.01)
कुल	**194.29**	**155.17**

नोट :-- 22

वित्तीय लागत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पर ब्याज	4.85	0.10
प्रतिभूति जमा पर ब्याज की मोचन	-	123.81
पट्टा देयता पर ब्याज	154.07	278.38
कुल	**158.92**	**402.29**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(151.84)	(400.85)
कुल	**7.08**	**1.44**

नोट :-- 23

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास (नोट-3 देखें)	531.87	1,144.75
अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (नोट-5.1 देखें)	995.23	202.27
राइट ऑफ़ यूज़ एसेट्स का परिशोधन (नोट-5.3 देखें)	808.58	1,104.59
कुल	**2,335.68**	**2,451.61**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(2,166.16)	(2,241.63)
कुल	**169.52**	**209.98**

नोट :-- 24

अन्य व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यालय का भाड़ा	1,068.58	515.47
शुल्क, दरें तथा कर	91.52	117.53
मरम्मत, रखरखाव तथा अन्य	582.25	135.50
ऊर्जा तथा ईंधन	133.75	108.14
यात्रा व्यय	1,369.20	895.02
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 24.1 का सन्दर्भ लें)	3.35	2.62
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	322.37	247.00
मुद्रण तथा स्टेशनरी	109.65	95.23
संचार व्यय	88.33	90.66
पुस्तकें तथा पीरियाडिकल्स	9.86	0.97
अतिथि सत्कार	49.79	10.48
मिश्रित व्यय	24.77	18.17
गृह प्रबंधन व्यय	402.61	334.46
श्रम शक्ति की आउटसोर्सिंग	2,273.66	1,774.24
विज्ञापन व्यय	12.25	11.18
वेबसाइट विकास प्रभार	21.11	27.14
सीएसआर व्यय	106.15	107.47
विदेशी मुद्रा हानि (निवल)	576.78	37.02
कुल	**7,245.98**	**4,528.30**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(5,812.71)	(3,741.33)
कुल	**1,433.27**	**786.97**

नोट 24.1 -- लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा - परीक्षा शुल्क	2.50	2.50
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.40	0.12
लेखा-परीक्षा शुल्क पर जीएसटी	0.45	-
कुल	**3.35**	**2.62**

नोट :-- 25

आयकर व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू आयकर:		
चालू आयकर प्रभार	2,074.74	463.87
पूर्व वर्ष का आय कर	(1.27)	(0.59)
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	47.20	(166.43)
कुल	**2,120.67**	**296.85**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	(2.52)	5.96
	(2.52)	**5.96**
कुल कर व्यय	**2,118.15**	**302.81**

कर व्यय तथा लेखा लाभ के मध्य समाधान:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी प्रचालनों से लेखा कर पूर्व लाभ	10,503.89	2,563.20
आय कर से पूर्व लेखा लाभ	**10,503.89**	**2,563.20**
भारत के विधिक आय कर दर 25.168% (गत वर्ष 29.12%)	2,643.62	645.10
उन राशियों पर प्रभावित कर, जो कर योग्य आय की गणना में घटाव योग्य (कर योग्य) नहीं हो		
इंड एएस समायोजन (निवल)	(24.75)	(20.93)
विलम्ब से जमा कर पर प्रदत्त ब्याज	1.22	0.02
पूर्व निर्धारण वर्ष में प्राथमिक व्ययों की अनुमति नहीं दी	-	-
शेयर जारी करने में व्यय के लिए समायोजन	(52.73)	(36.88)
कर की दर में बदलाव के कारण विलंबित कर समायोजन	44.68	(160.47)
मूल्यह्रास का समायोजन	(519.34)	(150.50)
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी	26.72	27.05
पिछले वर्ष का आयकर व्यय	(1.27)	(0.59)
	2,118.15	**302.81**
आय कर व्यय के लाभ एवं हानि के विवरण में प्रतिवेदित किया गया (चालू प्रचालनों से सम्बद्ध)	2,118.15	302.81
प्रभावी कर की दर	**20.17%**	**11.81%**

नोट :-- 26

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

राशि (₹ लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिजर्व 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	एफवीटीओसीआई रिजर्व 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापीकरण	(10.03)	23.69
कुल	**(10.03)**	**23.69**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापीकरण पर कर	2.52	(5.96)
कुल	**2.52**	**(5.96)**

नोट :-- 27

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ प्रति शेयर)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ प्रति शेयर)
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	7.01	2.67
असतत प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	-	-
द्रवीकृत ईपीएस		
जारी प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	7.01	2.66
असतत प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	-	-

नोट 27.1 -- प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	8,393.25	2,242.66
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (रु. लाख में)	**8,393.25**	**2,242.66**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	1,196.61	838.55
जारी प्रचालन से	7.01	2.67
असतत प्रचालन से	-	-

नोट 27.2 -- प्रति शेयर द्रवीकृत आय

प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी की भारित औसत संख्या:-

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	8,393.25	2,242.66
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त	**8,393.25**	**2,242.66**
जारी प्रचालन से	7.01	2.66
असतत प्रचालन से	-	-

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए समाधानीत प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्नवत है:

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	1,196.61	838.55
डाइल्यूशन का प्रभाव:	0.22	3.42
प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	**1,196.83**	**841.97**

नोट :-- 28

(i) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूँजी को जारी संस्था के रूप में चालू रखने के लिए अपनी क्षमता सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ तथा अन्य हितधारकों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके। कंपनी के पास 31 मार्च, 2022 तक कोई उधारी नहीं थी।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की वांछनीयताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने हेतु अपनी पूँजी संरचना का प्रबन्धन करती है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबन्धन के उद्देश्य, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2022 तक वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	पट्टे की देयताएं	इक्विटी शेयर पूंजी	देय स्टाम्प शुल्क	आवेदन राशि शेयर	रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी की ओर अग्रिम	कुल
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**761.78**	**7,58,000.00**	**100.00**	**-**	**10,000.00**	**7,68,861.78**
इंड एएस 116 के अंगीकरण पर मान्यता	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2020 को पुनर्निर्धारित शेष	**761.78**	**7,58,000.00**	**100.00**	**-**	**10,000.00**	**7,68,861.78**
नकदी प्रवाह:-						
- भुगतान	(1,266.29)	-	(240.00)	-	-	(1,506.29)
- आगम	-	2,00,000.00	-	1,00,000.00	1,90,000.00	4,90,000.00

राशि (₹ लाख में)

विवरण	पट्टे की देयताएं	इक्विटी शेयर पूंजी	देय स्टाम्प शुल्क	आवेदन राशि शेयर	रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी की ओर अग्रिम	कुल
गैर नकद:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	2,686.93	-	200.00	-	-	2,886.93
- पट्टा देनदारियों पर ब्याज	278.38	-	-	-	-	278.38
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर आवेदन धन की मान्यता	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**2,460.80**	**9,58,000.00**	**60.00**	**1,00,000.00**	**2,00,000.00**	**12,60,520.80**
इंडस्ट्रीज़ एएस-116 . को अपनाने पर मान्यता	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2021 को पुनर्निर्धारित शेष	**2,460.80**	**9,58,000.00**	**60.00**	**1,00,000.00**	**2,00,000.00**	**12,60,520.80**
नकदी प्रवाह:-						
-भुगतान	(909.56)	-	(377.50)	-	-	(1,287.06)
- आगम	-	2,35,000.00	-	20,000.00	11,20,000.00	13,75,000.00
गैर नकद:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	391.53	-	335.00	-	-	726.53
- पट्टा देनदारियों पर ब्याज	154.07	-	-		-	154.07
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर आवेदन धन की मान्यता	-	1,00,000.00	-	(1,00,000.00)	-	-
31 मार्च, 2022 को शेष	**2,096.84**	**12,93,000.00**	**17.50**	**20,000.00**	**13,20,000.00**	**26,35,114.34**

नोट :-- 29

उचित मूल्य माप

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	826.58	-	-	695.40
(ii) कर्मचारियों हेतु एचबीए ऋण	-	-	31.51	-	-	18.96
(iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	-	2,97,110.76	-	-	1,18,179.38
(iv) बैंक शेष (iii) ऊपर के अतिरिक्त	-	-	20,308.17	-	-	-
(v) अन्य	-	-	724.63	-	-	346.94
कुल वित्तीय संपत्ति	**-**	**-**	**3,19,001.65**	**-**	**-**	**1,19,240.68**
वित्तीय देनदारियां						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	2,318.99	-	-	6,020.63
(ii) ईएपी की ओर रेल मंत्रालय से अग्रिम	-	-	13,20,000.00	-	-	2,00,000.00
(iii) पट्टा दायित्व	-	-	2,096.84	-	-	2,460.80
(iv) अन्य	-	-	1,41,411.84	-	-	18,191.48
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**14,65,827.67**	**-**	**-**	**2,26,672.91**

* लाभ तथा हानि से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य

(ii) आस्तियाँ तथा दायित्व जिन्हें उस परिशोधित लागत पर मापित किया गया जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	वाहक मूल्य	उचित मूल्य	वाहक मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियाँ				
प्रतिभूति जमा	826.58	790.19	695.40	860.58
कर्मचारियों को ऋण	31.51	31.03	18.96	20.22
कुल वित्तीय आस्तियाँ	**858.09**	**821.22**	**714.36**	**880.80**
वित्तीय देनदारियों				
प्रतिभूति जमा	2,318.99	2,318.99	6,020.63	6,439.01
कुल वित्तीय देयताएं	**2,318.99**	**2,318.99**	**6,020.63**	**6,439.01**

क. अल्पकालीन प्रतिभूति जमा की वाहक राशि, नकदी तथा नकदी समतुल्य एवं अन्य अल्पकालीन प्राप्तियों तथा अन्य देयताओं को अल्पकालीन प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

ख. दीर्घकालीन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का प्रयोग करते पट्टाकृत नकदी प्रवाह पर की गयी है। उन्हें अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम के लेवल-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

लेवल 1 - समरूप आस्तियों अथवा दायित्वों हेतु सक्रिय बाजार में कोट किये गये मूल्य (असमायोजित)

लेवल 2 - कोट किये गये मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट को लेवल 1 में शामिल किया गया है जो परिसम्पत्तियों (आस्तियों) हेतु या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

लेवल 3 - आस्तियों या दायित्वों हेतु इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजारी डाटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है:

31 मार्च 2022 तक वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण :

राशि (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
कुल परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	790.19	790.19
कर्मचारी ऋण	-	-	31.03	31.03
	-	**-**	**821.22**	**821.22**

31 मार्च 2022 तक वित्तीय देयताएं हेतु उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	2,318.99	2,318.99
	-	**-**	**2,318.99**	**2,318.99**

31 मार्च 2021 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण :

राशि (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियां जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	860.58	860.58
कर्मचारी ऋण	-	-	20.22	20.22
	-	**-**	**880.80**	**880.80**

31 मार्च 2021 को वित्तीय देयताएं हेतु उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण :

राशि (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	6,439.01	6,439.01
	-	**-**	**6,439.01**	**6,439.01**

नोट :-- 30
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय विलेखों के सम्बन्ध में कंपनी विभिन्न जोखिमों से संवेदनशील है। कंपनी के सम्मुख बाजारी जोखिम, साख जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कंपनी के वित्तीय जोखिम की गतिविधियों का नियन्त्रण उचित नीतियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उन वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप चिह्नित, मापित तथा प्रबंधित किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है: -

क) बाजार जोखिम

बाजारी जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय विलेख का भावी नकदी प्रवाह बाजार के मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटेगा-बढ़ेगा। बाजारी जोखिम में ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कंपनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास प्रतिवेदन की तिथि तक कोई ऋण/उधारी नहीं है।

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विनिमय में उतार-चढ़ाव भारत से बाहर कार्य से सम्बद्ध परियोजना हेतु सेवाओं के आयात के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम से बचने के लिए कोई अवरोधक विलेख नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम में महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	यूएसडी	जेपीवाई	यूएसडी	जेपीवाई
आस्तियाँ:				
ठेकेदारों को अग्रिम	27,461.07	23,402.04	24,019.62	456.34

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	यूएसडी	जेपीवाई	यूएसडी	जेपीवाई
देयता:				
ठेकेदारों को देय	21,420.68	67.21	288.94	-

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएं यूएसडी और जेपीवाई विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं, जिसमें अन्य सभी चर स्थिर हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण पड़ा है। अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा में कंपनी का एक्सपोजर भौतिक नहीं है।

राशि (₹ लाख में)

	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2022 को	5%	(1,363.31)
	-5%	1,363.31
31 मार्च 2021 को	5%	927.17
	-5%	(927.17)

राशि (₹ लाख में)

	जेपीवाई दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2022 को	5%	(399.05)
	-5%	399.05
31 मार्च 2021 को	5%	22.82
	-5%	(22.82)

ग) साख जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए ऋण जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य प्राप्य। ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय आस्तियों के वहन मूल्य के बराबर होता है।

ङ) वित्तीय विलेख और नकद जमा

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ शेषों के साख जोखिम का प्रबन्धन कंपनी की नीतियों के अनुरूप किया जाता है। अधिशेष के निवेश केवल प्रतिरूपी से प्राप्त वित्तीय कोट के आधार पर अनुमोदित प्रतिरूपी के साथ किया जाता है।

च) लिक्विडिटी जोखिम

मासिक अनुमानों के आधार पर कंपनी की चल-निधि की आवश्यकताओं की निगरानी की जाती है। कंपनी की चल-निधि का प्रमुख स्रोत जेआईसीए वित्त पोषित परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से शेयर पूंजी और अग्रिम जारी करने से उत्पन्न नकदी और नकदी समकक्ष हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर हमारी चल-निधि की आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकदी की आवश्यकता की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक चल-निधि की आवश्यकताओं में मुख्य रूप से परियोजना से संबंधित कार्य के लिए देय व्यय, कर्मचारियों का बकाया, सुरक्षा जमा और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यापार के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न प्रतिधारण राशि शामिल हैं। हम अपनी अल्पकालिक चल-निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

नोट :-- 31
आंकलन तथा अभिधारणाएं

नीचे भविष्य से सम्बन्धित प्रमुख अभिधारणाएँ तथा प्रतिवेदन अवधि के अन्त में आंकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें आगामी वित्त वर्ष की आस्तियों की वाहक राशि तथा दायित्वों में तात्विक समायोजन के पर्याप्त जोखिम हो सकता है:

क) उचित मूल्यांकन मापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहाँ सम्भव हो प्रेक्षणीय बाजारों से किन्तु जहाँ व्यवहार्य न हो तो उचित मूल्य प्राप्त करने में वांछित निर्णय की मात्रा से लिए जाते हैं। निर्णयों में इनपुटों के विचार जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम तथा परिवर्तनशीलता शामिल हैं। इन कारकों के विषय में अभिधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय विलेखों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता है कि यह सम्भव है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध क्षतियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि के निर्धारण के लिए उचित प्रबन्धन निर्णय अपेक्षित है जिसे उपयुक्त समय तथा भावी करयोग्य लाभ के स्तर और भावी कर योजना नीतियों के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का उपयोगी कार्यकाल।

सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन का अनुमान कालातीत, माँग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अन्त में सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

घ) पट्टों

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने अनुमान का उपयोग करती है कि अनुबंध में पटे हैं या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पटे समझौते का समाप्ति विकल्प का उपयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, कंपनी पट्टों के उपयोग और पट्टे की उचित छूट दर की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।

नोट :-- 32

सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण

नोट 32.1 -- सम्बद्ध पक्ष

नोट 32.1.1 -- इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	स्थान
वी.के. त्रिपाठी (20-01-2022 से प्रभावी)	अंशकालिक अध्यक्ष
सुनीत शर्मा (31-12-2021 तक)	अंशकालिक अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद (07-07-2022 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)	प्रबंध निदेशक और निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)
सतीश चंद्र अग्निहोत्री (01-07-2021 से 07-07-2022 तक)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
अचल खरे (30-06-2021 तक)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
अरुण बिजलवान	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक) और सीएफओ
विजय कुमार	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)
संदीप कुमार	निदेशक विद्युत एवं प्रणाली (पूर्णकालिक निदेशक)
रवींद्र नाथ सिंह	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
अंजू रंजन (22-10-2021 तक)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
प्रभातकुमार रमणलाल पटेलिया (11-11-2021 तक)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
हरेशकुमार चंदुलाल मोदी (12-11-2021 से प्रभावी)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
पेटल ढिल्लन (27-01-2022 से प्रभावी)	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
सुमीता शर्मा	कंपनी सचिव

नोट 32.1.2 -- अन्य सम्बद्ध पक्ष

अन्य सम्बद्ध पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात न्यास
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ न्यास
एचएसआर इनोवेशन सेंटर ट्रस्ट	अनुसंधान एवं विकास न्यास

नोट 32.2 -- सम्बद्ध पक्षों के लेन-देन तथा शेष

नोट 32.2.1 -- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की क्षतिपूर्ति:

वर्ष के दौरान निदेशकों तथा प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालिक लाभ	353.02	273.85
रोजगार पश्चात लाभ	8.51	23.02
अन्य दीर्घकालिक लाभ	34.27	33.84
	395.80	**330.71**

नोट 32.2.2 -- न्यास के साथ लेनदेन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	83.66	107.48
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	2.42	12.84
एचएसआर इनोवेशन सेंटर	1,718.71	304.78
	1,804.79	**425.10**

नोट 32.3 -- संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त कथित लेन-देनों के अतिरिक्त कंपनी ने सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध लेन-देन किये हैं जो निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु सीमित नहीं हैं :

सरकार का नाम - रेल मंत्रालय, भारत सरकार (संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण) तथा गुजरात सरकार

वित्त वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान कुछ प्रमुख लेनदेन:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार
इक्विटी शेयर पूंजी की ओर प्राप्त राशि	1,05,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
रेल मंत्रालय से अग्रिम	11,20,000.00	-	1,90,000.00	-
परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम (अनुबंध देनदारियां)	-	-	10,207.00	-

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार
उपयोगिता स्थानांतरण और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए किया गया भुगतान	(685.14)	-	(1,826.68)	-
सरकारी भूमि की खरीद के लिए किया गया भुगतान	-	(7,225.54)	-	(5,817.84)

नोट :-- 33

आकस्मिक देयता और पूंजी प्रतिबद्धता

(i) पूंजी प्रतिबद्धता

31.03.2022 तक 38,13,394.98 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31,88,613.50 लाख रुपये) के अनुसार पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की राशि (अग्रिमों का शुद्ध) प्रावधानित नहीं किया गया।

(ii) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि ऋण 126.95 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये शून्य) है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित अदालती मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, अदालती मामलों के संबंध में देयता तुलन पत्र तिथि पर निर्धारित नहीं है।

नोट :-- 34

कंपनी ने कर्मचारी लाभ व्ययों को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्ड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप संचालित किया है। परिभाषित अंशदान योजना, परिभाषित लाभ योजना

तथा इण्ड एएस 19 के अनुसार लाभ और हानि तथा तुलन पत्र के विवरण में अंकित अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

क) परिभाषित योगदान योजनाएं

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
कंपनी ने वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी:		
भविष्य निधि, एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान	699.50	514.06
	699.50	**514.06**

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ

नोट 34.1 -- उपदान और अवकाश नकदीकरण

नोट 34.1.1 -- योजना दायित्व

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	315.75	628.24	192.90	422.51

नोट 34.1.2 -- सेवा लागत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	101.58	204.81	72.75	160.29
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	**101.58**	**204.81**	**72.75**	**160.29**

नोट 34.1.3 -- निवल ब्याज लागत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	13.12	28.73	7.51	16.70
योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(7.43)	-	(0.07)	-
निवल ब्याज लागत (आय)	**5.69**	**28.73**	**7.44**	**16.70**

नोट 34.1.4 -- लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	192.90	422.51	108.52	241.37
ब्याज लागत	13.12	28.73	7.51	16.70
सेवा लागत	101.58	204.81	72.75	160.29
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लाभ का भुगतान	(11.94)	(31.47)	-	(16.20)
दायित्व पर बीमांकिक क्षति / (लाभ)	20.10	3.66	4.13	20.35
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**315.76**	**628.25**	**192.90**	**422.51**

नोट 34.1.5 -- दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-
वित्तीय आंकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(14.72)	(29.01)	3.14	6.81
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	**34.83**	**32.68**	**0.99**	**13.53**

नोट 34.1.6 -- योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ हानि

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अपेक्षित ब्याज आय	(7.43)	-	(0.07)	-
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	7.95	-	0.72	-
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	**0.52**	**-**	**0.65**	**-**

नोट 34.1.7 -- दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
प्रारंभिक जमा	83.66	422.51	107.48	241.37
ब्याज लागत	5.69	28.73	7.43	16.70
वर्तमान सेवा लागत	101.58	204.81	72.75	160.29
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
इकाई द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	(31.48)	-	(16.20)
न्यास में योगदान	(83.66)	-	(107.48)	-
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	19.58	3.67	3.48	20.35
अंतिम शेष	**126.85**	**628.24**	**83.66**	**422.51**

नोट 34.1.8 -- नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	109.24	-	1.04	-
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.95	-	0.72	-
नियोक्ता का योगदान	83.66	-	107.48	-
लाभ भुगतान	(11.94)	-	-	-
बीमांकिक (हानि)/दायित्वों पर लाभ	-	-	-	-
अंतिम शेष	**188.91**	**-**	**109.24**	**-**

नोट 34.1.9 -- तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के अन्त में दायित्व का अनुमानित वर्तमान मूल्य	315.76	628.24	192.90	422.51
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	(188.91)	-	(109.24)	-
तुलन-पत्र में प्रावधान	**126.85**	**628.24**	**83.66**	**422.51**
चालू	126.85	24.98	83.66	28.89
गैर चालू	-	603.26	-	393.62

नोट 34.1.10 -- लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	101.58	204.81	72.75	160.29
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	5.69	28.73	7.44	16.70
वर्ष में मान्यता प्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ) /क्षति	-	3.67	-	20.35
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**107.27**	**237.21**	**80.18**	**197.34**

नोट 34.1.11 -- अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	-	-	-	-
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	(20.10)	-	(4.13)	-
वर्ष हेतु आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	0.52	-	0.65	-
वर्ष के अन्त में अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	**(19.58)**	**-**	**(3.48)**	**-**

नोट 34.1.12 -- चालू और गैर-चालू में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1.64	24.98	0.60	28.89
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	314.12	603.26	192.30	393.62
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**315.76**	**628.24**	**192.90**	**422.51**

नोट 34.1.13 -- निवल (देयता)/ आस्तियों का विभाजन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व	126.85	24.98	(83.66)	28.99
गैर-चालू दायित्व	-	603.26	-	393.62
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**126.85**	**628.24**	**(83.66)**	**422.51**

नोट 34.1.14 -- अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22		2020-21	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
सेवा लागत	122.69	239.53	85.87	179.40
निवल ब्याज लागत	9.07	44.92	5.69	28.73
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए कुल अपेक्षित योगदान	**131.76**	**284.45**	**91.56**	**208.13**

नोट 34.1.15 -- परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (₹ लाख में)

वर्ष	उपदान	अवकाश नकदीकरण
0 से 1 वर्ष	1.64	24.98
1 से 2 वर्ष	17.30	39.24
2 से 3 वर्ष	17.17	40.26
3 से 4 वर्ष	8.82	17.13
4 से 5 वर्ष	21.87	38.00
5 से 6 वर्ष	11.23	21.96
6 वर्ष बाद	237.73	446.64

नोट 34.2 -- छुट्टी किराया रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ

नोट 34.2.1 -- नियोजन दायित्व

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	118.25	28.17	76.48	78.76	19.01	51.25

नोट 34.2.2 -- सेवा लागत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	37.18	15.86	24.07	49.88	11.22	19.43
लाभों / क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
गैर-नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	37.18	15.86	24.07	49.88	11.22	19.43

नोट 34.2.3 -- निवल ब्याज लागत

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	5.36	1.29	3.49	5.04	1.10	3.27
योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय	-	-	(3.32)	-	-	(2.38)
निवल ब्याज लागत (आय)	**5.36**	**1.29**	**0.17**	**5.04**	**1.10**	**0.89**

नोट 34.2.4 -- वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के प्रारम्भ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	78.76	19.01	51.25	72.90	15.95	47.20
ब्याज लागत	5.35	1.29	3.49	5.04	1.11	3.27
सेवा लागत	37.18	15.87	24.07	49.88	11.22	19.43
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(32.34)	-	(0.50)	(3.22)	-	-
कुल दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	29.29	(8.00)	(1.83)	(45.85)	(9.26)	(18.65)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	118.24	28.17	76.48	78.76	19.01	51.25

नोट 34.2.5 -- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय आंकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	(5.87)	(1.77)	(3.44)	1.38	0.38	0.80
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	35.17	(6.22)	1.62	(47.23)	(9.64)	(19.45)

नोट 34.2.6 -- नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अपेक्षित ब्याज आय	-	-	3.32	-	-	2.38
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	-	-	3.05	-	-	1.64
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	**-**	**-**	**(0.27)**	**-**	**-**	**(0.74)**

नोट 34.2.7 -- तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के अन्त में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	118.24	28.17	76.48	78.76	19.01	51.25
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	(53.80)	-	-	(48.84)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (निबल आस्तियाँ) / निवल दायित्व	118.24	28.17	22.68	78.76	19.01	2.42
चालू	2.74	0.34	22.68	10.56	0.20	2.42
गैर चालू	115.50	27.83	-	68.20	18.81	-

नोट 34.2.8 -- लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	37.18	15.86	24.06	49.88	11.22	19.43
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	5.35	1.29	0.16	5.04	1.10	0.89
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ / हानि	29.30	-	-	(45.85)	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	71.83	17.15	24.22	9.07	12.32	20.32

नोट 34.2.9 -- अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	8.00	1.82	-	9.26	18.65
आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति) वर्ष हेतु	-	-	(0.27)	-	-	(0.74)
वर्ष के अन्त में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	-	8.00	1.55	-	9.26	17.91

नोट 34.2.10 -- नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष की शुरुआत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	48.84	-	-	34.36
नियोजन आस्तियों पर संभावित लाभ	-	-	3.04	-	-	1.64
नियोक्ता का योगदान	-	-	2.42	-	-	12.84
भुगतान लाभ	-	-	(0.50)	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/ लाभ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष			53.80	-	-	48.84

नोट 34.2.11 -- दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
प्रारंभिक जमा	78.75	19.00	2.42	72.90	15.95	12.84
ब्याज लागत	5.36	1.29	0.16	5.04	1.10	0.89
चालू सेवा लागत	37.18	15.88	24.07	49.88	11.22	19.43
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लाभ भुगता	(32.34)	-	-	(3.22)	-	-
ट्रस्ट में योगदान	-	-	(2.42)	-	-	(12.84)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	29.29	(8.00)	(1.55)	(45.85)	(9.26)	(17.91)
अंतिम शेष	118.24	28.17	22.68	78.75	19.01	2.42

नोट 34.2.12 -- वर्ष के अंत में वर्तमान और गैर-चालू में पीबीओ का विभाजन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	2.74	0.34	0.22	10.56	0.20	1.15
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि	115.50	27.83	76.25	68.20	18.81	50.10
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	118.24	28.17	76.47	78.76	19.01	51.25

नोट 34.2.13 -- निवल (देयता) / परिसंपत्तियों का विभाजन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू दायित्व	-	-	(22.68)	-	-	(2.42)
गैर-चालू देयता	-	-		-	-	-
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	-	-	(22.68)	-	-	(2.42)

नोट 34.2.14 -- अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित अंशदान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22			2020-21		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
सेवा लागत	-	21.14	29.78	-	17.76	23.02
निवल ब्याज लागत	-	2.01	1.62	-	1.29	0.16
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	-	23.15	31.40	-	19.05	23.16

नोट 34.2.15 -- परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (₹ लाख में)

वर्ष	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
0 से 1 वर्ष	-	0.33	-
1 से 2 वर्ष	-	1.00	-
2 से 3 वर्ष	-	1.58	-
3 से 4 वर्ष	-	0.81	-
4 से 5 वर्ष	-	1.74	-
5 से 6 वर्ष	-	0.81	-
6 वर्ष के बाद	-	21.87	-

नोट 34.3 -- तुलन पत्र की तारीख पर प्रमुख बीमांकिक अभिधारणा

बीमांकिक अनुमान:	2021-22	2020-21
मूल्यांकन विधि:	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड
छूट दर :	7.15%	6.80%
वेतन वृद्धि दर:	6.50%	6.50%
सेवानिवृत्ति आयु:	60 वर्ष	60 वर्ष
आहरण दर:	30 वर्षों तक -3%	30 वर्षों तक -3%
	31 से 44 वर्ष तक-2%	31 से 44 वर्ष तक-2%
	44 वर्ष से अधिक-1%	44 वर्ष से अधिक-1%
मृत्यु दर:	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)

नोट 34.4 -- संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	अभिधारणा में परिवर्तन	सामान भत्ते पर प्रभाव	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव
छूट दर	0.50%	(1.62)	(19.94)	(38.39)	(8.10)	(5.23)
	(0.50%)	1.79	21.95	41.92	8.96	5.79
वेतन	0.50%	-	21.99	42.02	-	-
वृद्धि	(0.50%)	-	(20.15)	(38.58)	-	-

नोट :-- 35
विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21
परियोजना से संबंधित व्यय (सीडब्ल्यूआईपी)	72,230.14	19,567.75
विदेशी टीए/डीए	-	-
विदेश यात्रा व्यय	-	-
सदस्यता शुल्क	8.64	4.46
	72,238.78	**19,572.21**

नोट :-- 36
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी

कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पर रु. 106.15 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है:

राशि (₹ लाख में)

वर्ष	खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	व्यय राशि	अव्ययित
वित्त वर्ष 2021-22			
2021-22	106.15	0.28	105.87
	106.15	**0.28**	**105.87**
वित्त वर्ष 2020-21			
2019-20	67.00	21.35	45.65
2020-21*	107.47	153.12	(45.65)
कुल	**174.47**	**174.47**	**-**

* इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च की गई वित्त वर्ष 2019-20 की अव्ययित राशि शामिल है।

नोट 36.1 -- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि	106.15	107.47

नोट 36.2 -- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	वास्तविक व्यय	भुगतान किया जाना है	कुल
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	48.50	**48.50**
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान	-	-	-
ख) पीएम केयर फंड में योगदान	0.28	-	**0.28**
ग) स्वास्थ्य देखभाल	-	57.37	**57.37**
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु			
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान	109.84	-	**109.84**
ख) विभिन्न कोविड-19 व्यय और पीएम केयर फंड में योगदान	43.28	-	**43.28**

नोट 36.3 – चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य का विवरण

खंड 135(6) के मामले में (चल रही परियोजना)

राशि (₹ लाख में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
-	-	105.87	-	-	-	105.87

खंड 135(5) के मामले में (चल रही परियोजना के अलावा)

राशि (₹ लाख में)

प्रारंभिक जमा	निर्दिष्ट में जमा की गई राशि एसएच का फंड VII 6 महीने के भीतर	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
-	-	0.28	0.28	-

सीएसआर समिति और बीओडी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, सीएसआर राशि अगले 2 वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24) में एक बहु-वर्षीय परियोजना होने के कारण शुरु कर दी जाएगी।

कंपनी द्वारा सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को कोई योगदान नहीं दिया गया है।

नोट :-- 37

कोविड 19 प्रकटीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 11 मार्च, 2020 को एक नए महामारी (कोविड -19) के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की और गैर-आवश्यक व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया और वस्तुओं और सेवाओं, यात्रा, आदि के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया।

जैसा कि कंपनी द्वारा निष्पादित व्यवसाय की प्रकृति, गैर-आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आती है, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में एक अस्थायी परियोजना में संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने 22 मार्च, 2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान परियोजना के निष्पादन में बाधा, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन को प्रभावित किया था।

केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को हटाने के लिए कदम उठाए हैं और कंपनी उसी तरह का पालन कर रही है जैसे उसने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। कंपनी मई की शुरुआत से क्रमिक तरीके से विभिन्न परियोजना स्थलों पर परिचालन फिर से शुरू कर पाई है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती है और केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसार सभी दिशानिर्देशों को लागू किया है ताकि कोविड -19 के प्रसार को रोका जा सके।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी का मानना है कि वर्ष 2021-22 के लिए, कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता के संदर्भ में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड 19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

तरलता

कंपनी के पास इसके संचालन के लिए पर्याप्त तरलता है।

कंपनी को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर व्यापार के साधारण पाठयक्रम में आस्तियाँ, व्यापार प्राप्य, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियाँ आदि सहित अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद है।

सुचारू कामकाज के लिए उठाए गए कदम

लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने व्यापार पोस्ट कोविड -19 लॉकडाउन के लिए नए सामान्य को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कंपनी के गैर-महत्वपूर्ण स्थानों पर काम सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से काम करने और रोस्टर से काम के साथ सुव्यवस्थित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने कोविड 19 के लिए कठोर निगरानी प्रक्रियाओं को लागू किया है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

i. सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
ii. नियमित आधार पर परिसर और वाहनों की सफाई
iii. सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखना
iv. मास्क पहनना और हाथों की नियमित सफाई करना
v. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के नियमित स्वास्थ्य अपडेट
vi. अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

कोविड-19 के भविष्य के प्रभाव का अनुमान

परियोजना में काम शुरू होने के साथ, कंपनी लगातार अपने संचालन की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण बर्बाद समय के लिए पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी होगी, लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति के रूप में सूचित किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना समय से पहले है।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव इससे भिन्न हो सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कोविड 19 स्थिति भारत और विश्व स्तर पर विकसित होती है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

नोट :-- 38

नोट 38.1 -- इंड एएस-116 के तहत प्रकटीकरण

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एएस-116 "पट्टे" को अपनाया और 1 अप्रैल, 2019 को संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए मौजूदा सभी पट्टे अनुबंधों के लिए मानक लागू किया और प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर अर्जित आय को संचयी समायोजन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य द्वारा संपत्ति और इसी पटे देयता का उपयोग करने का अधिकार रिकॉर्ड करने का विकल्प चुना है और इसलिए इंड एएस-116 को अपनाने के कारण बरकरार रखी गई कमाई पर प्रभाव शून्य है।

(ii) प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक समीक्षकों का सारांश।

क) प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर पटे की अवधि के 12 महीने से कम समय के लिए पट्टों के लिए उपयोग की सही संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने की छूट के लिए आवेदन किया है।

ख) प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग संपत्ति के अधिकार के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।

ग) इंड एएस-116 केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होता है जो पहले इंड एएस -17 के तहत पट्टे पर वर्गीकृत किए गए थे।

घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू।

ङ) अनुबंध का विस्तार करने या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, दूरदर्श का उपयोग करें।

(iii) वर्ष के दौरान लीज देनदारियों के लिए लागू भारित औसत वृद्धिशील दर 7.30% (एमसीएलआर) है।

(iv) कंपनी द्वारा परिचालन पट्टों के तहत परिसंपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता नाम	लीज अवधि	समाप्ति खंड
बिल्डिंग नंबर 8, यूनिवर्सल मैजेस्टिक, पी एल लोखंडे मार्ग, गोवंडी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400043	वरद विनायक एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2019	28-02-2022
बिल्डिंग नंबर 3, मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	मियाएक्ट प्राइवेट लिमिटेड	09-06-2018	08-06-2021
तीसरी मंजिल, डी21 कॉर्पोरेट पार्क, द्वारका सेक्टर 21, नई दिल्ली-110077	मणिकरण पावर लिमिटेड	10-01-2020	10-01-2025
पी नंबर 10/11, आरएस नंबर 15/1 ए, 9/2, कार्यालय संख्या 1007, टॉवर - ए, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध , सूरत 395007	सुकेन दिनेशचंद्र शाह	01-08-2021	31-07-2025
ए-203, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध, सूरत 395007	विभूति ऑर्गनाइज़र	01-05-2021	30-04-2025
आर.एस. सं. 60/2 पी, कार्यालय संख्या 1001 से 1006, स्वास्तिक यूनिवर्सल, रुंध , सूरत 395007	विमल कपाड़िया	01-04-2021	31-12-2022
5 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30-03-2019	15-04-2023
20 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2018	09-05-2022

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता नाम	लीज अवधि	समाप्ति खंड
6 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	29-01-2019	28-01-2023
4 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024
5 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024
20 वाहन	मर्करी कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2022	13-01-2026

(v) पट्टा देयता और राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स में उतार-चढ़ाव

(क) राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स की वहन राशि और वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव नोट 5.2 में खुलासा किया गया है।

(ख) पट्टा देयता में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष की शुरुआत के रूप में प्रारंभिक शेष राशि	**2,316.51**	**144.30**	**577.05**	**184.74**
इंड एएस के रूप में कार्यान्वयन पर मान्यता	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	245.91	145.61	2,652.76	34.16
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	139.73	14.34	260.58	17.81
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान / पट्टों के लिए कुल नकद का बहिर्गमन	(806.63)	(102.93)	(1,173.88)	(92.41)
वर्ष के अंत तक अंतिम शेष राशि	**1,895.52**	**201.32**	**2,316.51**	**144.30**

(vi) कंपनी ने कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता नहीं देने के लिए चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता की माप में शामिल नहीं हैं। उसी का विवरण इस प्रकार है: -

राशि (₹ लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक
लघु अवधि के पट्टे	1,068.58	-	515.47	-
कम मूल्य के परिसंपत्तियों के पट्टे	-	-	-	-
कुल	**1,068.58**	**-**	**515.47**	**-**

(vii) तुलन पत्र में प्रस्तुत लीज देयताएं इस प्रकार हैं:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल	भवन	वाहन	कुल
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	
चालू भाग	601.10	80.93	682.03	727.52	80.68	808.20
गैर-चालू भाग	1,294.42	120.39	1,414.81	1,588.99	63.61	1,652.60
	1,895.52	**201.32**	**2,096.84**	**2,316.51**	**144.29**	**2,460.80**

(viii) 31 मार्च 2022 को लीज देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
कार्यालय पट्टा	736.17	794.55	608.03	734.77	638.66	1,431.49
वाहन पट्टा	95.88	57.75	73.65	92.41	52.96	17.11
	832.05	**852.30**	**681.68**	**827.18**	**691.63**	**1,448.60**

(xi) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।

(xii) संपत्ति के उपयोग के अधिकार को उप-पट्टे पर देने से होने वाली आय कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं है।

नोट 38.2 -- आस्तियों की क्षति

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया है कि क्या कोई ऐसा संकेत है (इंडएएस 36 के पैरा 12 के अनुसार) कि कोई परिसंपत्ति खराब हो सकती है। प्रबंधन का विचार है कि तुलन पत्र की तिथि पर परिसंपत्तियों की हानि का कोई संकेत नहीं निकलता है। प्रबंधन ने इंड एएस-36 'संपत्ति की हानि' के अनुसार अमूर्त संपत्ति सहित कंपनी की सभी संपत्तियों पर हानि की समीक्षा की है। समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त और अन्य संपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से अधिक खराब नहीं है और इसलिए, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार किसी भी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।

नोट :-- 39

इंड एएस 115 का प्रकटीकरण "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

अनुबंध शेष

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) व्यापार प्राप्य	-	-
ख) अनुबंध संपत्ति	-	-
ग) अनुबंध देनदारियां	10,207.00	10,207.00

(क) व्यापार प्राप्तियां

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष की शुरुआत में व्यापार प्राप्तियां	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल राजस्व	-	-
समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	-	-
व्यापार प्राप्तियों का अंतिम संतुलन	-	-

(ख) अनुबंध संपत्ति

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध संपत्ति	-	-
अनुबंध संपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्ति	-	-

(ग) अनुबंध देयताएं

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताएं	-	-
अनुबंध संपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	10,207.00	10,207.00

चालू रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व मान्यता प्राप्त नहीं हुई था जो कि पूर्व वर्ष में संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित हो।

प्रदर्शन दायित्व

परियोजना के संबंध में समूह के प्रदर्शन दायित्व ग्राहक को परियोजना रिपोर्ट की डिलीवरी और ग्राहक की अंतिम स्वीकृति पर संतुष्ट होंगे।

नोट :-- 40

एमएसएमई प्रकटीकरण

कंपनी ने ऐसे उद्यमों की पहचान की है जिन्होंने कंपनी को सामान एवं सेवाएं प्रदान की हैं और जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडीए) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 तक ऐसे उद्यमों को देय राशियों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा निर्धारित सीमा तक कंपनी के पास प्राप्त और उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्तीय विवरणों में किया गया है। बकाया राशि और देय ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि ख) उपरोक्त राशि पर देय ब्याज	355.26 -	45.60 -
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि और वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

नोट :-- 41

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण:

क. एमसीए ने 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले कुछ खुलासे के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और उक्त संशोधन के अनुपालन में नीचे प्रकटीकरण किए गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं जिन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकट किया जाना है।

(v) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना है।

(vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है, जो मध्यस्थ:

(क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) की ओर से उधार या निवेश करता है या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से ऋण दे या निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करें,

(viii) कंपनी पर प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

(ix) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा नहीं किया है।

(x) वर्ष के दौरान आरओयू परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार आवश्यक बाद के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xi) वर्ष के दौरान अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii) कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) कंपनी के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

(xiv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

(xv) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी का किसी भी कंपनी में और निवेश नहीं है, इसलिए कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक है।

(xvii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों का प्रकटीकरण किया गया है:

विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देनदारियां	1.95	3.57	-45.38%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण के चरण में है।
इक्विटी अनुपात पर वापसी	करों के बाद निवल लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.01	-	0%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण के चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	-	-	-	अनुपात तुलनीय और निर्धारित करने योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण के चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय	कुल ब्याज और मूलधन चुकौती	9.42	1.94	385.56%	अनुपात तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी निर्माण के चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है।

निम्नलिखित अनुपात कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए कोई गणना नहीं की गई है।

क्रमांक	विवरण
1	ऋण इक्विटी अनुपात
2	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात
3	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात
4	व्यापार देय कारोबार अनुपात
5	निवल पूंजी कारोबार अनुपात
6	निवल लाभ अनुपात
7	निवेश पर वापसी

(xviii) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

राशि (₹ लाख में)

तुलन पत्र में प्रासंगिक मद	संपत्ति मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	निम्न के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर / निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	भूमि-फ्रीहोल्ड	3,83,239.64	परियोजना प्रभावित व्यक्ति	नहीं	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भूमि-फ्रीहोल्ड	9,240.91	गुजरात सरकार	हाँ	*	स्वामित्व का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	भूमि-लीजहोल्ड	11,486.75	महाराष्ट्र सरकार	हाँ	वित्तीय वर्ष 2018-19	लीज करार का निष्पादन प्रक्रियाधीन है
निवेश सम्पत्ति	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू संपत्ति	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* फ्रीहोल्ड भूमि में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों तथा सरकारी विभागों से अधिग्रहित भूमि शामिल है जिसे विभिन्न तिथियों पर अधिग्रहित किया गया है, इसलिए ऐसे अधिग्रहण हेतु तिथिवार प्रकटीकरण इंगित नहीं किया गया है।

नोट : संपत्ति के मदों को छोड़कर जहां शीर्षक को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और न ही पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केवल उपयोग के अधिकार की अनुमति प्राप्त की जाती है।

ख. वित्तीय विवरण कंपनी के लिए लागू सीमा तक अनुसूची III (दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण में निम्नलिखित मदों की सूचना नहीं दी जाती है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं होते हैं या जिनका मूल्य शून्य होता है।

चालू और गैर-चालू संपत्ति

क) निवेश संपत्ति

ख) सद्भावना

ग) वाहक संयंत्रों के अलावा अन्य जैविक संपत्ति
घ) निवेश
ङ) इन्वेंटरी
च) व्यापार प्राप्तियां

चालू और गैर चालू देनदारियां
क) अनुबंध देयताएं
ख) धनवापसी देयताएं
ग) सरकारी अनुदान

लागू न होने की सीमा तक अन्य सभी प्रकटीकरण रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।

ग. **अन्य प्रकटीकरण**

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("कोड") रोजगार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

नोट :-- 42

पिछले वर्ष के आंकड़ों को उन आंकड़ों की वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुन: समूहित किया गया है।

नोट :-- 43

वित्तीय विवरण की स्वीकृति

26 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई थी।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स **के लिए और निदेशक मंडल की ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अमन अग्रवाल	**राजेन्द्र प्रसाद**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 515385	**प्रबंध संचालक**	**निदेशक वित्त एवं सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 08006234	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS 5250**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.08.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनकी 26 अगस्त 2022 की ऑडिट रिपोर्ट द्वारा उन के द्वारा ऐसा किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को बनाने के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ -

i) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश (नोट 2)

कर्मचारी लाभ (नोट 2.13)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना और पेंशन योजना के लिए एक नीति है। तथापि, कंपनी ने इंड एएस 19 के पैरा 135, कर्मचारी लाभ, के उल्लंघन में न तो सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना को परिभाषित किया है और न ही इस पर लेखांकन नीति तैयार की है।

नोट 2.13 (सी) (i), भी इस हद तक त्रुटिपूर्ण है कि परिभाषित अंशदान योजना के तहत पेंशन योजना के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(विक्रम डी. मुरुगराज)
ऑडिट रेलवे कमर्शियल, नई दिल्ली
के प्रधान निदेशक

दिनांक : 20.10.2022
स्थान : नई दिल्ली

2021-22 के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

सीएंडएजी की टिप्पणी	प्रबंधन का (के) उत्तर
प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ -- **i) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स** **महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश (नोट 2)** **कर्मचारी लाभ (नोट 2.13)** कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना और पेंशन योजना के लिए एक नीति है। तथापि, कंपनी ने इंड एएस 19 के पैरा 135, कर्मचारी लाभ, के उल्लंघन में न तो सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना को परिभाषित किया है और न ही इस पर लेखांकन नीति तैयार की है। नोट 2.13 (सी) (i), भी इस हद तक त्रुटिपूर्ण है कि परिभाषित अंशदान योजना के तहत पेंशन योजना के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।	एनएचएसआरसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट 34.2 के माध्यम से "सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ" के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण किया है। प्रकटीकरण में लाभों के मूल्यांकन और मात्रात्मक विवरण के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक पद्धति शामिल है। पेंशन कंपनी की परिभाषित योगदान योजना है और इंडएएस 19 के पैरा 53 की आवश्यकता के अनुसार है। एनएचएसआरसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट 34 में इस जानकारी का प्रकटीकरण किया है। सीएंडएजी की टिप्पणियों को भविष्य में प्रकटीकरण के लिए नोट कर लिया गया है। हालाँकि, उक्त टिप्पणी वित्तीय विवरणों के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(राजेन्द्र प्रसाद)
प्रबंध निदेशक और
निदेशक परियोजना
[डीआईएन: 08006234]

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
[डीआईएन: 08012372]

दिनांक : 23.11.2022
स्थान : नई दिल्ली